लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

29 फरवरी , 1968 । 10 फाल्गुन , 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
254	प्रश्न संख्या 334 के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी रुपान्तर पढ़िये :

Import of Agricultural Implements

334 Shri Y.S. Kushwah

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the annual expenditure being incurred on the import of agricultural implements ihto India; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to achieve self-sufficiency in this regard?

261 प्रश्न संख्या 336 के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी रुपान्तर पढ़िये :

Mid-term Elections in Haryana

336 Shri R.S. Vidyarthi
Shri Kanwar Lal Gupta
Shri Jagannath Rao Joshi

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representatives of some parties approached the Election Commission to postpone the Elections in Harvana from May, 1968 to some further date;

(b) if so, the names of the said parties and the arguments advanced by them; and

(c) the final decision taken by the Election Commission in this regard ?

विषय-सूची/Contents

अंक 13–गुरुवार, 29 फरवरी, 1968/ 10 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 13, Thursday, February 29, 1968/ Phalguna 10, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
331. दिल्ली वक्फ बोर्ड	Delhi Waqf Board	247-251
333. विधान परिषदें	Legislative Councils	251-254
334. कृषि यंत्रों का आयात	Import of Agricultural Implements	254-257
335. फसल बीमा योजना	Crop Insurance Scheme	257-261
336. हरियाना में मध्यावधि चुनाव	Mid term Elections in Haryana	261-264

अल्प-सूचना प्रश्न

Short Notice Question

2. मैसर्स कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	M/s Cooper Allen Co. Ltd. Kanpur	264-270

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

332. भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	270-271

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
337.	विकासशील देशों के लिये खाद्य सहायता	Food Aid for Developing Countries	271
338.	चौथे आम चुनावों के बारे में रिपोर्ट	Report on Fourth General Elections	271-272
339.	न्यूनतम मजूरी अधिनियम	Minimum Wages Act	272
340.	पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Port and Dock Workers	272
341.	खेतिहर मजदूरों का मजूरी ढांचा	Wage Structure Of Agricultural Labour	272-273
342.	गेहूं तथा चावल के वसूली मूल्य	Procurement Price of Wheat and Rice	273
343.	अनाज का उत्पादन	Production of Foodgrains	273-274
344.	कीटनाशक दवाइयों के लिये राज-सहायता	Subsidy on Pesticides	274
345.	विद्युत्-चालित संगणक (इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर)	Electronic Computers	274-275
346.	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	275
347.	जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से आए हुए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Persons from Pak-occupied Area of Jammu and Kashmir	275-276
348.	बेरोजगारी अनुदान	Unemployment Dole	276
349.	सहकारी खेती	Co-operative Farming	276
350.	भूमि सुधार	Land Reforms	276-277
351.	चीनी का मूल्य	Price of sugar	277
352.	अकाल और अभाव की स्थिति	Famine and Scarcity Conditions	277-278
353.	मन्दी के कारण बेरोजगारी	Unemployment due to Recession	278
354.	तारों का विलम्ब से वितरण	Late Delivery of Telegrams	278-279
355.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	Central Warehousing Corporation	279
356.	कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करना	Stabilisation of Prices of Agriculature Commodities	279

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
357.	आन्तरिक संचार उपग्रह	Interest Communication Satellite	280
358.	रबी की फसल के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग	Agricultural Prices Commission on Rabi Crop,	280
359.	माइलो का आयात	Import of Milo	280-281
360.	भारत सेवक समाज को विदेशी संगठनों से सहायता	Aid from Foreign Organisation to Bharat Sewak Samaj	281

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

2158.	चम्बल घाटी में खेती	Cultivation of Land in Chambal Valley	281
2159.	फलों तथा मछलियों के लिये शीतागार की सुविधाएँ	Cold Storage Facilities for Fruit and Fish	282
2160.	डिब्बों में मछली भरने वाले कारखाने	Fish Canning Units	282
2161.	खाद्य तथा आचार डिब्बों में पैक करने वाली कम्पनियाँ	Food and Pickle Canning Units	283
2163.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूहों में कार्मिक संघ	Trade Unions in Andaman and Nicobar Islands	283-284
2164.	चीनी उद्योग का विकास	Development of Sugar Industry	284
2165.	निजामाबाद (आंध्र प्रदेश) में केन्द्रीय भाण्डागार	Central Warehouses in Nizamabad (Andhra Pradesh)	284-285
2166.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों का विश्लेषण	Analysis of Foodgrains Purchased by Food Corporation of India	285-286
2167.	टेलीफोन के तारों की चोरी	Theft of Telephone Wire	286
2168.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की खरीद	Procurement of Foodgrains by Food Corporation of India	287
2169.	टेलीफोन प्रयोक्ताओं की कठिनाइयाँ	Difficulties of Telephone Users	287-288
2170.	खाद्यान्न का तस्कर व्यापार	Smuggling in Foodgrains	288
2171.	ट्रांसमीटरों का पकड़ा जाना	Seizure of Transmitters	288
2172.	विधानमण्डलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य	Members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Legislatures	288-289

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2173.	हिमाचल प्रदेश में अंगोरा नस्ल सुधार फार्म	Angora Breed Farm in Himachal Pradesh	289.290
2174,	ट्रैक्टरों और हेलीकाप्टरों का निर्माण	Mahu facture of Tractors and Helicopters in Punjab	290
2175.	लोक-कार्य क्षेत्र	Lok Karya Kshetras	290
2176.	मनीपुर का पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग	Veterinary and Animal Husbandry Department, Manipur	290-291
2177.	मनीपुर का पशुचिकित्सा तथा पशुपालन विभाग	Veterinary and Animal Husbandry Department, Manipur	291
2178.	राज्यों में चावल की वसूली	Rice Procurement in States	291
2179.	केरल स्थित भारत-नार्वे परियोजना के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allownace to Indo-Norweigian Projects (Kerala)	292
2180.	रतिबती कोयला खान में तालाबन्दी	Lock out at Ratibati Colliery	292-293
2181.	चीनी मिलों का बन्द होना	Closure of Sugar Mills	293
2182.	सोयाबीन के बीजों का आयात	Import of Soyabean Seeds	293-294
2184.	कनिष्ठ श्रेणी 3 कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Junior Class III Employees	294-295
2185.	केरल को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Kerala	295
2186.	दिल्ली में राशन की दुकानों में गेहूँ की सप्लाई	Supply of Wheat in Ration Shops Delhi	295
2187.	गन्ने के सूख जाने के कारण हानि	Loss due to soaking of sugarcane	295-296
2188.	कर्मचारी भविष्य निधि	Employees Provident Fund	296
2189.	मध्य प्रदेश में चीनी के कारखानों का बन्द किया जाना	Closure of Sugar Factory in Madhya Pradesh	296
2190.	पश्चिम बंगाल को अनाज की केन्द्रीय सहायता	Central Food Assistance to West Bengal	297
2191.	रेलवे डाक सेवा, भुवनेश्वर के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को क्वाटर	Quarters for Class III employees of R.M.S., Bhuvaneshwar	297

अता० प्रा० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2192.	भुवनेश्वर से प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त का स्थानान्तरण	Shifting Regional Provident Fund Commissioner's Office from Bhuvaneshwar	297-298
2193.	मोती लाल भटनी चीनी मिल (उत्तर प्रदेश)	Moti Lal Bhatni Sugar Mills (U. P.)	298
2194.	बंगलौर में सरकारी उपक्रमों में कार्मिक संघों द्वारा हड़ताल का नोटिस	Trade Unions' Strike Notice in Public Undertakings in Bangalore	298-299
2195.	महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर द्वारा देय कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि	Employees State Insurance and Provident Fund due from Maheswhari Devi Jute Mills, Kanpur	299
2197.	दिल्ली में आग लगने की सूचना देने वाले यंत्र (फायर अलार्म)	Fire Alarms in Delhi	299-300
2198.	वेतन वृद्धि रोकना	Wage Freeze	300
2199.	औद्योगिक विवाद	Industrial Disputes	300
2200.	खेतिहर मजदूरों को ऋण	Loans to Agricultural Labourers	301
2201.	आंध्र प्रदेश में मोटे चावल की खरीद	Purchase of Coarse Rice in Andhra Pradesh	301
2202.	कृषि ऋण निगम	Agricultural Credit Corporation	301-302
2203.	लडानिया में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Call Office at Ladania	302
2204.	दिल्ली में डाकघर	Post Offices in Delhi	302
2205.	लोक सभा के वकील सदस्यों द्वारा सरकारी मुकदमों की पैरवी	Pleading of Government Cases by Lawyer Members of Lok Sabha	302-303
2207.	केन्द्रीय न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड	Central Minimum Wages Advisory Board	303
2208.	दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों में असंतोष	Discontent among D.M.S. Workers	303-304
2209.	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	304
2210.	दिल्ली में पंजाब के गेहूँ की सप्लाई	Supply of Punjab Wheat in Delhi	304

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2211.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधिकारियों द्वारा कृषि संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन	Publication by Officials of I. C. A. R. of Books connected with agriculture	304-305
2213.	चीनी के संबंध में विश्व सम्मेलन	World Sugar Conference	305
2214.	नये टेलीफोन कनेक्शन	New Telephone Connections	305-306
2215.	फसलों को हानि	Damage to crops	306
2217.	सरकारी समितियों में सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members on Government Committees	306-307
2218.	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	307
2220.	पंजाब में मोटे अनाज का जमा हो जाना	Accumulation of Coarse Grains in Punjab	307-308
2221.	उर्वरकों के कोटे का नियतन	Allotment of Fertilizers Quota	308
2222.	रूसी ट्रैक्टरों का आयात	Import of Russian Tractors	308
2223.	कर्मचारी-नियोजन विवाद	Employees Employer Disputes	309
2224.	कृषि, सामुदायिक विकास और सिंचाई मंत्रालयों का विलय	Merger of Agriculture with Community Development and Irrigation	309
2225.	पुनर्वास संबंधी समिति	Committee on Rehabilitation	309-310
2226.	उप-डाकघर और शाखा डाकघर	Sub-post Offices and Branch Post Offices	310
2227.	हरियाना में गेहूँ का स्टाक	Wheat Stocks in Haryana	310-311
2228.	वन शिक्षा निदेशालय द्वारा धन का दुरुपयोग	Misuse of fund by Forest Education Directorate	311
2229.	मद्रास सर्किल के डाक डिवीजन के कर्मचारी	Employees of Postal Division of Madras Circle	311
2230.	नलकूप लगाना	Sinking of Tube Wells	311-312
2231.	कृषि विकास कार्यक्रम	Agricultural Development Programme	312-313
2232.	केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद्	Central Council of Gosamvardhan	313-314
2233.	उत्तर प्रदेश में पड़ती भूमि को खेती योग्य बनाना	Reclamation of fallow land in U.P.	314
2234.	संसद् सदस्यों द्वारा जीपों का उपयोग	Use of Jeeps by M. Ps.	314

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2235.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा आटे की सप्लाई	Flour supply by Food Corporation of India	314-315
2236.	आटा मिलों को गेहूँ की सप्लाई	Wheat Supply to Flour Mills	315
2237.	गेहूँ के आटे का चोकर का निर्यात	Export of wheat flour bran	315
2238.	सहकारी समितियाँ	Cooperative Socieities	316
2239.	चीनी का निर्यात	Export of sugar	316
2240.	चावल का उत्पादन	Rice production	317
2241.	उड़ीसा में बसे बर्मा से आये हुए शरणार्थी	Refugees from Burma settled in Orissa	317-318
2242.	अनाज का निर्यात	Export of foodgrains	318
2243.	देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी	Unemployment in Rural Areas	318-319
2244.	काम दिलाऊ दफ्तर	Employment Exchanges	319-320
2245.	कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अनियमितताएं	Irregularities in Employees Provident Fund Scheme	320-321
2246.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	Central Warehousing Corporation	321
2247.	भिंड और दतिया जिलों में डाकघर सुविधायें	Postal facilities in Bhind and Datia Districts	321-322
2248.	परती भूमि में खेती	Cultivation of Fallow Land	322
2249.	पंजाब से अन्य राज्यों में मोटे अनाज का निर्यात	Export of coarse Foodgrains from Punjab to other States	322
2250.	खण्ड विकास अधिकारी	Block Development Officers	322-323
2251.	शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी	Unemployment among educated persons	323
2252.	सोयाबीन की खेती संबंधी अनुसंधान	Research on Cultivation of Soyabeans	324
2253.	दिल्ली में राशन में घटिया किस्म के गेहूँ की सप्लाई	Supply of inferior quality of Wheat in Ration Shops in Delhi	324-325
2254.	दिल्ली में क्षेत्रीय रोजगार दफ्तर	Zonal Employment Exchanges in Delhi	325
2255.	भण्डागारों में खाद्यान्न भरा जाना	Storage of Foodgrains in Warehouses	325

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2256.	गौहाटी के निकट विजयनगर में टेलीफोन कनेक्शनों की अनुपलब्धि	Non-availability of Telephone connections at Vijaynagar near Gauhati	326
2257.	आसाम में धान का उत्पादन	Paddy Production in Assam	326
2258.	आसाम में हुए दंगों में अनाज लूटा जाना	Looting of Foodgrains during Assam Riots	326-327
2259.	खाद्य उत्पादन के लिये सहायता	Assistance for Food Production	327
2260.	भूमिगत जल का पता लगाना	Location of Underground Water	327
2261.	औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य वाली दुकानें	Fair price Shops in Industrial Establishments	327
2262.	औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य वाली दुकानें	Fair Price Shops in Industrial Etrablishments	328
2263.	नियोजक कर्मचारी संबंध पर गोष्ठी	Seminar on Employer-Employee Relationship	328
2264.	ग्रामीण क्षेत्रों में राजसहायता-प्राप्त पोस्टकार्ड सेवा	Subsidized Postcard Service in Rural Areas	329
2265.	महाराष्ट्र में जिला यवतमाल में चीनी का मिल	Sugar Mill in Veotmal District (Maharashtra)	329
2266.	राजस्थान में सार्वजनिक टेली-फोन	Public Call Offices in Rajasthan	329-330
2267.	कोटा (राजस्थान) में डायल करके सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling System In Kota (Rajasthan)	330
2268.	विशेष डाक टिकट	Special Postage Stamps	330
2269.	वनस्पति को रंग देना	Colourisation of Vanaspati	330-331
2270.	लघु सिंचाई क्षमता	Minor Irrigation Potential	331
2271.	पर्वतीय क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाएँ	Minor Irrigation Schemes in Hilly Areas	331-332
2272.	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains	332
2273.	गायों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाना	Inter State Movement of Cows	332
2274.	रबी की फसल की वसूली	Procurement of Rabi Crop	332

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2275.	गामा किरणों से खाद्यान्नों का शोधन	Gamma Radiation treatment to Food-grains	333
2276.	किसानों के लिए ट्रैक्टर सेवा	Tractor Service for Farmers	333-334
2277.	कनाडा से एग्रीकल्चरल टास्क-फोर्स (कृषि कार्य दल)	Agricultural Task Force from Canada	334
2278.	डाकघरों के इंस्पेक्टरों के लिये क्वार्टर	Quarters for Inspectors of Post Offices	334-335
2279.	मध्य प्रदेश में अनाज का उत्पादन	Food Production in Madhya Pradesh	335
2280.	मध्य प्रदेश में भाण्डागारों का निर्माण	Construction of Ware Houses in Madhya Pradesh	336
2281.	मध्य प्रदेश में ट्रंक टेलीफोन कार्यालय	Tunk Call Office in Madhya Pradesh	336-337
2282.	होशंगाबाद और पूर्व निमाड़ जिलों में टेलीफोन कार्यालय	Telephone Exchanges in Hoshangabad and East Nimar Districts	337
2283.	अखिल भारतीय रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ को उड़ीसा सर्किल शाखा की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Orissa Circle Branch of All India R.M.S., Employees' Union	337
2284.	मेरठ नगर में खैर नगर डाकघर	Khair Nagar Post Office in Meerut City	337-338
2285.	मेरठ नगर में डाक टिकटों की बिक्री	Sale of Postal Stamps in Meerut City	338
2286.	जम्मू तथा काश्मीर को चावल तथा चीनी की सप्लाई	Supply of Rice and Sugar to Jammu and Kashmir	338-339
2287.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन संस्थाएं	Institutes under Indian Council of Agricultural Research	339
2288.	पूना में टेलीफोन	Telephone Connections in Poona	339-340
2289.	पूर्व पाकिस्तान से आये हुए लोग	Migrants from East Pakistan	340

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
2290.	मिजो पहाड़ी जिले में डाक डिवीजन	Postal Divisions for Mizo Hills District	340
2292.	खुले बाजार में बिक्री के लिये चीनी का दिया जाना	Release of Sugar for Open market sale	340-341
2293.	एशियाई व्यापार संघ आर्थिक सम्मेलन	Asian Trade Union Economic Conference	341
2294.	नीलगिरि जिले में भू-संरक्षण	Soil Conservation in Nilgiris District	341
2295.	आंशिक रूप में चीनी पर से नियंत्रण हटाना	Partial Decontrol of Sugar	341-342
2296.	दिल्ली में सार्वजनिक टेली-फोन बूथ	Public Call Booths in Delhi	342-343
2297.	आन्ध्र प्रदेश में लाल मिर्च की कीमतें	Prices of Chillies in Andhra Pradesh	343
2298.	कोयना भूकम्प से पीड़ित डाक तथा तार कर्मचारी	P & T Employees affected by Koyna Earthquake	343
2299.	आरे में आधुनिक बेकरी	Modern Bakery at Aarey	343-344
2300.	चने, मक्का आदि के लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना	Removal of Restrictions on movements of Gram, Maize, etc.	344
2301.	मूंग की फसल के बारे में अनुसंधान	Research on 'Moong' Crop	344
2302.	उत्तरी क्षेत्र के लिये ट्रैक्टरों का नियतन	Allotment of tractors to Northern Zone	344-345
2303.	50-अश्व-शक्ति के ट्रैक्टरों का निर्माण	Maunfacture of 50 H. P. Tractors	345-346
2304	रूस से आयात किए गए ट्रैक्टरों के मूल्य	Prices of Imported Russian Tractors	346
2305.	मनीपुर में एक चीनी मिल की स्थापना	Setting up of a Sugar Mill in Manipur	347
2306.	मनीपुर में किसानों को सहायता	Relief to Peasants in Manipur	347

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2307. मनीपुर में टेलीफोन	Telephpone Conections in Manipur	347
2308. दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध चूर्ण तैयार करने वाला कारखाना	Milk Powder producing plant in D.M.S.	347-348
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	348
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में	Re. Bank Employees Strike	348-349
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	350
पन्द्रहवाँ और सोलहवाँ प्रतिवेदन	Fifteenth and Sixteenth Report	
ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल आप्रवासी विधेयक पर वक्तव्य	Statement on Commonwealth Immigrants Bill of the United Kingdom	350-352
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh	
रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा	Railway Budget—General Discussion	352-358
श्री बसवन्त	Shri Baswant	
श्री सूरजभान	Shri Suraj Bhan	
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary	
श्री मयावन	Shri Mayavan	
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	
दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों द्वारा आन्दोलन पर वक्तव्य के बारे में चर्चा	Discussion Re. Statement on Agitation by Delhi School Teachers	358-361
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	
श्री शशिभूषण बाजपेयी	Shri Shashibhushan Bajpai	
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	
श्री सम्बन्दन	Shri S. K. Sambandan	
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	

अता॰ प्र॰ संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री अनिरुद्धन	Shri K. Anirudhan	
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Praksh Vir Shastri	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
डा॰ त्रिगुण सेन	Shri Trguna Sen	
व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	Re: Point of Order	
सामान्य आय-व्ययक, 1968-69 —प्रस्तुत	General Budget, 1968-69—Presented	363-382
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	
वित्त विधेयक, 1968-प्रस्तुत	Finance Bill, 1968-introduced	382-383

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 29 फरवरी, 1968/ 10 फाल्गुन, 1889 (शक)

Thursday, February 29, 1968/ Phalguna 10, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Delhi Waqf Board

†*331. **Shri Raghuvir Singh Sastri:**
Shri Mayavan:
Shri R. S. Vidyarthi:
Shri Ram Gopal Shalwale:
Shri Yajna Datt Sharma:
Shri Anbuchezhian:
Shri Hardyal Devgun:
Shri Kanwar Lal Gupta:

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Lt. Governor of Delhi had made a change in the list of names proposed by the Chief Executive Councillor of Delhi for membership of the Delhi Waqf Board; and

(b) if so, the reasons therefor?

औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) जी हाँ।

(ख) उपराज्यपाल ने यह अनुभव किया कि मुख्य कार्यकारी परिषद द्वारा प्रस्तुत सूची में कुछ परिवर्तन अपेक्षित है।

Shri Raghuvir Singh Shastri: As it a transferable subject, the Executive Council and the chief Executive Councillor have full right in this matter. Morever the list has been sent

with the consent of Lt. Governor and Chief Executive councillor, Inspite of the some Minister at Centre is trying that that list and paricularly those names may not be accepted. How far it is proper ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिये कि वक्फ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना तारीख 21 दिसम्बर, 1954 के अनुसार ये अधिकार मुख्यायुक्त और अब उप-राज्यपाल को दे दिए गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने यह आदेश दिए हैं कि उनके नियंत्रण के आधीन और आगे आदेश दिए जाने तक केन्द्रीय शासित दिल्ली के मुख्यायुक्त को वक्फ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल के अधिकार और कर्त्तव्य प्राप्त हो गए हैं (1954 का अधिनियम 29)।

मुख्यायुक्त द्वारा आदेश जारी किए जाने से पूर्व प्रशासक को मामलों की श्रेणियों के अनुसार सौंपा जाता है। जिन मामलों से अल्पसंख्यक वर्ग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, पिछड़े वर्गों के प्रभावित होने की आशंका होती है, वे मामले मुख्य कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासक को भेज दिए जाते हैं, यद्यपि यह मामला स्थानांन्तरित विषय से सम्बन्धित है । अतः प्रशासक को सूची की जाँच करने का अधिकार है और वह इस सम्बन्ध में सुझाव दे सकता है। उसने ऐसी ही किया।

Shri Raghuvir Singh Shastri: Hon. Minister has just told that taking into the interest of the minority community, the Administration has the right to change it. There are three Muslim members in the Metropolitan Council and that is why these three names have been kept. They do not want to keep Shri Anwar Dehalvi member of Jan Sangh in that list.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: वक्फ अधिनियम 11 में वक्फ बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। उसमें उल्लेख किया गया है कि....

"बोर्ड के सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तिग्रों में से नियुक्ति की जायेगी।"

(क) राज्य विधान सभा के सदस्य और संसद् सदस्य।

(ख) वे जिन्हें मुस्लिम कानून की जानकारी होगी और जो राज्य जमायत-उल-उलमा-ए-हिन्द (चाहे वे व्यक्ति हनाफी हों, अहले हादिस हों या शंयफी) जैसी संस्थाओं या राज्य शिहा सम्मेलन जैसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।

(ग) वे व्यक्ति जिन्हें प्रशासन, वित्त और कानून की विशेष जानकारी है।

(घ) "राज्य के भीतर स्थित वक्फ के मुतवल्ली ।

इस सब बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। सर्वप्रथम महानगर परिषद् को राज्य विधान सभा की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

यदि परिषद् के सदस्यों को प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हो जाता है तब भी यह आवश्यक नहीं की राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद के सब सदस्य उसमें शामिल हों। क्योंकि अन्य बातों पर भी ध्यान देना होता है। यह उप-राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है कि वह इस बात पर ध्यान दें कि इन सब हितों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है।

श्री मयाबन : क्या यह सच है कि केन्द्रीय औद्योगिक विकास मंत्री ने व्यक्तियों के नामांकन पत्रों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप किया था और इस बारे में उपराज्यपाल को लिखा था ? यदि हाँ, तो क्या यह माननीय मंत्री के लिये न्यायोचित है कि वह दिल्ली प्रशासन के मामले में हस्तक्षेप करें ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: इसमें हस्तक्षेप करने का प्रश्न नहीं है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया यह राष्ट्रपति के नियंत्रण का विषय है और अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत उप-राज्यपाल द्वारा मतभेदों को उनको सौंपा गया है।

Shri R. S. Vidyarthi : Whether it is a fact that in September, 1967 when the Wakf Board was dissolved, the Chief Executive Board prepared a list and the Lt. Governor also gave his consent. After sometime Shri F. A. Ahmed wrote a letter to the Lt. Governor asking him to supply that file as the Prime Minister was interested in it. It was so done because he himself was interested in appointing the members of the Board with his own choice. This has been done in order to appoint a person as Secretary against whom complaints misusing the property of the Wakf have been received. Whether it is also a fact that even then the Minister is interested in appointing him as the Secretary. Although there is a provision that the State Government can appoint a Secretary of the Wakf Board.

Shri F. A. Ahmed : I denied all the allegations made against me.

Shri Atal Behari Vajpayee : I want to raise a point of order. Whether the Home Minister wrote a letter to the Lt. Governor stating that Prime Minister was interested in that matter. It is a question of fact. There is no allegation in it.

Shri F. A. Ahmed : I have not written any letter.

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister wants to include his own people in that Wakf Board even though there have been complaints for accepting bribery against them. Whether it is a fact that a list was prepared by the Lt. Governor and the Chief Executiv and there were no differences between them.

It is stated in the Act that if there are some differences regarding the subjects then only it will be refered to the President. But in the present case there were no differences between them. The difference has been created by the Minister himself by writing a letter stating that Prime Minister was not interested in apointing Anwar Dehlvi as it member.

श्री रा० कृ० सिन्हा: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय द्वारा यह इन्कार किया जाने के बाद कि उन्होंने कोई भी पत्र उप-राज्यपाल को नहीं लिखा। माननीय सदस्य को ऐसा वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी।

Shri Kanwar Lal Gupta : Will you favour corruption ? Such influence could not be tolerated in State matter. We will not tolerate it. You are unnecessarily interfering. Lt. Governor did not object at the name of Anwar Dehlvi.

In order to maintain good relation between State and the Centre whether it is not necessary not to interfere with its matter.

Whether you have got some complaints regarding giving mosque on rent by the previous Wakf Board ?

Shri F. A. Ahmed : I have already given a reply to your first question. I have not written any letter to the Lt. Governor. I have read a notification just now according to it, it is clear that the powers of the Wakf Board given to Delhi Administration are subject to the Control of President. Under that provision Central Government can centrally associate itself.

After that I have not received any file. I received only a list on which the Lt. Governor discussed with me. I gave my suggestion with regard to two or three names in the list. I do not know whether it was his own list or that of Executive Councillor.

Shri Kunwar Lal Gupta : Whether the complaints with regard to the corruption charges have been received by you or Delhi Administration?

Shri F. A. Ahmed : The corruption charges were not against the Wakf Board, but they were agaist the two members of the Board. The investigation is going on in this regard.

Shri Hardyal Devgum : I want to know the names of the persons you objected at time you discussed this matter with the Lt. Governor.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद :--इस सम्बन्ध में मैं कुछ बताना ठीक नहीं समझता।

श्री कंवरलाल गुप्त : यही उसके लिये जिम्मेदार हैं और अब वह ऐसा कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। मुझे विश्वास है कि केवल श्री फखरुद्दीन अहमद बल्कि और भी कोई मंत्री राज्यपाल या किसी और व्यक्ति से हुई चर्चा का ब्यौरा देना पसन्द नहीं करेगा : चाहे उसके शब्द भिन्न ही क्यों न हों। यद्यपि उनके और राज्यपाल के बीच वैयक्तिक सम्बन्ध नहीं हैं। यदि कोई मंत्री राज्यपाल या सचिव से वार्ता करता है तो उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह उसका ब्यौरा सब को दें चाहे उसमें व्यक्तिगत बात कुछ न हो।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे तथा उप-राज्यपाल के बीच जो बातचीत हुई है मैं उसको बताने के लिये तैयार नहीं हूँ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय केवल सार्वजनिक हित में जानकारी देने से इंकार कर सकते हैं व्यक्तिगत कारणों के आधार पर नहीं।

श्री दत्तात्रय कुंटे : क्या यह सच है कि दोनों ही व्यक्तियों ने श्री अनवर अली के नाम का सुझाव दिया था और फिर भी उसे स्वीकार नहीं किया गया ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे इस बारे में पता नहीं कि मुख्य कार्यकारी परिषद ने किस व्यक्ति के नाम का सुझाव दिया था। मैंने उपराज्यपाल से केवल सूची के ही सम्बन्ध में चर्चा की थी। मैं व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध में की गई चर्चा के सम्बन्ध में बताने के लिये तैयार नहीं हूँ।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Member asked him to disclose the name of that person. In this connection the Hon. Minister could have told that it was not in public interest to disclose the name of that person. But when he knows that to disclose the name is in public interest, be should not do so.

अध्यक्ष महोदय : मुझे कारण का पता नहीं।

Shri Mahdu Limaye : I have been raising this matter for the last few years. I want that there should be change in the rules.

श्री वेंकटासुब्बया : अनुपूरक करते समय श्री हरदयाल देवगुण ने यह आरोप लगाया था कि मंत्री महोदय बोर्ड में कुछ पाकिस्तानी तत्व लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रश्न काल में ऐसा आरोप लगाया जा सकता है जब कि उसमें केवल जानकारी ही दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे सुना नहीं। मैं इस सम्बन्ध में देखूंगा।

Shri Gulam Mohammad Bakshi : So far as Wakf Board is concerned very important matter has been allotted to it. So far as experience is concerned its work is not done properly I canot say whether members included in it are kept on political cosideraation or with some other motive. But it should consist of such persons who could mange the work of the Board efficiently. It is a very serious matter. I, therefore suggest that an half an hour discussion may be held on this subject.

अध्यक्ष महोदय : यह आप विभाग को लिख सकते हैं।

श्री मनुभाई पटेल : मुझे यह ज्ञात नहीं कि मुख्य कार्यकारी पार्षद ने किन व्यक्तियों के नामों का सुझाव दिया है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि सूची में कितने व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव था और उनमें से कितने व्यक्ति जनसंघ और कितने व्यक्ति अन्य दलों के थे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद के अन्तर्गत की जाती है राजनीतिक आधार पर नहीं। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ कि उसकी नियुक्ति के लिये उसके लिये निर्धारित योग्यताओं पर विचार करना पड़ता है।

विधान परिषदें

*333. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) महाराष्ट्र और मद्रास की सरकारों ने अपनी-अपनी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की प्रस्थापना की है।

(ख) सरकार का विचार है कि महाराष्ट्र और मद्रास की विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए विधान बनाने का काम मार्च, 1968 में होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचनों के समाप्त हो जाने के पश्चात् ही किया जाए।

श्री सम्बन्धन : माननीय मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि इस पर 1968 में होने वाले चुनावों के पश्चात् ही विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों विशेषकर मद्रास सरकार से पिछले अप्रैल के आरम्भ में निवेदन किया गया था। मद्रास सरकार ने पिछले अप्रैल मास में विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निवेदन किया था। इसको स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : ऐसा निवेदन हमें मद्रास सरकार से प्राप्त हुआ था। यह एक सामान्य मामला होने के कारण सरकार ने यह उचित समझा कि इस पर अन्य राज्य सरकारों से भी विचार ले, क्योंकि वहाँ भी विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रबन्ध

किया जाना चहिये। जब ऐसा किया गया था तब ज्ञात हुआ कि यदि दोहरे चुनाव के बाद ऐसा नहीं किया गया तो इस सम्बन्ध में प्रशासनिक कठिनाइयां होंगी।

श्री सम्बन्धन : क्या विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों के विचार जानने में इतना अधिक समय लगता है? इसको स्वीकार करने के बाद दोहरे चुनावों के बाद इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप इसमें अतिरिक्त व्यय और समय लगेगा और सरकार और उम्मीदवार को भी दो या तीन स्थानों के चुनावों पर फिर से चुनाव लड़ने में कठिनाइयों का सामाना करना पड़ेगा। क्या यह उचित नहीं होगा कि इसके लिये कोई कानून बनाया जाये ताकि आने वाले दोहरे चुनावों में इन अतिरिक्त स्थानों के लिये भी चुनाव लड़ा जा सके।

श्री गोविन्द मेनन : विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिये पाए परिसीमन की आवश्यकता है। जैसा कि सभा को विदित है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव स्थानीय प्रधिकार निर्वाचन क्षेत्र, शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों और स्नातक के निर्वाचन क्षेत्रों से किया जाता है। उन्हें देश के सारे राज्यों से चुनना पड़ेगा।

इस प्रयोजन के लिये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। यदि सीमा निर्धारण के प्रश्न पर अब विचार करें तो मार्च, 1968 में चुनाव नहीं हो सकेंगे और परिषदों की संख्या बढ़ने के बजाय घटेगी।

श्री पीलु मोडी। इससे कांग्रेस को भी लाभ पहुँचता है।

श्री रा० ढो० भण्डारे : क्या मैं विधि मंत्री से पूछ सकता हूँ कि इन दो राज्यों ने विधान परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ाने के क्या कारण बताये हैं और ये सुझाव किस आधार पर दिए हैं?

श्री गोविन्द मेनन : संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि राज्यों की विधान सभाएँ यह निश्चय करेंगी कि क्या उन्हें विधान परिषद की आवश्यकता है या नहीं है। तर्क की दृष्टि से हमें विधान सभा का यह तर्क स्वीकार कर लेना चाहिये कि उनकी सदस्य संख्या इतनी होनी चाहिये कि संविधान द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो अर्थात् विधान सभा की सदस्य संख्या की एक-तिहाई।

श्री स्वैल: कुछ राज्यों में विधान परिषदें हैं और कुछ में नहीं हैं। अब विधान परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ाने के स्थान पर क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि क्या इन परिषदों की आवश्यकता भी है या नहीं?

श्री गोविन्द मेनन : जब संविधान बनाया गया था तब यह बात संविधान सभा के सदस्यों पर छोड़ दी गयी थी कि वे विधान परिषद चाहते हैं या नहीं। जो राज्य विधान परिषद चाहते थे उन्हें उनकी अनुमति दे दी गयी थी। फिर संविधान में एक उपबन्ध जोड़ दिया गया था जिसमें यह बात प्रत्येक राज्य पर छोड़ दी गयी थी कि क्या वे विधान परिषद् चाहते हैं या नहीं चाहते।

श्री स्वैल: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न यह था कि क्या संविधान के निर्माण के बाद सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इन परिषदों की आवश्यकता है या नहीं है ?

श्री गोविन्द मेनन: अपनी-अपनी राय है।

श्री स्वैल : उनकी क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : यहाँ पर राय व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Sheo Narain : Whether it is a fact that during the last 20 years, since the promulgation of this Constitution some States have been asking for abolition of Upper House? Will the Hon'ble Minister be pleased to state that any request of this type has been received by him or not ?

श्री गोविन्द मेनन: माँग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी राज्य की विधान-सभा विधान परिषद को समाप्त करने के बारे में संकल्प पारित करती है तो वह समाप्त हो जाता है।

श्री हेम बरुआ: मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब विधान परिषदें व्यर्थ हैं और उनमें केवल बेकार के राजनीतिज्ञ होते हैं तो क्या सरकार ने उन्हें समाप्त करने के लिये संविधान में संशोधन करने के बारे में विचार किया है ?

श्री गोविन्द मेनन : जिन राज्यों में इस समय विधान परिषदें हैं, उन्हें समाप्त करने का सरकार का अभी कोई विचार नहीं है।

Shri Bhola Nath : Whether Rajasthan Government have asked for Legislative Council in the State?

श्री गोविन्द मेनन; मेरे विचार में राजस्थान का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी: मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद वहाँ विधान परिषद कार्य कर रही है और परिषद के सदस्यों को वेतन तथा भत्ते मिल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय: इसका इस प्रश्न के साथ सम्बन्ध नहीं है। परन्तु जब राजस्थान का प्रसंग चल सकता है तो पश्चिम बंगाल का भी चल सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी: वहाँ पर वे परिषद् बनाना चाहते हैं परन्तु पश्चिम बंगाल में वह पहले से ही है।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ बिल्कुल कोई सम्बन्ध नहीं है। मुख्य प्रश्न संविधान परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ाने के बारे में है।

श्री स० मो० बनर्जी: संवैधानिक त्रुटि के कारण यह स्थिति बनी हुई है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के बाद विधान परिषद का विघटन नहीं हो जाना चाहिये ?

श्री गोविन्द मेनन : मेरे विचार में इसका मुख्य प्रश्न के साथ सम्बन्ध नहीं है।

Shri Gunanand Thakur : Whether Hon'ble Minister will be pleased to State that some State Governments have recommended abolition of Legislative Councils. Whether such a recommendation was made by the United Front Ministry in Bihar ? If so the action taken thereon as Legislative Councils are redundant and money is being wasted.

श्री गोविन्द मेनन : मेरे विचार में ऐसी कोई सिफारिश सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और मद्रास में विधान परिषद् की क्या स्थिति है ? क्या वहाँ पर विधान परिषद की सदस्य संख्या विधान सभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई से कम है और सदस्य संख्या बढ़ाने की उनकी माँग कहाँ तक न्यायोचित है।

श्री गोविन्द मेनन : मद्रास तथा महाराष्ट्र दोनों राज्यों में विधान परिषद की सदस्य संख्या विधान सभा की सदस्य संख्या के एक--तिहाई से बहुत कम है।

कृषि यंत्रों का आयात

*334. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कृषि यंत्रों के आयात पर प्रतिवर्ष कितना धन व्यय होता है; और

(ख) इस बारे में आत्म-निर्भरता होने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) :(क) अनुमान लगाया है कि 1966-67 की अवधि में लगभग 6.95 लाख रुपए की लागत के कृषि उपकरण आयात किए गए थे।

जापानी सहायता से स्थापित किए गए फार्मों में परीक्षण तथा प्रयोगात्मक कार्यों के अतिरिक्त, मानवशक्ति व बैलों द्वारा चलने वाले उपकरणों का विदेशों से आयात नहीं किया गया था। जापानी सहायता से स्थापित किए गए फार्मों के लिए प्राप्त उपकरण जापान की सरकार द्वारा उपहार रूप में दिए गए हैं।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) समस्त महत्वपूर्ण उपकरणों को मानकीकृत किया जा रहा है।

(2) विनिर्माताओं तथा निर्माताओं को सुधरे कृषि उपकरणों के ब्लू प्रिन्ट सप्लाई किए जा रहे हैं।

(3) इससे मामलों में जहाँ उपकरण लाभप्रद सिद्ध हुए हैं परन्तु इस समय जिनका विनिर्माण नहीं किया जा रहा है, विनिर्माताओं को इनके विनिर्माण करने के लिये राजी करने की कोशिश की जा रही है।

(4) सुधरे कृषि उपकरणों जैसे बीज एवं उर्वरक ड्रिलें, गहाई मशीनें, छिलका उतारने की मशीनें आदि को लोकप्रिय बनाने के लिये उनके प्रदर्शनों का प्रबन्ध किया

जाता है। इन प्रयासों से इन उपकरणों की मांग बढ़ जाने के कारण विनिर्माता गण इन उपकरणों के विनिर्माण के लिए तैयार हो रहे हैं।

Shri Y. S. Kushwah : Will the hon'ble Minister be pleased to State the name of the country from where agricultural implements are imported whether their spare parts are also imported? Whether any complaints have been received by the Administration that spare parts of the imported agricultural implements are not made available to the farmers in time and as a result thereof they are put to great difficulty ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने अपने उत्तर का मुख्य भाग पहले ही प्रस्तुत कर दिया है बहुत से यंत्रों का देश में ही निर्माण होता है और हम बहुत कम यंत्र विदेशों से आयात करते हैं। वे अमरीका, जापान आदि कुछ पश्चिमी देशों से आयात किए जाते हैं परन्तु कुल आवश्यकता का बहुत कम भाग होता है।

जहाँ तक उपलब्धता का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि कृषि सम्बन्धी यंत्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता आवश्यकता से कहीं अधिक है। परन्तु कुछ आधुनिक यंत्र है जैसे मोल्ड बोर्ड हल, डिस्क हैरो कल्टीवेटर, 'सीड ड्रिल लेवलर्स' और हारवेस्टर कटबाइनस जो अभी लोकप्रिय नहीं हुए हैं परन्तु उन्हें ट्रैक्टरों आदि के साथ अवश्य जोड़ना होता है और धीरे-धीरे समय आने पर देश के अन्दर ही बड़े पैमने पर निर्माण के कार्यक्रम आरम्भ किए जायेंगे।

Shri Y.S. Kushawah : May I know whether it is a fact that much more cost of tractors imported from Russia is being charged?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्य प्रश्न कृषि यंत्रों के बारे में है परन्तु माननीय सदस्य ट्रैक्टरों के बारे में पूछ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या ट्रैक्टर कृषि यंत्र नहीं है ?

Shri D. N. Tiwary : May I know the extent of installed capacity being used and the present position regarding manufaturing of implements in the country which are being imported at present ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : देश में मुख्यतः गैर-सरकारी क्षेत्र में सैकड़ों कारखाने निर्माण कार्य कर रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें भी इन यंत्रों का निर्माण करती हैं, और कुछ सहकारी संगठन भी यह कार्य कर रहे हैं। जो सहकारी संगठन यह कार्य करते हैं उनको सहायता देने का एक निश्चित ढाँचा बना हुआ है। मेरे विचार में जहाँ तक कृषि यंत्रों का सम्बन्ध है, हमारे देश में उनकी कमी नहीं है।

श्री हा० ना० तिवारी : प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी हैं और प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग कितना किया जा रहा है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस सम्बन्ध में मेरे पास इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या कृषि का यंत्रीकरण करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है और क्या किसानों को आधुनिक तरीकों से परिचित कराने के लिये कोई योजनायें बनायी गयी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री कार्तिक ओराओं : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कितने प्रतिशत कृषि यंत्र आयात किए जा रहे हैं और क्या सरकार ने देश के अन्दर इन यंत्रों का निर्माण करने के लिये सम्भावनाओं का पता लगाया है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले बताया है, हार्वेस्टर कम्बाइन नामक केवल एक महत्वपूर्ण वस्तु का यहाँ पर निर्माण नहीं होता है परन्तु इसका प्रयोग सूरतगढ़ जैसे बड़े फार्मों में होता है। सूरतगढ़ में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। परन्तु हमारे देश में इनकी अधिक माँग नहीं है। डिस्क हल, मोल्ड बोर्ड हल, डिस्क हैरो कल्टीवेटर्स, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर, लेवलर्स आदि देश में पलब्ध हैं। फिर भी यदि कोई कमी हो तो हम वित्त मंत्रालय को आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिये कह सकते हैं। इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री शिवप्पा : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि देश में कृषि यंत्र बनाने वाली सहकारी संस्थाएँ कितनी हैं और देश में कृषि यंत्रों की माँग कितनी है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे विचार में 6 सहकारी संगठन हैं। जहाँ तक माँग का सम्बन्ध है, हमारे पास बाजार के सर्वेक्षण के आँकड़े हैं। कृषि यंत्र सैकड़ों प्रकार के हैं, अतः उनकी माँग के सम्बन्ध में आँकड़े बताना बहुत कठिन है। परन्तु मैंने यह पहले ही बता दिया है कि जितनी माँग होती है वह पूरी हो जाती है।

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार का विचार कृषि यंत्रों के मूल्यों को कम करने का है जिससे ये यंत्र काफी किसानों को उपलब्ध हो सकें ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कृषि यंत्रों के मूल्य अधिक होने के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है। उदाहरण के लिये हल और उनके साथ लगाने वाले यंत्रों के सम्बन्ध में आधुनिकीकरण का कार्य देश में बहुत धीरे-धीरे हो रहा है। हम लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के हल के प्रयोग का प्रचार कर रहे हैं परन्तु हमारे देश में अब भी लकड़ी के हलों का प्रयोग काफी मात्रा में होता है; परन्तु फिर भी हम अपने विस्तार संगठनों के माध्यम से आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में प्रचार कर रहे हैं और मेरे विचार में सबसे बड़ा काम पुरानी परम्पराओं पर काबू पाना है।

Shri Ram Charan : Agricultural implements and their popularisation are necessary for solving the food problem. May I know whether Government propose to introduce a central Scheme or to estaibish a public undertaking so that these implements may be available to large number of farmers at cheaper rates through Government agencies ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने बताया है कि सप्लाई पर्याप्त है। यह सम्भव है और वस्तुओं के मूल्य अधिक होने के साथ-साथ इनके मूल्य भी अधिक हों परन्तु इन निर्माण करने वाले कारखानों को कच्चा माल उचित मूल्यों पर सप्लाई किया जा रहा है।

श्री राजशेखरन : कृषि सम्बन्धी नयी नीति को क्रियान्वित करने के लिये क्या यह आवश्यक नहीं है कि कृषि यंत्रों में सुधार करने के लिये देश में अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जायें ? क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमारे देश में राज्य तथा केन्द्र स्तर पर पहले ही अनुसंधान केन्द्र मौजूद हैं। यदि किसी भी देश में किसी आधुनिक यंत्र का प्रयोग होता है, हम उसे यहाँ लाने का प्रयत्न करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं और यदि हम उसे उपयुक्त समझें तो उसे लोकप्रिय बनाते हैं और उसका निर्माण करने के लिये निर्माताओं को कहते हैं।

Shri Shiva Chandra Jha : I want to know whether any programme has been placed before UNCTAD to the effect that advanced nations of the world should supply the agricultural implements at concessional rates to the countries like India so that India may become self-sufficient shortly ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने पहले ही बता दिया है कि हम कृषि यंत्रों को अपने देश में ही बनाने के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हैं।

Shri Shashibhushan Bajpai : There is great shortage of small tractors in the country. I want to know whether there is any proposal to manufacture small tractors in the public sector itself?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसका इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Rabi Ray : Tractor is also one of the implements.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य विद्युत्चालित हलों और ट्रैक्टरों के निर्माण के कार्यक्रम के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रश्न के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Abdul Ghani Dar : May I know whether it has been brought to the notice of the Government that the agents of the manufacturers of these tractors have taken advance money of Rs.6,000 each from the agriculturists of Gurgaon but they have not got the tractors even after the lapse of two years ; if so, the action taken by the Government ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वह इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न रख सकते हैं।

फसल बीमा योजना

*335. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री गार्डिलिंगन गौड :**

श्री रामचरण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल बीमे सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप पर सभी राज्य सरकारों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संसद् में यह विधेयक कब पेश करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फसल बीमा सम्बन्धी प्रस्तावित ड्राफ्ट बिल के सम्बन्ध में उत्तर कुछ राज्यों से प्राप्त हुए हैं सभी राज्यों से नहीं।

(ख) संक्षिप्त उत्तर सभा के पटल पर रख दिए गए हैं।

(ग) फसल बीमा योजना को वर्तमान रूप में कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की अनिच्छा को देखते हुए सरकार सारे प्रश्न पर विचार कर रही है।

फसल बीमा सम्बन्धी विधेयक के प्रारूप पर राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों का संक्षिप्त विवरण

1. **आंध्र प्रदेश** : राज्य सरकार ने विधेयक के शब्दों में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया था और कुछ तकनीकी प्रश्न उठाये थे। फिर भी वह राज्य में फसल बीमा लागू करने पर सहमत दिखाई देते हैं। वे चाहते हैं कि फसल बीमा योजना को केन्द्रीय योजना के रूप में वर्ष 1968-69 की वार्षिक योजना में शामिल किया जाये तथा राज्य में योजना को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार शत प्रतिशत सहायता दे।

2. **गुजरात** : राज्य सरकार इस उद्देश्य से सहमत है परन्तु महसूस करती है कि योजना के वर्तमान उपबन्ध किसानों को स्वीकार्य नहीं होंगे तथा इन पर व्यवहारिक रूप से कार्य करना सम्भव नहीं होगा। वे महसूस करते हैं योजना को वर्तमान रूप में नहीं चलाया जा सकता और यह काम केवल विशेषज्ञों को ही सौंपा जाना चाहिये। इस योजना पर कार्य करने के लिये जीवन बीमा निगम के सहायक संगठन के रूप में एक अलग संगठन बनाया जाना चाहिये और हानि को कुछ सीमा तक पूरा करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकार में सहमति होनी चाहिए। यदि किसानों को स्वीकार्य हो तो पूर्ण हानि होने पर समूची हानि की क्षतिपूर्ति होनी चाहिये न कि 50 प्रतिशत जैसा कि विधेयक में दिया गया है। अतः योजना के वर्तमान उपबन्धों से इसको लागू करने का विरोध उत्पन्न होगा।

3. **महाराष्ट्र** : राज्य सरकार यद्यपि विधेयक के प्रारूप में दिए गए उपबन्धों से मोटे तौर पर सहमत है तथापि वह महसूस करती है कि पायलट अवस्था में वह योजना को लागू करने में केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में काम करेगी। इस व्यवस्था से सभी 'प्रक्रिया' आदि केन्द्रीय सरकार को दिया जाये तथा सभी व्यय भी केन्द्रीय सरकार को वहन करना होगा।

4. **मैसूर** : योजना में तथा विधेयक में दिए गए उपबन्ध राज्य सरकार को स्वीकार हैं। फिर भी केन्द्रीय सरकार को न केवल पायलट अवस्था में बल्कि बाद में भी 75 तथा 25 प्रतिशत के आधार पर प्रशासनिक व्यय वहन करना चाहिए।

5. **उड़ीसा** : राज्य सरकार समझती है कि योजना लाभदायक है परन्तु वह इसके अन्य राज्यों में लागू होने तक प्रतीक्षा करेगी क्योंकि निश्चित क्षेत्र के किसानों को योजना में भाग लेने के लिये बाध्य करने में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं।

6. **राजस्थान** : यदि भारत सरकार क्षतिपूर्ति का पूर्ण दायित्व लेने के लिये पुनः बीमा करने को तैयार हो तो राज्य सरकार पायलट आधार पर योजना को लागू करने के लिये सहमत है। भारत सरकार द्वारा पूर्ण प्रशासनिक व्यय राज्य सरकार को अनुदान के रूप में दिया जाना चाहिए।

7. **उत्तर प्रदेश** : राज्य सरकार इस समय योजना को लागू करने के पक्ष में नहीं है और वह अन्य राज्यों में पायलट परियोजना के परिणाम जानने चाहेगी।

8. **पश्चिमी बंगाल** : राज्य सरकार फसल बीमा को लागू करने के विचार का स्वागत करते हुए यह महसूस करती है कि यह कदम कुछ अपरिपक्कव है और इसने इस बात पर जोर दिया है कि योजना को लागू करने से पूर्व बहुत-सा प्रारम्भिक कार्य करना होगा।

9. **त्रिपुरा** : सरकार महसूस करती है कि त्रिपुरा में फसल बीमा की पायलट योजना

को धीरे-धीरे लागू करने से खेतिहरों को आमतौर पर बहुत सहायता मिलेगी। वह विधेयक के प्रारूप में दिए गए उपबन्धों से आमतौर पर सहमत हैं।

Shri Yashpal Singh : Had this work been entrusted to the Hon'ble Finance Minister it would have been cempleted uptil now, Now the position is that it is four years since the people have submitted their applications but they have not been certified. The Government employees do not certify unless they are offered something. It is four years since the farmers have submitted their applications but they have not yet been granted loans. I would like to know the steps being taken by the Government to simplify this lengthy procedure ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न फसल बीमा के बारे में है। माननीय सदस्य ऋण देने में विलम्ब के बारे में पूछ रहे हैं।

Shri Yashpal Singh : It is also the responsibility of this Ministry to grant loans to the farmers. The Ministry can remove this difficulty also.

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

Shri Yashpal Singh : I would like to know the States who have replied and also those who have not sent their reply in regard to the crop insurance? If some of them have not replied at all whether the Central Government would take the initiative and bring a Bill to this effect ? The Government consult the States only when they intend to delay the matter otherwise they do the work without consultation.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने पहले ही सभापटल पर वक्तव्य रख दिया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा की सरकारों ने उत्तर भेज दिए हैं। शेष ने अभी उत्तर नहीं भेजे हैं यद्यपि उनको पुनः पत्र लिखे गए हैं। हम फसल बीमा विधेयक को यथासम्भव शीघ्र संसद के समक्ष लाने के लिये बहुत उत्सुक हैं। परन्तु जब तक राज्य अपनी सामान्य सहमति नहीं दे देते तब तक हमारे लिये अग्रेतर कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा।

श्री गार्डिलिगन गोड : अनेक बड़े राज्यों ने अपने उत्तर भेज दिए हैं तब इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार न करने के क्या कारण हैं? क्या इसकी लागत का अनुमान लगा लिया गया है और यदि हाँ, तो कितनी लागत आयेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश सरकारों ने कहा है कि कुछ अन्य राज्यों में तजुर्बा किए जाने के बाद ही वे फसल बीमा को लागू करेंगे। इस विधेयक पर आगे कार्यवाही करने के लिये उन्होंने उत्सुकता नहीं दिखाई है। अन्य राज्य सरकारों का विचार है कि समूचे विधेयक पर केन्द्रीय सरकार को ही कार्यवाही करनी चाहिए। मेरा विचार है कि कृषि एक राज्य विषय है और जब तक राज्य इसमें भाग लेने के लिये तैयार न हों तब तक इसमें कठिनाई होगी। परन्तु फिर भी हम विधेयक पर यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही करने के लिये उत्सुक हैं।

Shri Ram Charan : From the statement it appears that the nine States have sent their views and that they are not prepared for it. Some States have expressed financial difficulties and that they cannot bear the administrative cost of the Scheme. Some States have stated that

Central Government should render 25 or 100 percent assistance to the States. I would like to know why the Central Government itself do not implement it as a centrally sponsored Scheme and bear the 100 prcent cost ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह विचार है कि आरम्भ में इस योजना को कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्र में लागू किया जाये और वहाँ से प्राप्त अनुभव के आधार पर इसको समूचे देश में बढ़ाये जाये। अतः शुरू में इस योजना को राज्यों के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही लागू किया जायेगा परन्तु राज्यों की सहमति के बिना कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा।

Shri Manibhai J. Patel : May I know the number of countries where the crop insurance is in force and also the number of years since when it is in force.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: संयुक्त राज्य अमरीका, श्रीलंका और जापान में महत्वपूर्ण फसलों का बीमा किया जाता है। शेष देशों में व्यापक योजनायें नहीं हैं केवल किसी-किसी अथवा महत्वपूर्ण फसलों का ही बीमा किया जाता है।

श्री कन्डप्पन: माननीय मंत्री ने कहा है कि कृषि राज्य विषय है परन्तु निश्चय ही बीमा राज्य विषय नहीं है, उत्पादन को बढ़ाने के लिये मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या वह राज्यों के परामर्श से इस विधेयक पर अग्रेतर कार्यवाही करने को तैयार हैं। प्रश्न के मुख्य उत्तर से यह पता लगता है कि विधेयक की वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य इस बारे में इच्छुक नहीं हैं और वह डर रहे हैं कि उनके थोड़े से साधनों पर अधिक बोझा न पड़ जाये। इसलिये क्या सरकार राज्यों को यह आश्वासन देने को तैयार है कि वित्तीय बोझ का अधिक भाग वह स्वयं वहन करेंगी।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: 1938 के बीमा अधिनियम के अन्तर्गत यदि राज्य सरकारें यदि कोई योजना आरम्भ करना चाहें तो उन पर कोई रोक नहीं है। राज्य सरकारें स्वयं फसल बीमा योजनायें शुरू कर सकती हैं। योजना को किसी विशेष क्षेत्र में सभी किसानों पर अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के कारण ही केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करनी पड़ती है। यदि केन्द्रीय सरकार कानून बना इसको अनिवार्य घोषित न करे, तब तक राज्यों के लिये इस योजना को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं होगा। स्वेच्छिक आधार पर राज्य सरकारें स्वयं इस योजना को लागू कर सकती हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार: समस्या के दो पहलू हैं—वित्तीय तथा प्रशासनिक। जब माननीय मंत्री पायलट योजना की बात करते हैं तो पायलट यूनिट में फसल बीमा योजना को लागू करने में कम से कम कितनी लागत आयेगी। दूसरे कीटाणुओं, आग तथा अन्य जोखिमों के विरुद्ध फसल बीमा करने में क्या प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने की सम्भावना है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: प्रशासनिक लागत के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। आरम्भ में यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत व्यय वहन करेगी परन्तु इसपर अभी वित्तीय मंत्रालय की मंजूरी लेना शेष है। आग, चोरी आदि से होने वाली हानि के लिये नहीं बल्कि दैवी प्रकोपों से होने वाली हानि के बारे में ही इस योजना को लागू किए जाने

की सम्भावना है। उदाहरण के रूप में बाढ़ें, ओलावृष्ठि, वर्षा, सूखा तथा अन्य दैवी प्रकोपों, जो कि मानव नियंत्रण में नहीं हैं, को योजना के अन्तर्गत लाया जायेगा। यह इसी बात पर निर्भर है कि इस योजना को किन-किन बातों के लिये लागू किया जाता है अतः कोई निश्चित आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: अभी 20 अथवा 30 सदस्य खड़े हैं। क्या यह समय नहीं है जबकि हम अगले प्रश्न पर विचार करें। अगला प्रश्न हरियाणा के चुनाव के बारे में है जोकि सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है।

हरियाणा में मध्यावधि चुनाव

*336. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी : श्री कंवर लाल गुप्त : श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग से प्रार्थना की है कि हरियाणा में मई, 1968 में होने वाले चुनाव आगे किसी और तारीख तक के लिए स्थगित किए जायें;

(ख) यदि हाँ, तो उन दलों के नाम क्या हैं और इन्होंने इसके लिए क्या तर्क पेश किए हैं; और

(ग) चुनाव आयोग ने इस बारे में अन्तिम निर्णय क्या किया है?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri R. S. Vidyarthi : Is it not a fact the the Election Commission have announced to hold elections in Haryana on 5th or 12th May? If so, whether the Government will stick to these dates? Is it not true that the Government will postpone the elections keeping in view the weak position of the Congress in the State ?

Shri Randhir Singh : Congress will win 90 percent seats. We will sweep the polls.

श्री गोविन्द मेनन: चुनाव आयोग ने यह सुझाव दिया है कि हरियाणा में 5 अथवा 12 मई को चुनाव कराये जायें। इस मामले में सरकार की ओर से कोई कमजोरी नहीं है।

श्री बलराज मधोक: इसी समय के लिये अथवा सदा के लिये।

श्री गोविन्द मेनन: इस निर्णय में परिवर्तन करने का हमारा विचार नहीं है।

Shri R. S. Vidhyarthi : May I know whether the Government have issued necessary instructions to the Haryana Government for making necessary arrangements if it is decided by the Election Commission to hold elections on the 5th or 12th May and whether voters list have been prepared and whether the Election Commission have made necessary arrangements for issuing its direction in Hindi ?

श्री गोविन्द मेनन: चुनाव आयोग ने यह बताया है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण 30 मार्च तक हो जायेगा और सुझाई गई तिथियों को चुनाव कराने के लिये सभी कदम उठाये जा रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mid-term elections in Haryana is a prestige issue for all the parties and there is a possibility of some diturbances. I would, therefore, like to know what positive steps are proposed to be taken to prevent misuse of the Government machinery and secondly I would also like to know the recognised parties taking part in these elections?

श्री गोबिन्द मेनन: सरकार का इरादा सरकारी व्यवस्था को कुप्रयोगों के बिना चुनाव कराने का है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने पूछा था कि सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है.....?

अध्यक्ष महोदय: विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये।

श्री कंवर लाल गुप्त: न केवल विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिये बल्कि सरकारी व्यवस्था का कुप्रयोग रोकने के लिये।

श्री गोबिन्द मेनन: मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा इस मामले पर चर्चा करने के लिये कांग्रेस, जनसंघ, विशाल हरियाणा पार्टी, पी० एस० पी०, और संसोपा के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इस समय में यह नहीं बता सकता कि तकनीकी अर्थों में हरियाणा में कौन-कौन से दल मान्यता प्राप्त दल हैं।

श्री वाजपेयी : मंत्री महोदय ने कहा कि 'सरकार का इरादा है'। क्या सरकार की व्यवस्था के कुप्रयोगों को रोकने का सरकार का इरादा है अथवा दृढ़ निश्चय है?

श्री कंवर लाल गुप्त: मैंने पूछा था कि क्या ठोस बुनियादी कार्यवाही की गई है। उन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया।

श्री गोबिन्द मेनन: चुनाव विधि में न्यायोचित तरीके से चुनाव कराने के लिये सभी पूर्वोपाय करने की व्यवस्था है।

Shri Sheo Narain : I would like to know whether the Government will make necessary arrangements so that every voter could reach the respective polling booth without any hindrance.

श्री गोबिन्द मेनन: मुझे आशा है कि प्रत्येक मतदाता अपने पोलिंग बूथ पर पहुँचने में समर्थ होगा।

Shri Rabi Ray : Mid-term elections are going to be held in Haryana. The hon. Minister should agree that the voters lists would be prepared in a proper way. Whether the attention of the Government have been drawn on the statement of former Member of Parliament Shri Rani Ram Baqri that the Congress is trying to enlist 40 thousand bogus votes. If so, the action being taken in the matter and if not, whether they should take care of the said statement or not?

श्री गोबिन्द मेनन: चुनाव आयोग इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है कि मतदाताओं की सूची का उचित ढंग से पुनरीक्षण हो तथा पुनरीक्षण कार्य मार्च के अन्त तक पूरा हो जाये।

Shri Radhir Singh : Is it a fact that the united opposition parties keeping in view their weak position are pressing upon the Central Government and Election Commission through their leaders and office bearers that the elections should not be held in May and that they should be postponed and if so, whether you will categorically state that the Elections will be held in May and that they would not be postponed ?

श्री गोबिन्द मेनन : निश्चित तिथि से हटने का कोई विचार नहीं है।

श्री जोशी प्रभु : क्या मंत्री महोदय सदन को विश्वास दिलायेंगे कि इस मध्यावधि-चुनाव अथवा अन्य सम्भावित मध्यावधि-चुनावों से पूर्व, वह चुनाव आयुक्त द्वारा चुनाव-नियम व संक्रिया के संशोधन से सम्बन्धित सुझावों की जाँच करेंगे तथा यह ध्यान रखेंगे कि नए मध्यावधि-चुनाव इन्हीं सुझावों के अनुसरण में होंगे ?

श्री गोविन्द मेनन : वह मैं एकदम कह सकता हूँ कि चुनाव-नियमों को संशोधित करना सम्भव न होगा तथा साथ ही हरयाणा में मई मास में चुनाव सम्भव न होंगे।

श्री कृष्ण कुमार चैटर्जी : इसका डर है कि हरियाणा के मध्यावधि चुनावों में, उस प्रदेश व अन्य राज्यों में कार्य कर रहे दलों में अहिंसात्मक क्रोध-भावना उत्पन्न हो सकती है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वह वहाँ की स्थिति के प्रति सचेत हैं तथा ऐसे उपयुक्त प्रबन्ध करने को तैयार हैं कि सारी चुनावधि तक कानून और व्यवस्था बनी रहे?

श्री गोविन्द मेनन : कानून और व्यवस्था बनाई रखी जायेगी।

Shri Hukum Chand Kachwai : During these mid-terms elections, many Central Ministers will also go there for party-porpoganda, then, will it be ensured that neither the Government machinery, nor transport, nor the ministerial protfolios are utilised ? If yes, then, will they resign first before going for party propoganda?

श्री गोविन्द मेनन : चुनाव नियमों में ऐसा कुछ नहीं है जो कि दल के नेता को, जो कि संयोग से केन्द्र में मंत्री हो, चुनाव अभियानों में भाग लेने से रोके । परन्तु सरकारी परिवहन का उपयोग करना शायद उचित नहीं होगा और हम उसे उपयोग भी नहीं करना चाहते ।

श्री नाथपाई : हर समय वह अशुद्ध भाषावली का प्रयोग करते हैं। "यह उचित नहीं है" के स्थान पर यह कहते हैं "यह शायद उचित न होगा।" यह अपनी अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह जानते हैं ।

श्री वी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मंत्री महोदय हरयाणा में कोई जाँचकर्ता भेजेंगे जो कि यह पता लगायें कि आम चुनावों और उप-चुनावों में कांग्रेस को छोड़ अन्य तथाकथित दलों ने कितने जाली मत डाले? इसका निश्चय करने के पश्चात् क्या वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस एवम् अन्य दलों सहित कोई भी दल जाली मत न डाल पाये?

अध्यक्ष महोदय : इसका वह अनेक बार उत्तर दे चुके हैं।

श्री प्र० के० देव : मंत्री महोदय के उत्तर से हमें पता लगता है कि राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी से चुनाव-प्रबन्धों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न दलों को आमंत्रित किया गया है । परन्तु उस सम्मेलन में स्वतंत्र दल को नहीं बुलाया गया है। इस सदन में स्वतंत्र दल प्रमुख विरोधी दल है तथा सारे देश में इसके विधायकों की संख्या सर्वाधिक है। स्वतंत्र दल हरयाणा में चुनाव लड़ रहा है। क्या यह उचित नहीं है कि स्वतंत्र दल को भी आमंत्रित किया जाये तथा उसे भी चुनाव के लिये दल-चिह्न प्रदान किया जाये ?

Shri Sita Ram Kesri: Mr. Speaker, as during that last election the elections were fought by arousing communal feelings and castisms, is there any plan to curb those persons who might arouse communal feelings during the forthcoming mid-term elections in Haryana ?

श्री गोविन्द मेनन: इन चीजों को रोकने के लिये चुनाव कानून द्वारा प्रदत्त हर उपाय प्रयोग में लाये जायेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

मैसर्स कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

अ० सू० प्र०

*2. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री बी० चं० शर्मा : **श्री स० मो० बनर्जी**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड कानपुर, जो कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की एक एकक है, फरवरी 1968 में बन्द होने वाली है;

(ख) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में सरकार के 39 प्रतिशत अंश हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस कम्पनी को अपने हाथ में ले लेने का अन्तिम रूप में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास और समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) नहीं महोदय।

(ख) भारत के राष्ट्रपति के पास बी० आई० सी० के 22.21 प्रतिशत अंश हैं। जीवन बीमा निगम इसके पास इस कम्पनी के 16.67 प्रतिशत अंश हैं तथा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के पास .62 प्रतिशत अंश हैं।

(ग) नहीं, महोदय।

(घ) इस एकक को चालू रखने के लिये कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं। समवाय के प्रबन्धकों को भी सलाह दी गई है कि वे इस एकक को चालू अवस्था में रखने के उपायों पर विचार करें।

उन्होंने लिखा था......

"मैंने कुछ वक्त पहले आपको लिखा था.....

श्री पीलू मोदी : क्या माननीया सदस्या ब्लिट्ज से उद्धृत कर रही हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी : जी हाँ, ब्लिट्ज। उन्होंनें लिखा था : "ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन, कानपुर के बारे में कुछ वक्त पहले मैंने आपको खत लिखा था। मैं सोचता हूँ कि यह जरूरी है कि यह निगम गैर सरकारी हाथों में न जाये। मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार और जीवन बीमा निगम के भी हिस्से हैं। इसलिये इस संस्थान को अधिकार में लेना और इसे एक सार्वजनिक

निकाय बना देना मुश्किल नहीं होगा। हमारे फौजी लोगों को बहुत बड़ी तादाद में जूते और ऊनी कपड़े का सामान चाहिये।" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीया सदस्या अनुपूरक प्रश्न कर रही हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मैं केवल इसका उपसंहार भाग पढ़ूंगी। उन्होंने कहा कि यह कारखाना सैन्य साज व सामान, जूते तथा दूसरा साज व सामान बनाता है, जिसके लिये विशिष्ट विशेषताएँ आवश्यक हैं; गैर सरकारी कारखाने इन विशिष्ट विशेषताओं को स्थिर नहीं रखते। मैं उद्धृत करती हूँ —"ऐसी बहुत सी चीज़ें बी० आई० सी० से आती हैं, इसीलिये यह जरूरी और अपेक्षित है कि इसे नियंत्रण में ले लिया जाये और आहिस्ते--आहिस्ते इसे सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाये।" यह मेरा प्रश्न है। भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन् 1962 में इस प्रश्न को उठाया था और बड़े ठोस कारणों पर उसे अधिकार में लेने को कहा था। क्या मैं जान सकती हूँ कि सरकार ने उस दिन से आज तक क्या कार्यवाही की और इस निर्णय में विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

श्री तापड़िया : पहले मंत्री महोदय यह बतायें कि यह पत्र प्रमाणीकृत भी है या नहीं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि अल्प-सूचना प्रश्न केवल मैसर्स कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में था न कि सारी ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के सम्बन्ध में।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बी० आई० सी० का एक अंग है।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें उत्तर देने दें। माननीय सदस्य का नाम है, उनको भी अवसर मिलेगा।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस एकक के बन्द होने का जहाँ तक सम्बन्ध है इसकी अनुमति नहीं दी गई है और इस सम्बन्ध में हम कई बातों पर विचार कर रहे हैं। जहाँ तक मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध है मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीया सदस्या द्वारा बताये गए पत्र को राज्य सभा में किए गए एक प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही उसे सदन के सभा-पटल पर रख चुका हूँ। यदि माननीया सदस्या चाहती हैं कि उस पत्र को इस सदन के सभा-पटल पर भी रखा जाये तो मैं यह भी करने को तैयार हूँ। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस सम्बन्ध में विभिन्न विचार-विमर्श होते रहे हैं और इसके बाद यहां निर्णय हुआ कि इस समय इस सारी एकक को अधीनस्थ करना सम्भव नहीं होगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या यह सत्य है कि सरकार सोवियत रूस के सहयोग से, रायबरेली में जूतों का एक अन्य कारखाना स्थापित करने की कल्पना कर रही है जो कि एक चमड़ा मंडी नहीं होगी और यही कारण है कि सरकार इस कारखाने के बन्द होने की अफवाहों की उस समय तक उपेक्षा करती रही जब तक कि वहाँ के अधिकारियों ने शोर न मचा दिया। इस प्रायोजना पर दो करोड़ रुपए लागत आयेगी जबकि वर्तमान कारखाने पर, जो कि एशिया भर में सबसे बड़ी एकक है, इससे बहुत कम धन व्यय करने से यह एक उत्तम कारखाना बन जायेगा; और यदि ईमानदारी से प्रबन्ध किया जाये तो यह कारखाना प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए का लाभ दे सकता है। इसके विपरीत इस अत्यन्त पुराने कारखाने के बन्द होने

से 3000 लोग बेरोजगार हो जायेंगे जिनमें कि अधिकतर लोग हरिजन और मुसलमान जैसी अल्प संख्यक जाति के हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि सरकार इस कारखाने को अधिकार में लेने का पक्का निश्चय कब तक कर लेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहाँ तक इस कारखाने के बन्द होने का सवाल है, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि यह नहीं होने दिया जायेगा। इस एकक को चालू रखने के लिये अपेक्षित हम हर अनिवार्य कार्यवाही करेंगे। दुर्भाग्यवश, माननीया सदस्या उस समय उपस्थित नहीं थीं, जब मैंने प्रबन्धकों व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा बहुत से संसद-सदस्यों की उपस्थिति में इस विषय पर विचार-विमर्श किया था। वहाँ यह निर्णय हुआ था कि सरकार को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे कि यह कारखाना चलता रहे। दूसरी एकक से सम्बन्धित प्रश्न मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता तथा इस पर विचार योग्यता व अन्य दृष्टिकोणों के आधार पर किया जायेगा।

श्री वी० चं० शर्मा : सरकार के पास यह समस्या सन् 1962 से रही है और कोई पक्का निर्णय लेने तक छः वर्ष बीत गए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि इसका आधार दृढ़ करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं तथा क्या उसने प्रबन्धकों को सुझाव दिए हैं ताकि न तो बेरोजगारी हो, न ही यह उद्योग बन्द हो तथा यह सुचारु रूप से चालू रहे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहाँ तक सरकार द्वारा दिए गए उपायों का सम्बन्ध है, कूपर एलन एककों का सर्वेक्षण एक दल द्वारा कराया था जिसमें समवाय-कार्य विभाग का एक वरिष्ठ लेखा-अधिकारी तथा डी० जी० टी० डी० के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित थे।

सर्वेक्षण दल ने अपनी उपपत्ति में कहा है कि इस कारखाने के द्वारा ठीक परिणाम न दिखाने का कारण उत्पादित चमड़े की किस्म में ह्रास है। उत्पादन लागत में वृद्धि बिक्री के व्यय का बढ़ जाना तथा सेना के लिए सामान का निर्माण करने के लिये आर्डर न मिलना है। इस दल ने यह भी सिफारिश की है कि प्रतिदिन दो हजार जूते बनाने के लिये एक नया उपकरण लगाया जाए। इस कारखाने के पुनर्नवीकरण के लिए आवश्यक उपकरण तथा अयोग्य और फालतू कर्मचारियों की संख्या कम करने, चमड़ा साधने के कार्य में सुधार करने तथा चमड़ा साधने की लागत को कम करने इत्यादि पर प्रत्येक दृष्टि से विचार करके हमने उपर्युक्त इस सिफारिश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की है।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न के उत्तर से ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र रायबरेली में जूता बनाने का कारखाना खोला जायेगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे विचार से जूते के कारखाने कानपुर में ही रहने चाहिये थे, किन्तु राज्य व्यापार निगम रूस को जूतों का निर्यात करने के लिये रूस के सहयोग से रायबरेली में जूते का एक कारखाना खोल रहा है। जबकि रायबरेली में चमड़ा नहीं मिलता। कच्चा चमड़ा कानपुर से भेजा जायेगा।

श्री के० न० कुरील : माननीय सदस्य का कहना गलत है, रायबरेली में बहुत चमड़ा मिलता है।

श्री स० मो० बनर्जी ; चमड़ा सभी जगह मिलता है।

श्री पीलु मोडी : संसद में भी काफी चमड़ा है।

श्री स० मो बनर्जी : चमड़े की कमी नहीं है, वह सभी जगह मिलता है, जानवरों को मरने दीजिये चमड़ा मिलने लगेगा।

मैं कह रहा था कि रायबरेली में चमड़ा नहीं मिलता है। यदि वहाँ पर कारखाना खोल ही दिया जायेगा तो उसके लिये कानपुर अथवा आगरा अथवा दक्षिण में मद्रास से कच्चा चमड़ा मंगाना पड़ेगा, मैं मंत्री महोदय को यह निर्णय लेने के लिये बधाई देता हूँ कि यह कारखाना बन्द नहीं किया जायेगा किन्तु चूंकि इस कारखाने का पुनर्नवीकरण करने की आवश्यकता है और इस कारखाने में व्यवस्था ठीक नहीं है अतः मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इसके प्रशासन को अपने हाथ में लेकर निर्यात के उद्देश्य से तथा देश में खपत के लिए इस कारखाने का विकास क्यों नहीं करती। यही मेरा मुख्य प्रश्न है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहाँ तक इस यूनिट के बन्द किए जाने का प्रश्न है; मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि इसे बन्द नहीं किया जायेगा जहाँ तक राज्य व्यापार निगम अथवा किसी अन्य मंत्रालय के अन्तर्गत एक नए यूनिट को खोलने का सम्बन्ध है, इसके लिए कई बातों पर विचार करना पड़ेगा। मेरे लिए इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है क्योंकि यह विषय मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या मुझे आपका मार्ग प्रदर्शन प्राप्त हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा प्रश्न पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं केवल अपने मूल प्रश्न को दोहराऊँगा। मैं केवल आपके मार्ग दर्शन की अपेक्षा करता हूँ। हमने सोचा था कि यह सरकार एक है। यह विशेष प्रश्न अर्थ-व्यवस्था के हित में है, आज श्री मोरारजी भाई आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहे हैं जो अर्थ व्यवस्था को कई प्रकार से प्रभावित करेगी। रायबरेली में एक अन्य यूनिट खोला जा रहा है जिसमें कुछ लोगों को रोजगार दिया जायेगा जो निर्वाचनों में प्रधान मंत्री के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। मैं कानपुर में एक और अलग यूनिट (unit) नहीं चाहता। यह कानपुर में सबसे पुराना यूनिट है और यदि इसमें 50 लाख या 60 लाख रुपए खर्च किए जायें तो यह बहुत शानदार यूनिट बन जाएगा। देश की अर्थ व्यवस्था तथा कल्याण की दृष्टि से क्या यह हितकर है कि इस कारखाने के पुनर्नवीकरण की योजना अपेक्षा रायबरेली में एक जूते का कारखाना खोला जाय ? माननीय मंत्री अथवा वित्त मंत्री इसका उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

Shri Y. S. Kushwah : Will the Hon. Minister be pleased to state the loss suffered by this factory in 1965-66 and 67 and why there is a loss when there is a management staff over which 12 lacs of rupees are spent. Whether Government have tried to know this fact?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : वर्ष 1965 में 54.47 लाख रुपए का घाटा हुआ और 1966 में 33.62 लाख रुपए का। वर्ष 1967 मे 31, अक्तूबर तक लगभग 31 लाख रुपए का घाटा

हुआ। जिन कारणों से यह घाटा हुआ वे मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस घाटे का विशेष कारण यह था कि सेना के जूतों के लिए आदेश कम आए जिससे कम्पनी लाभ न कमा सकी। वर्ष 1963 में जबकि सेना के जूतों के लिए पर्याप्त आदेश आए, तब 4.29 लाख रुपए का लाभ हुआ था।

श्री काशी नाथ पाण्डेय : ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में लोक निधि का 39.7 प्रतिशत शेयर के रूप में है और इसकी सरकार ने देखभाल करनी है। इस तथ्य के होते हुए भी वहाँ 1½ करोड़ रुपए का माल जमा है और सरकार द्वारा उसपर कोई नियंत्रण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कारखाना बन्द होने की स्थिति में पहुँच गया है जिससे 3500 कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि वे इस बात में रुचि ले रहे हैं कि कारखाना चलता रहे। क्या मैं जान सकता हूँ कि भविष्य में कौन सी सावधानियाँ बरती जायेंगी जिससे फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : समवाय कानून के अन्तर्गत सरकार का नियंत्रण उन अनियमितताओं पर रहेगा जो समवाय करेगा जहाँ तक समवाय के दिन-प्रतिदिन के काम का सम्बन्ध है यह पूर्णत: समवाय के निदेशकों के बोर्ड के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें पर्याप्त संख्या में सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति भी की जाती है और यह उन्हीं का कार्य है कि इस बात की जाँच करें और यह विचार करें कि यह माल किस प्रकार बेचा जाए जिससे कि 1½ करोड़ रुपए की इतनी बड़ी राशि का माल पड़ा न रह जाए

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड (Cooper Allen Co, Ltd.) के संयंत्रों के आधुनिकीकरण पर क्या लागत आएगी और आधुनिकीकरण से क्या लाभ प्राप्त होगा?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे अभी वे आँकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे बताया गया है कि यह केवल सरकार द्वारा इसके नियंत्रण का प्रश्न नहीं है बल्कि कई पार्टियों ने रुचि दिखाई है कि उपकरणों के थोड़े बहुत संतुलन तथा व्यवस्था में सुधार करने पर यह कम्पनी लाभ पर चल सकती है। हम उन विभिन्न सुझावों पर विचार कर रहे हैं जो हमारे सम्मुख हैं।

श्री हिम्मतसिंहका : जैसा कि कम्पनी बहुत घाटे पर रही है, क्या यह सत्य है कि कम्पनी ने बिना लागत के इसको (कम्पनी को) सरकार को सौंप देने के लिये कहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उस सुझाव पर विचार करेगी अथवा इस बात की अनुमति दे देगी कि वह इसे दूसरी कम्पनी को बेच दे जो इसे खरीदने के लिये तैयार है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सत्य नहीं है कि कम्पनी ने इसको (कम्पनी को) बिना लागत के सौंप देने के लिये कहा है। जो उन्होंने कहा है, वह यह है कि वे उस भूमि को सौंप देंगे जो कि सरकारी भी है। बहुत सी अन्य शर्तें भी हैं यदि माननीय सदस्य उनको अच्छी प्रकार देखें तो उन्हें विश्वास हो जायेगा कि यदि सरकार उसे ले ले तो उसपर एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व आ जायेगा। विशेषकर 1½ करोड़ रुपए के माल का जिसका कि हम मूल्य भी नहीं जानते और यहाँ तक कि बैंक ने इसकी कीमत को 6 लाख रुपए कम कर दिया है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या मंत्री महोदय सभा को यह सूचित करने की कृपा करेंगे कि कम्पनी के प्रबन्धकों ने सरकार से कितनी वित्तीय सहायता माँगी है और इस यूनिट को चालू रखने के अपने निर्णय को दृष्टि में रखते हुए इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है उससे कोई सहायता नहीं माँगी गयी है। उन्होंने हमारे पास अपने प्रतिनिधि भेजे कि हम उन्हें अनुमति दें कि वे कम्पनी को बाटा (Batas) को बेच दें लेकिन हमने कहा कि यह उचित नहीं होगा क्योंकि इससे एक कम्पनी को एकाधिपत्य प्राप्त हो जाएगा और उस कम्पनी द्वारा कमाये गए लाभ का हमारे देश से दूसरे देशों को अपसरण हो जायेगा। और भी अन्य सुझाव हैं जिनपर देश को अधिक लाभ पहुँचाने की दृष्टि से विचार किया जा सकता है।

Shri Tulsidas Jadhav : It is a practice in factories that in the event of closure of factories the management should provide help to the workers.

Shri F. A. Ahmed : We had discussion with management and labour representatives for providing work to the people there. We want that the factory should continue working and there should be no unemployment there.

Shri N. S. Sharma : I want to know whether it is a fact that B. I. C. has submitted some new proposals for the improvement of Allen Coper ; if so, the details of the proposals ?

I want to thank the Hon. Minister because he did not allow the factory being closed down. There are two alteratives . First the Government should take it over or Labour Union Co-operative should run it. A decision should be taken in this regard as early as possible.

Shri F. A. Ahmed : Our Survey Team has conducted the enquiry. I have brought the remedial measures to the notice of all during the discussion. If they accept all the recommendation, they can run it efficienly. The meeting of the new Board is likely to take place shortly. We want to know about its decisions. They wanted to sell this Compay to Tatas. Then it was said that it can be taken over by Co-operative or it can be taken over by the S. T. C. All these are under our consideration.

Shri Hukum Chand Kachwai : The cause of loss in this is that we pay higher price for the raw material i. e. chemicals. Secondly we pay higher commission. May I know whether Government will take action to set these things right? What action is being taken to clear the foreign orders ?

Shri F. A, Ahmed : We would consider the suggestions of the Hon. Member. I would at the same time say that we want our Defence Department to increase its demand of boots and purchase it from us. Small scale Industries are also engaged in this work. We have to watch the demand and supply position.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 1965 से 1967 तक प्रतिवर्ष 30 लाख रुपए की हानि हो रही है। इस फैक्टरी के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इसके घाटे से बचने के लिये सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती? इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? क्या इस ओर तभी ध्यान दिलाया गया है जब ये बन्द होने को थी?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: जी नहीं। सरकार ने उससे पहले सर्वेक्षण दल की नियुक्ति की थी। उसकी रिपोर्ट हमारे समक्ष है। उस पर विचार हो रहा है।

श्री विक्रम चन्द महाजन: माननीय मंत्री ने कहा है कि 1.5 करोड़ रुपए का स्टाक पड़ा है जोकि एक दायित्व है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्टाक के आंकने की पद्धति क्या है और यह दायित्व कैसे हैं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: मैं कह रहा था कि और भी दायित्व हैं। इस स्टाक पर उन्होंने बैंक से ऋण लिया है। यदि सरकार इसे अपने हाथ में ले तो उसे पहले बैंक को इस बारे में भुगतान करना होगा।

Shri B. N. Kureel : Shrimati Sucheta Kripalani is not interested in Kanpur factory. She is not interested in new factory being opened in Rae Barelly. She had promised that a factory would be opened there. Sri Banerji has said that leather is not available there. It is not correct. Leather worth one core is exported from there every year. I want to know whether this proposal of factory would set up or not?

Shri F. A. Ahmed : That is not before me at present and neither I have any proposal of its closing.

श्रीमती सुचेता कृपालानी: यदि रायबरेली में एक और फैक्ट्री स्थापित की जाती है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। परन्तु कानपुर वाली फैक्ट्री बन्द नहीं की जानी चाहिये। (व्यवधान)

श्री लोबो प्रभु: क्या मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि फैक्ट्री में गड़बड़ मुख्यतः मजदूरों की ओर से है और यह फैक्ट्री अलाभप्रद हो गई है। यदि हमारे मजदूर प्रतिनिधि सहयोग दें तो फैक्टरी ठीक प्रकार से चल सकती है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: सर्वेक्षण दल ने यह भी सिफारिश की है कि अकुशल और फालतु कर्मचारियों की कमी कर दी जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत सेवक समाज

*332. श्री यज्ञदत्त शर्मा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 18 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सेवक समाज द्वारा धन का दुरुपयोग किए जाने के बारे में उसके विरुद्ध लगाये गए आरोपों की जाँच करने के लिये वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कोई जाँच समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) कितने राज्यों ने भारत सेवक समाज को सहायता देना बन्द कर दिया है और किन कारणों से?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) : व्यय विभाग ने सलाह दी है कि शायद एक समिति स्थापित करनी पड़े। यह सुझाव विचाराधीन है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विकासशील देशों के लिये खाद्य सहायता

*337. **डा० रानेन सेन** : क्या खाद्य, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्बन्धी दूसरे सम्मेलन के लिए, जो इस समय दिल्ली में हो रहा है खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह 19 से 20 वर्षों के लिए खाद्य सहायता जारी रखें; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास संबंधी सम्मेलन में विचार किए जाने वाली विश्व खाद्य समस्या के विषय में खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक पेपर प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित बात का उल्लेख किया गया है, "विशेषकर आगामी 10 से 20 वर्ष की अवधि बड़ी महत्वपूर्ण है।

आबादी की वृद्धि की दर पर परिवार नियोजन के उपायों को अधिक प्रभावशाली बनने से पूर्व इतनी अवधि आवश्यक है। यह वह समय है जिसकी सम्भवतः विकासशील देशों में पूर्ण उन्नति के लिए कृषि-क्रान्ति के लिए आवश्यकता होगी। इस अवधि में विदेशी सहायता की, जिसमें खाद्य सहायता भी शामिल है, विशेषकर आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) उपरोक्त का सम्बन्ध समस्त विकासशील देशों से है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, 1970-71 के पश्चात् खाद्यान्नों का आयात रियायती दरों पर करने का कोई विचार नहीं है।

चौथे आम चुनावों के बारे में रिपोर्ट

*338. **श्री अंबुचेजियान** : **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री** :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत में चौथे आम-चुनावों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को कहाँ तक स्वीकार किया है?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) और (ख) भारत में चौथे साधारण निर्वाचनों के बारे में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर 15 फरवरी, 1968 को रख दी गई थी।

(ग) रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच किए जाने में और उस पर विनिश्चय किए जाने में कुछ समय लगेगा।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

*339. **श्री हिम्मतसिंहका**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू करने तथा अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मंजूरी सीमा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)

(क) और (ख) : जी नहीं। न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 इस अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 और 2 में निर्दिष्ट अनुसूचित रोजगारों और अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारों द्वारा समय–समय पर जोड़े गए रोजगारों में नियुक्त सभी कर्मचारियों पर पहले से ही लागू है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी में संशोधन करने की व्यवस्था है। इस प्रकार अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी में संशोधन करने और रोजगारों को बढ़ाने की प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

*340. **श्री विश्वनाथ मेनन** : **श्री पी० राममूर्ति** :
श्री रमानी : **श्री गार्डिलिंगन गौड** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिम सहायता और मंहगाई भत्ते की अदायगी के बारे में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) व्यवस्थापकों से निर्णय को क्रियान्वित कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) : मजूरी बोर्ड की सिफारिश पत्तन-न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों द्वारा पूर्णतः क्रियान्वित की जा चुकी हैं। परन्तु ठेकेदारों/नौभरकों के सम्बन्ध में अक्रियान्विति के कुछ मामले हैं।

(ग) जब अक्रियान्वित के विवाद ध्यान में लाये जाते हैं तब केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के अधिकारी समझौता कार्यवाही करते हैं। ग्याहर मामलों में विवाद न्यायनिर्णय के लिये भेज दिए गए हैं।

खेतिहर मजदूरों का मजूरी ढांचा

*341. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में खेतिहर मजदूरों के मजूरी ढाँचे को सुधारने के लिये कुछ भी नहीं किया गया ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में खेतिहर मजदूरों के मजूरी ढांचे को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय (श्री हाथी): (क) जी नहीं। न्यूनतम, मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 'सम्बन्धित सरकार' के लिए अनुसूचित रोजगारों में जिनमें कृषि रोजगार भी शामिल है, न्यूनतम मजूरी-दर निर्धारित करना अपेक्षित है। पिछली तीन योजनाओं के दौरान महाराष्ट्र और मद्रास को छोड़ कर ऐसे सभी राज्यों क्षेत्रों के समस्त इलाके में, जहाँ अधिनियम लागू है, कृषि में रोजगार के लिए मजूरी की न्यूनतम दर पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र और मद्रास राज्यों में ये आंशिक क्षेत्र में निर्धारित की गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चौथी योजना के दौरान न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 को अधिक कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिये बल देने का विचार है। इस पर दिसम्बर में हुई न्यूनतम मजूरी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सातवीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया और उसकी सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि—

(i) अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट सभी श्रमिकों को इसके अन्तर्गत लाने की प्रक्रिया को कम से कम समय में पूरा करने के लिये प्रत्येक राज्य के हर भाग में खेतिहर श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जानी चाहिये। इस कार्य को शीघ्र करने के लिए समिति प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

(ii) न्यूनतम मजूरी-दरों में संशोधन थोड़ा और जल्दी किया जाना चाहिये।

(iii) कृषि के मामले में प्रवर्तन मशीनरी सुदृढ़ की जानी चाहिये और इसके साथ साथ राजस्व तथा पंचायत अधिकारियों की सहायता प्राप्त की जानी चाहिये।

गेहूं तथा चावल के वसूली मूल्य

*342. **श्री काशीनाथ पाण्डे**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आने वाले मौसम के लिए गेहूँ और चावल का अधिक वसूली मूल्य निर्धारित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) आगामी मौसम के लिये ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनाज का उत्पादन

*343. **श्री म० ला० सोंधी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि के लिए उपलब्ध धन में से केवल 20 प्रतिशत धन अनाज की उपज बढ़ाने पर व्यय किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना का विभिन्न स्तरों पर पुनरीक्षण करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं जिससे अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन हो सके?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) : कृषि के लिए उपलब्ध धन में से अनाज की उपज बढ़ाने पर की गई राशि की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई ठीक दित्ता उपलब्ध नहीं है। कुल कृषि क्षेत्र के तीन-चौथाई भाग में और मुख्य फसलों की कुल उपज की दो-तिहाई भाग में अनाज की पैदावार का हिसाब लगाया जाता है। अतः आशा है कि कृषि के लिए निर्धारित धन की अधिकांश राशि अनाज की उपज बढ़ाने में खर्च की जाती है। साथ ही कृषि विकास के लिए नई नीति के अन्तर्गत अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के भाग के रूप में अनाज के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

कीटनाशक दवाइयों के लिये राज-सहायता

***344. श्री नायनार: श्री अ० क० गोपालन :**
श्री रमानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कीटनाशक दवाइयों के लिए राज-सहायता देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका इनके मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) कीटनाशक दवाइयों के लिए सामान्य उपदान देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होते।

विद्युत-चालित संगणक (इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर)

***345. श्री वीवीकन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत्-चालित संगणक लगाने से कर्मचारियों और श्रमिकों में औद्योगिक असंतोष बढ़ जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ जायेगी; और

(ग) इस बात के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि ऐसे संगणक लगाने से बेरोजगारी की समस्या और न बढ़ने पाये?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)

(क) विद्युत्-चालित संगणक (इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर) लगाने के खिलाफ कुछ विरोध आन्दोलन हुआ है।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह रही है कि इस प्रकार के विद्युत् यंत्र रचनात्मक आधार पर और समाज कल्याण के अनुरूप लगाए जाने चाहियें—इनके लगाने से कोई छंटनी नहीं होनी चाहिये और सभी मामलों में भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें अधिवेशन में बनाई गई अभिनवीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये।

Bharat Swak Samaj

*346. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) Whether the attention of Government has been drawn to the judgment of the Delhi High Court in which the judgment of the lower court reognising Bharat Sewak Samaj as an Industry has been upheld ;

(b) if so, whether Government propose to issue instructions to the Bharat Sewak Samaj to enforce all the labour laws in its working ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) Government have seen a report in the press on the subject and are now awaiting receipt of a copy of the High Court judgment.

(b) and (c) : It is incumbent on all undertakigs to implement the labour laws applicable to them and no particular direction by the Government is necessary.

जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*347. **श्री बलराज मधोक : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के साथ अब तक इस आधार पर भिन्न तरीके से व्यवहार किया जाता रहा है कि किसी दिन वह क्षेत्र फिर वापिस लिया जा सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र के एक भाग में, जिसमें मीरपुर शहर शामिल है, मंगला बाँध बन जाने के कारण पानी भर गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के प्रश्न पर नए सिरे से विचार करने और पुनर्वास के मामले में उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करने का सरकार का इरादा है, जैसा व्यवहार पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के साथ किया गया था ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बा० रा० चव्हाण): (क) और (ग): पुनर्वास के प्रयोजन के लिये, जैसा कि ऋण की मंजूर पूल सम्पत्तियों का हस्तान्तरण तथा किराये तथा ब्याज की छूट के मामले में पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और काश्मीर राज्य के प्रव्रजकों तथा पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यवितयों में किसी भेदभाव का व्यवहार नहीं किया गया है।

जम्मू और काश्मीर राज्य के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र की कानूनी तथा संविधानी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू और काश्मीर के प्रव्रजकों से दावे नहीं माँगे गए थे और छोड़ी गई जायदादों के मूल्य के रूप में मुआवजा नहीं दिया गया था। तथापि, प्रव्रजकों को अनुग्रह-पूर्वक अनुदान के रूप में पुनर्वास सहायता दी जाती है।

(ग) जी, हाँ, जैसी की भारत सरकार को सूचना मिल रही है।

बेरोजगारी अनुदान

***348. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों के नाम विभिन्न रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज हैं, उन्हें बेरोजगारी अनुदान देने के लिये इस बीच अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो बेरोजगार व्यक्तियों को जब तक रोजगार नहीं मिल जाता तब तक वित्तीय सहायता देने के लिये क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) जी नहीं।

(ख) बेरोजगार लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिये, इस समय तक, कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

Co-operative Farming

*349. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the co-operative farming in the country has not achieved the desired result ;

(b) if so, whether Government propose to drop it ; and

(c) if not, the measures proposed to be adopted by Government to make it a success ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Co-operation. (Shri M.S. Gurupadaswamy): (a) No, Sir, the extent of achievement, however, varies in different areas.

(b) Does not arise.

(c) Priority will be given to revitalisation and strengthening of existing societies, and new societies will be organised only in areas offering potential for growth. Stress will be laid on polling of land and joint cultivation. Provision is also to be made for technical guidance and increased financial assistance.

भूमि सुधार

***350. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में भूमि सुधार करने के लिये राज्यों के साथ कोई बातचीत की गई है ;

(ख) किन-किन राज्यों में की सरकारों ने भूमि संबंधी कानून, विशेषकर भूमि की जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले अधिनियम नहीं बनाये हैं, जो तीसरे योजना के अनुसार बनाये जाने चाहिये थे; और

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि सुधार पूरे किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीअन्नासाहिब शिन्दे):

(क) 6-7 जुलाई 1967 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधार सम्बन्धी मामलों पर विचार किया गया। इस बात पर बल दिया गया कि भूमि सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाये ताकि खेती करने वाले पट्टेदार कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में सक्रिय भाग ले सकें।

(ख) और (ग) : विभिन्न राज्यों तथा सब क्षेत्रों में चकबन्दी सहित भूमि सुधार के कार्य में की गई प्रगति और उसमें आने वाली कठिनाइयों को राष्ट्रीय विकास परिषद् के भूमि सुधार कार्यान्वित समिति द्वारा सुधार की कार्यान्वित के समीक्षापत्र में शामिल कर दिया गया है जो कि प्रकाशिति हो चुका है।

चीनी का मूल्य

*351. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के आंशिक विनियंत्रण के बाद खुले बाजार में राज्यवार चीनी के वर्तमान मूल्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस विनियंत्रण के परिणामस्वरूप चीनी कारखानों के मालिकों ने लाखों रुपए कमा लिये हैं और गन्ना उत्पादकों को इस मुनाफे का आनुपातिक लाभ नहीं दिया गया हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) विभिन्न राज्यों मे विभिन्न खपत केन्द्रों पर खुले बाजार में औसत किस्म की चीनी के प्राप्त अन्तिम खुदरा मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 257/68]**

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अकाल और अभाव की स्थिति

*352. **श्री ईस्वर रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अकाल और अभाव से बारबार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की समस्याओं का स्थायी हल निकालने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) इस काम के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्यों को कोई सहायता दी गई है; और यदि हाँ, तो अब तक क्या तथा कितनी सहायता दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : शुरू में मार्गदर्शी परियोजनाओं को आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र मैसूर तथा मद्रास के निरन्तर रूप से सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों से इन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त योजनायें तैयार करने को कहा गया है। शीघ्र ही एक केन्द्रीय दल इनमें से कुछ क्षेत्रों का भ्रमण करेगा ताकि उचित योजनायें तैयार करने के कार्य में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा सके। अनुभव प्राप्त होने पर इस योजना को अन्य राज्यों में भी लागू कर दिया जायेगा।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। बाद में इस राशि को घटा कर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया था। 1968-69 में 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

(घ) जी नहीं।

मन्दी के कारण बेरोजगारी

***353. श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री रा० बरुआ :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाल में आई मंदी के कारण कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, और

(ख) इससे उत्पन्न हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) आर्थिक मन्दी के परिणामस्वरूप बेरोजगारी, यदि है तो, सम्बन्ध में यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 20 लाख से 1 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का अपुष्ट अनुमान लगाया था। इसके बाद बेरोजगारी की स्थिति का अनुमान उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह सम्भव है कि, नियुक्ति अवसर पैदा करने वाले सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली आर्थिक गतिविधियों में मंदी आने के कारण, बेरोजगारी की इस स्थिति में 1966-67 और 1967-68 के बीच कुछ और गिरावट आ गई हो।

(ख) सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और इंजीनियरों जैसे कुछ विशेष वर्गों की स्थिति को सुधारने के साधनों का बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया जा रहा है। अच्छी फसल के फलस्वरूप आर्थिक सुधार और 1969 में आरम्भ होने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना के अधीन विकास कार्यक्रम में आने वाली तेजी के फलस्वरूप, आशा है, नियोजन स्थिति में सुधार होगा।

तारों का विलम्ब से वितरण

***354 श्री सीता राम केसरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में तारों के विलम्ब से वितरण अथवा वितरण न होने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या विलम्ब से तारें वितरित होने के कारणों का पता लगाने और स्थिति को सुधारने के लिये कोई जांच कराई गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में निपटाये गए कुल परियात के अनुपात में कितनी प्रतिशत शिकायतें प्राप्त हुईं, इसके आँकड़े नीचे दिए गए हैं—

	वितरण में हुई देरी	वितरण न होना
1965	.034	.037
1966	.031	.031
1967	.029*	.037*

*(30-9-67 तक के आँकड़ों पर आधारित)

(ख) तारों का संचारण होने में देरी के कारणों का लगातार अध्ययन होता रहता है और स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। प्राकृतिक कारणों के अलावा ताँबे के तार की चोरी हो जाना भी तार परिपथों में गड़बड़ी होने का एक मुख्य कारण है। जिन क्षेत्रों में अक्सर चोरी होती रहती है वहाँ ताँबे के तार के स्थान पर ताँबे से झला तार लगाने की कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न स्थितियों में तारों के निबटान में होने वाली देरी को कम करने के कदम भी उठाये जा रहे हैं।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम

*355. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भाण्डागार निगम को बन्द करने का है क्योंकि इस निगम में बार-बार घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) और (ख) : केन्द्रीय भाण्डागार निगम के अब तक के कार्यों को देखते हुए यह प्रश्न कि क्या उन्हें फिलहाल ऐसे ही कार्य करने दिया जाय अथवा उनके कार्यों को कुल या आंशिक रूप में किसी अन्य संगठन को हस्तान्तरित कर दिया जाय, अभी भी सरकार के विचाराधीन है और इसके सम्बन्ध में निकट भविष्य में निर्णय होने की सम्भावना है।

कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य को स्थिर करना

*356. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करने के लिये सरकार ने कोई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) : कृषि जिन्सों के मूल्यों में स्थिरीकरण सम्बन्धी नीति में ये उपाय भी शामिल हैं—न्यूनतम सहाय्य तथा उपलब्धि मूल्यों का निर्धारण, आयात तथा निर्यात व्यापार का नियमन, उपलब्धि तथा वितरण, मध्यवर्ती स्टाक कार्य, लाने ले जाने तथा स्टाकिंग का नियमन, ऋण नियन्त्रण और अग्रिम व्यापार का नियमन।

आन्तरिक संचार उपग्रह

*357. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े नगरों के बीच अन्तरिक्ष युगीन रेडियो, टेलीफोन और टेलीविजन संचार व्यवस्था करने के लिये भारत के मध्य भाग के ऊपर आन्तरिक संचार उपग्रह स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या इससे भारत के सभी बड़े नगर सीधे डायल घुमा कर ट्रंककाल करने वाली सामान्य पद्धति के अन्तर्गत आ जायेंगे; और

(ग) इस पर भारत का कितना व्यय होगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल):

(क) जी नहीं। फिर भी शैक्षिक टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए एक आन्तरिक संचार उपग्रह प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव यूनेस्को के विचाराधीन है। यदि इस प्रणाली में कोई फालतू क्षमता बची रहेगी तो आन्तरिक ट्रंक टेलीफोन परिपथों के लिए उसका इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(ख) यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित उपग्रह प्रणाली से राष्ट्रीय ट्रंक उपभोक्ता डायलिंग सेवा के लिए आवश्यक कुछ परिपथ मिलने में सहायता मिल सकती है। फिर भी इससे सार्वदेशिक ट्रंक डायलिंग प्रणाली पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ग) इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरणों का पता नहीं है।

रबी की फसल के सम्बन्ध में कृषि मूल्य आयोग

*358. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने रबी की फसल के लिये मूल्यों का निर्धारण कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) : 1968-69 के विपणन मौसम हेतु रबी फसल के न्यूनतम सहाय्य मूल्यों के संबंध में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हुई थीं और सरकार ने उन्हें अपनी स्वीकृति दी थी। आशा है कि अगले मौसम के लिये अधिप्राप्ति मूल्यों के संबंध में आयोग की सिफारिशें मार्च के प्रारम्भ में प्राप्त होंगी। सिफारिशों के मिलने पर ही सरकार उसपर निर्णय करेगी।

माइलो का आयात

*359. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आगामी तीन महीनों में रुपए में भुगतान के आधार पर 1,72,000 मीट्रिक टन माइलो खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह आयात इन सरकारी प्राक्कलनों के अनुरूप है कि इस वर्ष 95 मिलियन मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन होगा; और

(ग) यदि हाँ, तो अनाज के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये किये जा रहे प्रयत्नों के संदर्भ में इतनी भारी मात्रा में अनाज खरीदने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका से माइलो की सप्लाई पी० एल० 480 करार के अनुपूरक करार दिनांक 80 दिसम्बर, 1967 के अधीन प्राप्त हो रही है। इस करार में ३० लाख मीटरी टन गेहूँ और 5 लाख मीटरी टन माइलो जिसका लदान जून, 1968 के अन्त तक होना है, की सप्लाई की व्यवस्था है। इस करार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने अब तक कुल 4.82 लाख मीटरी टन माइलो के लिये क्रय-प्राधिकार जारी किया है। इसमें 5 फरवरी, 1968 को 172,000 मीटरी टन माइलो के लिये जारी किया गया क्रय-प्राधिकार भी शामिल है। कुल 4.82 लाख मीटरी टन माइलो में से लगभग 3.82 लाख मीटरी टन माइलो खरीदी जा चुकी है। इस माइलो का मूल्य रुपयों में अदा किया जाना है।

(ख) और (ग) : 1968 के लिये सभी खाद्यान्नों के आयात का लक्ष्य 75 लाख मीटरी टन है। यह लक्ष्य इस वर्ष भारत में अच्छी फसल की संभावनाओं को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है। ये खाद्यान्न न केवल चालू खपत के लिये प्रयुक्त किए जायेंगे बल्कि बफर स्टाक भी तैयार किया जाएगा। 75 लाख मीटरी टन में से लगभग 7 लाख मीटरी टन माइलो के आयात किए जाने की आशा है।

भारत सेवक समाज की विदेशी संगठनों से सहायता

*360. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किन्हीं विदेशी संगठनों ने भारत सेवक समाज को बड़ी मात्रा में धनराशि दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं और किस कार्य के लिये धनराशि दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०— 258–68)**

Cultivation of Land in Chambal Valley

2158. **Shri O.P. Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have written to the Governments of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to level the cultivable land in the Chambal River Valley in order to augment food production ; and

(b) if so, the reaction of State Governments thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annashib Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

फलों तथा मछलियों के लिये शीतागार की सुविधाएँ

2159. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में व्यापारिक आधार पर फलों तथा मछलियों के लिये शीतलीकरण तथा शीतागार की कितनी सुविधाओं की व्यवस्था की है तथा कहाँ-कहाँ पर और प्रत्येक यूनिट की क्षमता क्या है;

(ख) इसमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है और प्रतिवर्ष देख-रेख पर कितना धन व्यय होता है और गत तीन वर्षों में सरकार को इससे प्रतिवर्ष कितना मुनाफा हुआ है; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा व्यापारिक आधार पर कितने शीतलीकरण तथा शीतागार एकक स्थापित किए गए हैं और वे कहाँ-कहाँ स्थापित किए गए हैं और उनके छै मुख्य मालिकों के नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) गैर सरकारी क्षेत्र में व्यापारिक आधार पर फलों (जिसमें सब्जियाँ शामिल हैं) तथा मछलियों के लिए लाइसेंसयुक्त शीतलीकरण तथा शीतागारों की संख्या, स्थान तथा क्षमता प्रदर्शित करने वाला एक विवरण परिशिष्ट 1 के साथ संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 259-68]**

(ग) गैर सरकाली क्षेत्र में व्यापारिक आधार पर स्थापित किए गए लाइसेन्सयुक्त शीतागार एककों का स्थान तथा संख्या प्रदर्शित करने वाला एक विवरण परिशिष्ट 2 के साथ संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 259/68]** शीतागार आदेश, 1964 के अधीन गैर-सरकारी शीतागारों को नियंत्रित करने वाले स्वामी, भागीदारों, निर्देशकों, स्वामी आदि के नाम बताना उचित नहीं है । अतः भारत में शीतागारों को नियंत्रित करने वाले मुख्य छः स्वामियों के नाम उपलब्ध नहीं है।

डिब्बों में मछली भरने वाले कारखाने

2160. **श्री बाबूराव पटेल :** क्य **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डिब्बों में मछली भरने वाले और गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों के नाम क्या-क्या हैं तथा वे कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे छः प्रमुख कारखानों के मालिकों के नाम क्या हैं;

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक कारखानें में प्रति वर्ष कितना और कितने मूल्य का उत्पादन होता है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष ऐसे प्रत्येक कारखाने को निर्यात से कितनी आय हुई तथा यह आय किन-किन देशों से हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खाद्य तथा आचार डिब्बों में पैक करने वाली कम्पनियां

2161. **श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्य तथा आचार के डिब्बों में पैक करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और वे कहाँ-कहाँ हैं और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक कम्पनी की प्रतिवर्ष कितने रुपए की बिक्री हुई है; और

(ख) इन टिनों के पैकिंग में स्वास्थ्य तथा सफाई के स्तर को बनाये रखने तथा उसकी देख-भाल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) देश में फल तथा सब्जी विधायन यूनिटों के मूल्य तथा उत्पादन के 1964, 1965 और 1966 के तीन वर्षों के राज्यवार आँकड़े बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 260/68]**

लेकिन 1967 के अन्त तक जिन फल तथा सब्जी विधायन यूनिटों को लाइसेंस दिए गए थे उनकी संख्या 1045 है। यदि प्रत्येक यूनिटों के नाम तथा पते और उनकी बिक्री की लागत की विस्तृत सूची तैयार की जाए तो उसके लगभग 70 पृष्ठ बनेंगे और इसका संकलन करने में जितना श्रम लगेगा उसके परिणामों से उतना लाभ नहीं होगा।

(ख) भारत सरकार ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत फल उत्पाद आदेश, 1955 जारी किया है जिसके अधीन लाइसेंसधारी को कुछ विशिष्ट सफाई सम्बन्धी शर्तों का पालन करना पड़ता है और तैयार माल को आदेश में उल्लिखित निर्दिशिष्टियों के अनुरूप होना चाहिये। फील्ड कर्मचारी निश्चित अवधि के बाद लाइसेंस शुदा कारखानों का निरीक्षण करते हैं और उन्हें इस आदेश के अधीन यह अधिकार भी प्राप्त हैं कि वे जहाँ कहीं आवश्यक समझें उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं। केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्वतंत्र विश्लेषण के लिये कारखानों तथा मंडियों से अकस्मात् नमूने (रेंडम सैंपल) भी एकत्रित किए जाते हैं।

अंदमान और निकोबार द्वीप-समूहों में कार्मिक संघ

2163. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप-समूहों में इस समय काम करने वाले विभिन्न कार्मिक संघों के नाम क्या हैं;

(ख) 31 मार्च, 1967 को प्रत्येक कार्मिक संघ की सदस्य संख्या क्या थी;

(ग) क्या इन कार्मिक संघों के लेखे तैयार किए गए हैं और उनकी लेखा-परीक्षा की गई है; और

(घ) क्या ये कार्मिक संघ कार्मिक संघ अधिनियम और/अथवा अन्य कार्मिक संघ विधान के अन्तर्गत अन्य उपबन्धों का पालन करते आ रहे हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख) : एक विवरण, जिसमें 31-3-1966 तक की सूचना दी गई है,

संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 261/68]। 31-3-1967 को सदस्यों की संख्या क्या थी, इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) दो यूनियनों को छोड़कर, 1966 के कैलेंडर वर्ष के लेखे तैयार किए जा चुके हैं और उनकी लेखा-परीक्षा हो गई है।

(घ) जी हाँ। परन्तु वे,प्राय: कार्मिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 28 के अन्तर्गत अपेक्षित वार्षिक विवरणियां निर्धारित तारीख तक नहीं भेजते।

चीनी उद्योग का विकास

2164. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों में चीनी उद्योग के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और बिहार तथा उत्तर प्रदेश में उसके विकास में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार तथा उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की बिगड़ती हुई दशा को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :
(क) से (ग) : महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थापित क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। यह बढ़ोत्तरी कुछेक कृषि-जलवायु तत्वों के अनुकूल होने के कारण महाराष्ट्र में अधिक देखी गयी है। सूखे की स्थिति रहने से गन्ने की कमी के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल ही में चीनी के उत्पादन को धक्का पहुँचा है। इस स्थिति में अगले वर्ष सुधार होने की सम्भावना है।

निजामाबाद (आंध्र प्रदेश) में केन्द्रीय भाण्डागार

2165. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में निजामाबाद और बोधन में हाल ही में कितने भाण्डागार बनाये गये, उनकी क्षमता कितनी है और उन पर कितनी लागत आई है;

(ख) क्या निज़ामाबाद स्थित भारतीय खाद्य निगम इन गोदामों की पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है; और

(ग) इन गोदामों में अनाज रखने के लिये कितना किराया लिया जाता है अथवा हिसाब में जोड़ दिया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क)	संख्या	भाण्डागार क्षमता मीटरी टन में	अनुमानित लागत रुपयों में
(1) निज़ामाबाद (सारंगपुर)	4	17,500	31.50 लाख

(2) बोधन	4 केवल भारतीय खाद्य निगम के प्रयोग के लिये बनाये गये।	20,000	36.00 लाख
(3) निज़ामाबाद	3 भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त अन्य विभिन्न जमा करने वालों जैसे सहकारी समितियाँ, उत्पादक, व्यापारी आदि के प्रयोग के लिये सामान्य भाण्डागार।	5,300	8.50 लाख

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने ऊपर दिये गये क्रम संख्या (1) और (2) पर दिये गये गोदामों के पूर्णतः प्रयोग के लिये गारंटी दी हुई है। जनवरी, 1968 के अन्त तक ऊपर दिये गये क्रम संख्या (3) के गोदामों के भाण्डारण स्थान का 99 प्रतिशत प्रयोग किया गया।

(ग) उस गारंटी के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को निज़ामाबाद (सारंगापुर) के गोदामों के लिये 43,750 रुपये प्रति मास और बोधन के गोदामों के लिये 50,000 रुपये प्रतिमास के हिसाब से कुल भण्डारण खर्चा (किराया नहीं) देना पड़ता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गये खाद्यान्नों का विश्लेषण

2166. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम (निज़ामाबाद शाखा आन्ध्र प्रदेश) द्वारा उस क्षेत्र में खरीदे गये खाद्यान्नों के विश्लेषण के लिये उसे क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) इस कार्य के लिये कितने तकनीकी अधिकारी और सहायक उपलब्ध हैं और धान तथा चावल के विश्लेषण का तरीका क्या है;

(ग) क्या विश्लेषण बाजार में खाद्यान्नों की खरीद के समय किया जाता है अथवा बाद में; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि भारतीय खाद्य निगम निज़ामाबाद-शाखा, आन्ध्र-प्रदेश विक्रेताओं की जानकारी के बिना माल खरीदने के कई दिन बाद विश्लेषण करता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) विभिन्न अधिप्राप्ति केन्द्रों पर क्वालिटी कन्ट्रोल स्टाफ नियुक्त किया गया है जो उन क्षेत्रों से खरीदे गये खाद्यान्नों की प्रारम्भिक जाँच तथा विश्लेषण करता है इसके साथ हर प्रकार से सुसज्जित प्रयोगशाला की भी व्यवस्था है जहाँ अन्तिम रूप से विश्लेषण किया जाता है।

(ख) इस प्रयोजन हेतु 22 तकनीकी अधिकारी तथा सहायक उपलब्ध हैं।

धान और चावल के विश्लेषण की ठीक-ठीक विधि इस प्रकार है:--

खरीदे गये माल के दो प्रतिनिधि नमूने जिला प्रयोगशाला को भेजे जाते हैं। दो नमूनों से एक का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के परिणाम के आधार पर संभरकों को अन्तिम भुगतान किया जाता है। धान और चावल दोनों का वस्तुगत विश्लेषण किया जाता है।

निर्दिष्टियों में दिए गए विभिन्न वर्तनों की प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए विश्लेषण किया जाता है। ये निर्दिष्टियां राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये मूल्य नियंत्रण आदेशों में दी गई हैं।

(ग) जहां तक मिल वालों / उत्पादकों तथा लेवी योजना द्वारा खरीदे गये खाद्यान्नों का संबंध है, जिले की प्रयोगशाला में किए गये विश्लेषण के आधार पर स्वीकार करने तथा अंतिम भुगतान करने के बाद विश्लेषण किया जाता है। खुले बाजार में खरीदे गये खाद्यान्नों के बारे में क्वालिटी इन्सपेक्टर उनका मौके पर ही विश्लेषण करते हैं।

(घ) यह बात ठीक नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम, निज़ामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) विक्रेताओं की जानकारी के बिना माल खरीदने के कई दिन बाद विश्लेषण करता है।

Theft of Telephone Wire

2167. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) The number of times telephone-wire was stolen between Bayana and Agra in 1966-67 and 1967-68 ;

(b) The extent of loss as a result thereof ;

(c) The number of cases of thefts detected ;

(d) whether it is a fact that the telephone service between Bayana and Agra mostly remains out of order because of the said thefts ; and

(e) if so, the steps proposed to be taken in the matter ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):

Year	No. of theft cases
(a) 1966-67	9
1967-68	16 (Upto 24-2-'68)
	LOSS
(b) 1966-67	Rs.5,000
1967-68	Rs.13,000

(c) No culprits have been caught in regard to these thefts.

(d) The service is disrupted when the thefts occur.

(e) The following steps hove been taken :

(i) The Chief Ministers of the States have been addressed to direct the Is. G. of Police to take steps to prevent the copper wire thefts.

(ii) The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 is being amended to provide for more severe punishment of culprits.

(iii) The Department is gradually replacing copper wire with copper clad steel (copper-weld) wire. The progress in this behalf, is however, limited on account of shortage of foreign exchange required for importing copper-weld wire.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की खरीद

2168. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों द्वारा घोषित किये गये लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिसम्बर, 1967 से चावल की खरीद के बारे में राज्य-वार कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वितरण के लिये केन्द्रीय सरकार के पास इस समय चावल का कितना स्टाक है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) अधिकांश राज्यों ने 1967-68 में चावल की अधिप्राप्ति के लक्ष्य घोषित नहीं किये हैं। दिसम्बर, 1967 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और धान, चावल के हिसाब से, अब तक वास्तव में अधिप्राप्त मात्राएं इस प्रकार हैं:—

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

राज्य का नाम	**दिसम्बर 1968 अधिप्राप्त मात्रा ।**
आन्ध्र प्रदेश	263
असम	46
मद्रास	68
मध्य प्रदेश	130
पंजाब और हरियाना	165
उड़ीसा	94
पश्चिमी बंगाल	141
पांडिचेरी	2
उत्तर प्रदेश	1

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास 11 फरवरी, 1968 को लगभग 1.75 लाख मीटरी टन चावल का स्टाक था। इसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा वितरण के लिये रखी गयी मात्राएं भी शामिल हैं।

टेलीफोन प्रयोक्ताओं की कठिनाइयां

2169. **श्री देवकीनन्दन पटोदिया : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1967 में 'पीपल्स फोरम' की एक बैठक में दिल्ली में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तारपूर्वक विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में बताई गई टेलीफोन प्रयोगताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी हां।

(ख) इसमें भाग लेने वालों ने कुछ प्रश्न उठाये थे जिनका उत्तर बैठक में ही दे दिया गया था। चूंकि यह बैठक अनौपचारिक थी, अतः विभाग द्वारा इसकी कार्रवाई का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया।

खाद्यान्न का तस्कर व्यापार

2170. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब-दिल्ली-उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का तस्कर व्यापार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पिछले 6 महीनों में कितना गेहूँ पकड़ा गया और कितने तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) से (ग):—सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Seizure of Transmitters

2171. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of such transmitters seized since January 1965 in Madhya Pradesh Uttar Pradesh, Rajasthan, Kashmir, Himachal Pradesh, Orrissa, Bihar, Bengal and Kerala Statewise as were being used for espionage against India ;

(b) the number of persons arrested and prosecuted and awarded punishment respectively and the number of cases pending in the courts in this connection ;

(c) the number of Indian and foreign nationals involved separately ; and

(d) the number of Defence personnel and civilians among them, separately ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) to (d). The information required is being collected from the State Governments concerned and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

विधानमण्डलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य

2172. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1952 में प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या क्या थी; और

(ख) विभिन्न राज्यों में विधान सभाओं और विधान परिषदों में तथा लोक सभा और राज्य सभा में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम):

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की बाबत जनसंख्या के 1952 के आंकड़े उपलभ्य नहीं हैं किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की बाबत 1951 के लिये जनसंख्या के आंकड़े उसी वर्ष की जनगणना रिपोर्ट में उपलभ्य हैं। इन आँकड़ों का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 262/68]

(ख) संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 के अनुसार:--

(1) लोक सभा में 77 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 37 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

(2) विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में 503 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 262 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

(3) राज्य सभा और विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए स्थानों के आरक्षणार्थ कोई उपबन्ध नहीं है। चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए साधारण स्थानों से लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचित किए जाने या राज्य सभा अथवा राज्यों की विधान परिषदों के लिए निर्वाचित किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए विधान सभाओं, विधान परिषदों, लोक सभा और राज्य सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या के बारे में जानकारी उपलभ्य नहीं है।

Angora Breed Farm in Himachal Pradesh

2173. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the area in which Angora Breed Farm in Kulu (Himachal Pradesh) has been established ;

(b) the nature of control exercised by the Central Government ;

(c) the number of persons working there;

(d) the amount spent so far on the import of sheep and goats ; and

(e) the quantity of wool and other raw material exported by the farm so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annashib Shinde): (a) The Angora Breeding Farm has been established at Mohal, in Kulu District of Himachal Pradesh on an area of 57 acres.

(b) It is a private Farm. Under the terms of Programme of collaboration of the farm with Messrs International Angora Breeding Farm, Memmingen (Germany) as approved by the Central Government, the Farm is under obligation to (i) get the rabbits tested by the State Government or their authorised agents as and when necessary (ii) submit report to the Government of India called from time to time.

According to information received from Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh, the Farm is making steady progress.

(c) 25.

(d) The Farm has not imported any sheep or goats. 373 Angora rabbits were imported by the Farm. The exact amount spent on import of these rabbits is not known. An amunt of about Rs.6 lakhs is reported to have been spent on the estalishment of this Farm.

(e) The farm has not so far exported any Angora wool and other raw materials.

ट्रैक्टरों और हैलीकाप्टरों का निर्माण

2174. श्री चन्द्रशेखर सिंह : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने कीटनाशी औषधियां छिड़कने के उद्देश्य से राज्य में ट्रैक्टर और हेलीकोप्टर विमान बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर कितनी लागत लगने का अनुमान है; और

(घ) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लोक-कार्य क्षेत्र

2175. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के मूल्यांकन प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि लोक कार्य क्षेत्र की कोई कार्य सम्बन्धी योजना नहीं है और वे तदर्थ आधार पर काम करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं के कार्य संचालन में सुधार करने के लिये क्या विशिष्ट उपाय करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने अक्तूबर, 1967 में प्रकाशित अपनी 'लोक कार्य क्षेत्र सम्बन्धी मूल्यांकन रिपोर्ट' में कहा है:—

'हमारा विचार यह है कि नमूना क्षेत्रों के इलाकों में गतिविधियों आयोजन अथवा कार्यान्वित की दृष्टि से न तो व्यवस्थित थीं और न नियमित ही। वे अधिकांशत, तदर्थ आधार पर चलाई जाती थीं। केवल 6 क्षेत्रों में कार्याकर्त्ताओं ने बताया था कि उन्होंनें एक प्रकार की कार्य योजना तैयार की है।'

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

मनीपुर का पशु चिकित्सा और पशु.पालन विभाग

2176. **श्री मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग ने 1964 से 1967 तक

उचित मंजूरी लिये बिना मैसर्स फाइजर एण्ड कम्पनी से एक लाख रुपये से अधिक धनराशि की दवाइयां खरीदी थीं;

(ख) यदि हां, तो उस विभाग में कुल कितनी धनराशि की दवाइयां खरीदी थीं तथा क्या उन्होंने कम्पनी को यह धनराशि दे दी है; और

(ग) क्या यह सच है कि कम्पनी ने जो दवाइयां दी थीं वे अधिकतर ऐसी थीं जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी तथा यदि हां, तो क्या सरकार ने इस की जांच की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) जानकारी मनिपुर प्रशासन से इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल रख दी जायेगी।

मनीपुर का पशुचिकित्सा तथा पशुपालन विभाग

2177. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के पशुचिकित्सा और पशुपालन विभाग ने 1 अगस्त 1967 से लेकर 31 अक्तूबर, 1967 की अवधि में पशुओं का राशन खरीदने पर 32,209 रुपए खर्च किए थे;

(ख) उपर्युक्त अवधि में इस विभाग ने कुल कितने पशु पाले हुए थे जिनके लिए यह धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने इस बात की जांच की है कि यह इतनी बड़ी धनराशि किस प्रकार व्यय की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे): (क) से (घ) मणिपुर प्रशासन से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में चावल की वसूली

2178. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अ० क० गोपालन**
श्री प० गोपालन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यवार चावल की वसूली के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा वास्तव में कितना चावल वसूल किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): कृषि मूल्य आयोग द्वारा 1967-68 के लिये राज्य-वार चावल की अधिप्राप्ति के लक्ष्य और अब तक वास्तव में अधिप्राप्त की गयीं मात्राएँ बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 263/68]

केरल स्थित भारत-नार्वे परियोजना के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

2179. **श्री एस्थोस :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री नायनार :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल को भारत-नार्वे परियोजना के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता अथवा मकान किराया भत्ता नहीं मिलता ;

(ख) क्या सरकार का एर्णाकुलम स्थित भारत-नार्वे परियोजना के अराजपत्रित कर्मचारियों की एसोसिएशन से इस बारे में कोई ज्ञापन-पत्र मिला है;

(ग) यदि हां,, तो मुख्य मांगें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) मछली पकड़ने के पोतों के मल्लाहों को छोड़कर भारत-नार्वे परियोजना के समस्त कर्मचारियों को मंहगाई तथा मकान किराया भत्ता दिया जाता है । मछली पकड़ने के पोतों के मल्लाहों को अलग मंहगाई, मकान किराया या शहरी भत्ता नहीं दिया जाता क्योंकि उनके मौजूदा वेतनक्रम 'कनसालीडेटिड' ढंग के हैं और उनमें उपरोक्त समस्त भत्ते शामिल हैं।

(ख) जी हां।

(ग) मछली पकड़ने के मल्लाहों की मुख्य माँग यह है कि उन्हें भी वे भत्ते दिये जायें जो भारत सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं।

(घ) इस समस्या का सम्बन्ध विभिन्न मात्स्यकी संगठनों से है और इन संगठनों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़ने के पोतों के मल्लाहों के लिये युक्ति-संगत वेतनक्रम तैयार करने की आवश्यकता को मान लिया गया है और वेतनक्रम का सक्रिय रूप से पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

रतिबती कोयलाखान में तालाबन्दी

2180. **श्री एस्थोस :**
श्री गणेश घोष :
श्री भगवान दास :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतिबती कोयला खान में तालाबन्दी समाप्त करने के मामले में 13 नवम्बर, 1967 के त्रिपक्षीय समझौते को भंग करने के बारे में इस कोयला खान के प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) जी हां।

(ख) प्रबन्धक अब तक इस समझौते को संतोषजनक ढंग से लागू कर रहे हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के अधिकारी क्रियान्विति की प्रगति पर नजर रखे रहें हैं।

Closure of Sugar Mills

2181. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills in Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh which have closed down on account of scarcity of sugarcane since November, 1967 ;

(b) the annual production capacity of the said mills ; and

(c) the total number of workers in these mills and the number of permanent and temporary workers amongst them separately ?

The Minister of State in the ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annashahib Shinde) : (a) According to information received upto 23rd February, 1968, seventeen sugar mills in Bihar, 3 in Madhya Prasesh and 17 in Uttar Pradesh have closed down after curshing all the sugarcane available. There is general shortage of sugarcane on account of dedline in sugarcane production.

(b) and (c) : Sugar industry is a seasonal industry. The daily sugarcane curshing capacity of the mills which have closed down and the total number of workers employed by them during the season are as under :

	Daily cane curshing capacity (tonnes)	No. of workers
Bihar	18,890	19,541
Madhya Pradesh	2,896	3,173
Uttar Pradesh ..	20,688	17,647

Information regarding the number of permanent and temporary workers separatey is not available.

Import of Soyabean Seeds

2182. **Shri Hukam Chand Kachwai. Dr. Surya Prakash Puri : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Prakash Vir Shastri : Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of Soyabean seeds to be imported with a view to promote its cultivation during the year 1968-69 ?

(b) the amount of foreign exchange to be spent on this import ;

(c) whether orders have been placed with the exporting countries in this connections ; and

(d) if so, the names of countries from where these seeds would be imported ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) A proposal for the import of 200 tonnes of soyabean seeds is under consideration of the Government of India.

(b) Not possible to indicate at this stage.

(c) No.

(d) Possibly from U. S. A.

Confirmation of Junior Class III Employees

2184. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that junior class III employees in all the Ministries and Departments except the Department of Agriculture have been confirmed :

(b) if so, the reason therefor ; and

(b) the number of permanent posts in the Department of Agriculture as approved by the Ministry of Home Affairs at the time of decentralisation and the number of employees confirmed against them annually ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):

(a) The precise information with regard to the confirmation of Junior Class III employees, in so far as other Departments and Ministries are concerned is not available in the Department of Agriculture.

In so far as the confirmation ofjunior class III employees in the Department of Agriculture is concerned, the confirmations have been made against all permanent vacancies except one.

(b) Does not arise.

(c) At the time of decentralisation, the authorised permanent strength in respect of Class III posts of the Department of Agriculture was fixed as follows :

1. U. D. C. (Class III) (Grade I of CSCS)	..	95
2. L.DC. (Class III) (Grade II of CSCS)	..	275

All these posts were held by confirmed Officers on 1-11-62. Thbereafter, some vacancies occurred .due to retirements, resignations deaths etc. These have een filled up fromt ime to time. The year-wise confirmations made agaist the vacancies which occurred after 1962 are listed below :

U. D. Cs'	1963	3
	1964	2
	1965	2
	1966	5
	1967	3
	1968 (Up-to-date)	2
L. D. Cs.	1962	1
	1964	5
	1965	11
	1966	5
	1967	5
	1968 (upto date)	3

In addition to the above, there is at present one permanent vacancy of L. D. C. A temporary L. D. C. is being considered for confirmation against this vacancy.

केरल को चावल की सप्लाई

2185. **श्री सेझियान : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1967 से जनवरी, 1968 के अन्त तक केरल राज्य को चावल की सप्लाई के बारे में केन्द्र द्वारा क्या वचन दिया गया है; और

(ख) उस अवधि में वास्तव में कितना चावल सप्लाई किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख): केरल में राशन-व्यवस्था सम्बन्धी आश्वासनों को पूरा करने के लिये खाद्यान्नों की सप्लाई केरल सरकार के परामर्श से भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। अप्रैल, 1967 से जनवरी, 1968 की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई किये गये स्टाक में से केरल को लगभग 3.68 लाख मीटरी टन चावल दिया गया था।

दिल्ली में राशन की दुकानों में गेहूं की सप्लाई

2186. **श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्द्र नगर, दिल्ली में राशन की दुकानों से इस समय सप्लाई किये जा रहे गेहूँ की तुलना में बढ़िया गेहूं १०० रुपये क्विंटल की दर से बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं को बिना किसी प्रतिबन्ध के इन्द्र नगर से दिल्ली गेहूं लाने की अनुमति देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इन्द्र नगर सहित दिल्ली के बिना राशन वाले क्षेत्रों में देसी गेहूं की विभिन्न किस्मों के मूल्य 90 रुपये से 100 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं।

(ख) दिल्ली के बिना राशन वाले क्षेत्र से राशन वाले क्षेत्र में गेहूं लाने के लिये 21-2-68 से कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा है।

गन्ने के सूख जाने के कारण हानि

2187. **श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 की शीत ऋतु में पंजाब, हरियाना और उत्तर प्रदेश में गन्ना सूख गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसके फलस्वरूप गन्ना उगाने वालों को कितनी हानि हुई; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये कुछ विशेषज्ञ भेजने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी नहीं।

(ख) से (घ): प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्मचारी भविष्य निधि

2188. **श्री प० गोपालन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री रमानी : **श्री उमानाथ :**
श्री चक्रपाणी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि में नियोजकों के अंशदान की दिसम्बर 1967 के अन्त तक बकाया राशि कितनी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसको वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) लगभग 4.6 करोड़ रुपये ।

(ख) देर से किए गए भुगतान के मामलों में हर्जाने लगाए जाते हैं। अनेक दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियोजनों और/या वसूली कार्यवाही द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है । जो प्रतिष्ठान परिसमापन की अवस्था में हैं उनके दावे परिसमापक के पास अनिर्णीत पड़े हैं। कुछ प्रतिष्ठानों ने संगठन के साथ तय हुई भुगतान योजनाओं के अनुसार वर्तमान देय रकम के भुगतान के लिए समझौते किए हैं।

मध्य प्रदेश में चीनी के कारखानों का बन्द किया जाना

2189. **श्री रवि राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसका पता है कि मध्य प्रदेश में सिहोर में चीनी का करखाना 20 दिन काम करने की अल्प अवधि तक चल कर 29 जनवरी, 1968 को बन्द कर दिया गया था तथा उसी राज्य में दाबरा और जावरा में दो अन्य कारखाने आगामी कुछ ही दिनों में बन्द होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हां, दाबरा और जावरा चीनी कारखाने भी बन्द हो चुके हैं।

(ख) गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धि ।

(ग) सरकार ने चीनी की आंशिक विनियन्त्रण की नीति लागू की है जिसके अन्तर्गत चीनी कारखाने गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य दे सकते हैं। इस प्रोत्साहन और अनुकूल मौसम सम्बन्धी स्थिति से इस वर्ष गन्ने के उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है।

पश्चिम बंगाल को अनाज की केन्द्रीय सहायता

2190. श्री रवि राय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य मंत्री ने कलकत्ता में कहा था कि केन्द्रीय सरकार के गेहूं के भण्डारों की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि अमरीका ने पहले ही बता दिया है कि उसके लिये भारत को 4,00,000 टन से अधिक गेहूं सप्लाई करना सम्भव नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य तथा कृषि राज्य मंत्री ने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री को कलकत्ता में 1-2-68 को सूचित किया था कि विदेश से कम आने के कारण जनवरी में केन्द्र के पास गेहूं की उपलब्धि कम थी लेकिन फरवरी में स्थिति सुधर जाएगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे डाक सेवा, भुवनेश्वर के तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को क्वार्टर

2191. श्री रवि राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एन" डिवीजन कटक के अधीन रेलवे डाक सेवा, भुवनेश्वर के तीसरी श्रेणी के 36 कर्मचारियों में से केवल चार कर्मचरियों को क्वार्टर अलाट किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार शेष कर्मचारियों को कब तक क्वार्टर अलाट करने का है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) भुवनेश्वर में रेल डाक सेवा के तीसरी श्रेणी के केवल पच्चीस कर्मचारी हैं। यह सही है कि उनमें से केवल चार को ही क्वार्टर दिये गये हैं।

(ख) अभी तत्काल और क्वार्टर नहीं हैं। उपलब्ध साधनों से विभाग के लिए यह संभव नहीं हो सकेगा कि वह सभी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था कर सके। कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण का काम धीरे धीरे साधनों की उपलब्धि पर कई चरणों में पूरा किया जाता है।

भुवनेश्वर से प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त का स्थानान्तरण

2192. श्री रवि राय : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय 1965 में कटक से भुवनेश्वर भेज दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त कार्यालय के कर्मचारियों को कार्यालय के भुवनेश्वर चले जाने के बाद नगर भत्ता और मकान किराया भत्ते का देना बन्द कर दिया गया था ; और

(घ) इन कर्मचारियों को भुवनेश्वर में क्वाटर देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :(क) जी हाँ।

(ख) इस दफ्तर को प्रशासकीय आधार पर बदला गया ।

(ग) जी हां; क्योंकि भुवनेश्वर में केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के कर्मचारियों को ऐसा कोई भत्ता नहीं मिलता।

(घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का, जो इस निधि की व्यवस्था करता है, भुवनेश्वर ने कर्मचारियों के क्वार्टरों की व्यवस्था का कोई तात्कालिक प्रस्ताव नहीं है।

मोती लाल भटनी चीनी मिल (उत्तर प्रदेश)

2193. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री नायनार :**
श्री राममूर्ति :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 28 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2106 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में भटनी स्थित मोती लाल भटनी चीनी मिल के मामलों के बारे में जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) जाँच रिपोर्ट की छान-बीन करने के बाद सरकार इस मिल को नियन्त्रण में लेने के प्रश्न पर विचार कर रही थी। लेकिन इससे पूर्व कि कोई कार्यवाही की जाती, मिल के एक हिस्सेदार ने इलाहाबाद (लखनऊ ब्रांच), लखनऊ के न्यायालय के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी जिसमें यह प्रार्थना की कि परमादेश जारी कर सरकार को मिल को नियन्त्रण में लेने और उसे कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना जारी करने से मना किया जाए । उच्च न्यायालय ने याचिक के कार्यावाही रोकने सम्बन्धी आवेदन पत्र पर मिल के प्रबन्ध को नियन्त्रण में लेने पर रोक लगा दी है। यह मामला न्यायाधीन है।

बंगलौर में सरकारी उपक्रमों में कार्मिक संघों द्वारा हड़ताल का नोटिस

2194. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री गणेश घोष**
श्री राममूर्ति : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिक संघों ने फरवरी, 1968 में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थीं; और

(ग) विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) सरकार के पास ऐसीं किसी हड़ताल के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) मांगें मुख्यतः केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई भत्ते की अदायगी, इंजीनियरी उद्योगों से संबंधित मजूरी बोर्ड की अंतरिम सिफारिशों की क्रियान्विति, बर्खास्त हुए कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति और तालाबंदी की अवधि की मजूरी के बारे में थीं।

(ग) यह विवाद राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है और श्रमिकों की विभिन्न मांगों पर मैसूर की सरकार विचार कर रही है। सौहार्दपूर्ण ढंग से इस मामले का समझौता कराने के लिए मुख्य श्रमायुक्त ने भी हाल ही में श्रमिकों और प्रबंधकों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया।

महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर द्वारा देय कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि

2195. **श्री सत्य नारायण सिंह :** **श्री रमानी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर से फरवरी, 1966 तक कर्मचारी भविष्य निधि और राज्य बीमा की कुल कितनी धनराशि वसूल की जानी थी; और

(ख) इस धनराशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) भविष्य निधि की बकाया राशि	6.28 लाख
कर्मचारी राज्यबीमा की बकाया राशि:	1.86 लाख

(ख) भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशियों को वसूल करने के लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध शुरू की गई वसूली कार्यवाही में मिल की सम्मति कुर्क की गई और नीलामी में बेची गई। नीलामी-बिक्री से प्राप्त आय इन बकाया-राशियों का भुगतान करने के लिये अपर्याप्त पाई गई, क्योंकि मिल के प्रतिभूत लेनदार नीलामी से प्राप्त आय का मुख्य भाग प्राप्त करेंगे। अतः भविष्य निधि अधिकारियों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नीलामी विक्रय को निराकरण कराने के लिए अपीलें दायर की गई हैं। ये न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी हैं।

दिल्ली में आग लगने की सूचना देने वाले यंत्र (फायर अलार्म)

2197. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री अब्राहम :**
श्री भगवान दास : **श्री नायनार :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आग लगने की सूचना देने वाले अधिकांश यंत्र खराब हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि फायरब्रिगेड विभाग द्वारा बारबार प्रार्थना करने पर भी आग लगने की सूचना देने वाले टूटे हुए यंत्रों की डाक तथा तार विभाग द्वारा मरम्मत नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) आग लगने की सूचना देने वाले यंत्रों की फायर ब्रिगेड द्वारा जांच की जाती है और जब कभी इस विभाग को

शिकायतें प्राप्त होती हैं, इन्हें ठीक करने के लिए कार्रवाई की जाती है। इन यंत्रों की दैनिक नेमी जांच करने की जिम्मेदारी अग्निशामक सेवा संगठन की है। हालही में की गई एक जांच में यह पाया गया है कि कनाट प्लेस एक्सचेंज क्षेत्र में लगे आग लगने की सूचना देने वाले सभी यंत्र ठीक काम कर रहे थे। किन्तु तीस हजारी क्षेत्र में लगे 19 यंत्रों में से 11 खराब पाये गये। इनमें सुधार करने के काम को प्राथमिकता दी जा रही है और आशा है कि ये भी एक-दो दिन के भीतर फिर से काम करने लगेंगे।

(ख) और (ग)—अग्निशामक सेवा संगठन से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और इन शिकायतों पर कार्रवाई की गई थी। फिर भी टूटे हुए शीशों को बदलने का काम अग्निशामक सेवा संगठन का है। शिकायतें दर्ज करने और खराबियाँ दूर करने की क्रियाविधि को मजबूत कर दिया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है कि यह महत्वपूर्ण सेवा हर समय ठीक काम करने की हालत में रहे।

वेतन वृद्धि रोकना

2198. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटक ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेजे गये एक ज्ञापन-पत्र में मूल्यों को रोके बिना मजूरी को ज्यों का त्यों रखने के प्रयत्नों की निन्दा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में निर्दिष्ट बातों पर विचार करना राष्ट्रीय श्रम आयोग का काम है।

औद्योगिक विवाद

2199. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा स्टील के रैजिडेंट डायरेक्टर श्री आर० एस० पाण्डेय द्वारा व्यक्त किये गये इस आशय के विचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जो 22 जनवरी 1968 को पटना से प्रकाशित होने वाले "इंडियन नेशन" समाचारपत्र में प्रकाशित हुए हैं कि औद्योगिक गड़-बड़ियों का मुख्य कारण कार्मिक संघों का पारस्परिक विरोध हैं;

(ख) ऐसे विरोध के कारण गत वर्ष श्रम-विवादों की औसत संख्या तथा अनुपात कितना रहा है; और

(ग) क्या उन कार्मिक संघों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में जिन्हें बहुमत का समर्थन प्राप्त है जनमत-संग्रह कराने का सरकार का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) जी हां।

(ख) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) इस समय सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद यथा-समय इस मामले पर विचार किया जायगा।

खेतिहर मजदूरों को ऋण

2200. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** 21 नवम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमिहीन किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आंगड़े एकत्रित करने था खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन किसानों को ऋण देने के सम्बन्ध में कोई निदेश दिये गये हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सहकारी ऋण की फसल ऋण प्रणाली के अन्तर्गत किसानों को उस भूमि के उत्पादन कार्य-क्रमों के आधार पर ऋण दिये जाते हैं जिस पर वे स्वामी अथवा मुजारे के रूप में खेती करते हैं। यह स्पष्ट है कि फसल ऋण प्रणाली उन व्यक्तियों को लागू नहीं होती है, जिनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है। चूंकि सहकारी ऋण को उत्पादन के उद्देश्य वाला बनाया जाता है, अतः भूमिहीन व्यक्तियों तथा काश्तकार मजदूरों को दिए गए सहकारी ऋण के बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है।

(ख) जी नहीं, केवल मालिक तथा मुजारे काश्तकारों को छोड़कर।

आंध्र प्रदेश में मोटे चावल की खरीद

2201. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश से मोटा चावल 58–1/2 रुपये से 62–1/2 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाता है;

(ख) क्या यही चावल केरल को 80 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि ऋणनिगम

2202. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** कृषि निगम के बारे में 28 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2083 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि ऋण निगम स्थापित करने के बारे में सभी राज्य सरकारों से इस बीच उत्तर प्राप्त हो चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपदस्वामी) : (क) राजस्थान को छोड़कर सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं।

(ख) मामला विचाराधीन है।

लडानिया में सार्वजनिक टेलीफोन

2203. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार मंत्री** 28 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न-संख्या 2125 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब लडानिया में सार्वजनिक टेलीफोन लगा दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो वहाँ पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने में कितना समय लगेगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी नहीं।

(ख) कार्य प्रगति पर है और यह सार्वजनिक टेलीफोन घर लगभग एक महीने में खोल दिये जाने की संभावना है।

Post Offices in Delhi

2204. **Shri Kanwar Lal Gupta** :—Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of Post Offices in Delhi at present ;

(b) whether it is a fact that the numbr of post offices in Delhi is very indequate in view of the increase in population ;

(c) if so, the number of post offices proposed to be opened in Delhi next year and the places of their location ;

(d) the steps being taken by Government for efficient and quick delivery of mail in Delhi ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications. (Shri I. K. Gujral) : (a) 214.

(b) No. However, it has not been possible to fully meet demands particualrly due to lack of accommodation.

(c) As part of normal expansion of services , it is proposed to open, subject to availability of funds; accommodation and fulfilment of departmental standards, 11 post offices in Delhi during 1968-69. The location of proposed offices are :

(1) Nimri (2) Azadpur Market (3) Manakpur (4) Daya Basti (5) Bapa Nagar (6) Safdarjang Block A&B (7) Irwin Hospital (8) Safdarjang Layout Plan Block-C (9) Ashram (10) Double Storey Lajpat Nagar (11) Guru Angad Nagar.

(d) Information is being collected which will be laid on the Table of the Lok Sabha in due course.

लोक सभा के वकील सदस्यों द्वारा सरकारी मुकदमों की पैरवी

2205. **श्री शिवनाथ मेनन** : **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा के कितने सदस्यों को, जो वकील और सालिसिटर हैं, 1961 से लेकर 1967 तक की कालावधि के दौरान पैरवी के लिए सरकारी मुकदमे दिये गये हैं और इन के नाम क्या हैं :

(ख) इनमें से कितने पश्चिम बंगाल के वकीलों में से लिये गये;

(ग) इन्होंने कितने सरकारी मुकदमों की पैरवी की; और

(घ) प्रत्येक मुकदमे के व्यौरा सहित इन व्यक्तियों को सरकार ने कुल कितना पारिश्रमिक दिया ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम):

(क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी मंत्रालय को तुरन्त उपलभ्य नहीं है और संगृहीत किए जाने के पश्चात् सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड

2207. **श्री कं० हाल्दर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल में हुई केन्द्रीय न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड की सातवीं बैठक में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(ख) इस संबंध में क्या निर्णय किये गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) और (ख): नई दिल्ली में 26 दिसम्बर, 1967 को हुई न्यूनतम मजूरी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सातवीं बैठक की विषय सूची तथा इस बैठक में लिये गये निष्कर्षों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 264/68**]

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों में असंतोष

2208. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों में वहाँ पर उसके लिये विश्रामालयों, मध्याह्न भोजन के लिये कमरों, बिजली, पीने का पानी तथा शौचालयों की व्यवस्था न होने के कारण बहुत असंतोष है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनको ऊनी कपड़े, चमड़े के दस्ताने और विशेष भत्ता नहीं दिया जाता जब कि उनको बहुत सर्दी में काम करना पड़ता है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ये सुविधायें देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी नहीं। विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 3 विश्रामालयों की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों के भोजन के लिये एक विभागीय कैंटीन मौजूद है। कर्मचारियों के लिये प्रकाश, पीने का पानी, व शौचालयों की उचित व्यवस्था भी मौजूद है।

(ख) समस्त कर्मचारियों को नियमों के अनुसार निश्चित रूप से वर्दियां दी जाती हैं। कम तापमान वाले ठंण्डे गोदामों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को विशेष ऊनी कपड़े और 10 रुपये प्रतिमास का विशेष भत्ता भी दिया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना

2209. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में इस समय कितने कर्मचारी काम करते हैं और उसमें से कितने स्थायी हैं; और

(ख) शेष अस्थायी कर्मचारियों को कब स्थायी बनाने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) इस समय 2140 कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से 943 पद स्थायी हैं। अब तक 528 कर्मचारी स्थायी कर दिए गए हैं।

(ख) शेष स्थायी पदों पर योग्य कर्मचारियों को स्थायी किए जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

दिल्ली में पंजाब के गेहूँ की सप्लाई

2210. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लोग किसी अन्य किस्म के गेहूँ की तुलना में पंजाब का गेहूँ पसंद करते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार राशन में केवल पंजाब का गेहूँ भविष्य में सप्लाई करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) दिल्ली निवासी आम तौर पर आयातित गेहूँ के बजाय देसी गेहूं को पसन्द करते हैं।

(ख) अब खुले बाजार में देसी गेहूँ के खरीदने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। राशन की दुकानों पर भी पंजाब का गेहूँ दिया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों द्वारा कृषि संबंधी पुस्तकों का प्रकाशन

2211. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों तथा साहित्य के जिनका कृषि से कोई सीधा संबंध नहीं है प्रकाशन पर भारी राशि खर्च की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह की प्रथा को बन्द करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी के संबंध में विश्व सम्मेलन

2213. **श्री देवीकन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व व्यापार तथा विकास सम्मेलन द्वारा जनेवा में चीनी के संबंध में एक विश्व सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया गया है;

(ख) उस सम्मेलन का उद्देश्य क्या होगा;

(ग) यह सम्मेलन कब होने की संभावना है; और

(घ) इस सम्मेलन में कितने देशों द्वारा भाग लिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के बारे में बात-चीत करने के लिये एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है।

(ग) 17 अप्रैल 1968 से।

(घ) इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

नये टेलीफोन कनेक्शन

2214. **श्री सं० चं० सामन्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय टेलीफोन कनेक्शनों की कितने प्रतिशत माँग को स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जा रहा है;

(ख) इस संबंध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या योजनायें बनाई जा रही हैं;

(ग) क्या टेलीफोन की मशीनरी और अन्य उपकरणों के निर्माण के लिये कोई अन्य संयंत्र अथवा फैक्टरी स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो उनको कहां स्थापित किया जायेगा और उनमें कब तक उत्पादन शुरू हो जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) डाक और तार विभाग जितने भी टेलीफोन कनेक्शन लगाने की स्थिति में होता है, उनकी व्यवस्था के लिये अपेक्षित उपस्कर प्रायः सभी विभिन्न मदों का निर्माण देशी रूप से ही होता है। फिर भी, साज-सामान के कुछ अंश का आयात किया जा रहा है। इसकी ठीक-ठीक प्रतिशतता का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) दि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने एक विस्तार कार्यक्रम आरम्भ किया है जिससे टेलीफोन उपकरणों, एक्सचेंज लाइनों तथा अन्य टेलीफोन उपस्कर का उत्पादन और अधिक हो सकेगा। दि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने भी वर्तमान कारखाने के विस्तार की आयोजना बनायी है।

(ग) जी हां। दि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के प्रेषण-उपस्कर के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से इस उपस्कर के निर्माण के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। यदि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड भी केबलों के निर्माण के लिये एक नया कारखाना स्थापित करने की आयोजना बना रहा है।

(घ) प्रस्तावित प्रेषण-उपस्कर कारखाने के स्थान के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। नया केबल कारखाना हैदराबाद में स्थापित करने का प्रस्ताव है, क्योंकि ये दोनों ही प्रायोजनाएं इस समय प्रारम्भिक अवस्था में हैं इसलिए यह बता पाना सम्भव नहीं है कि इनका उत्पादन-कार्य कब आरंभ हो सकेगा।

फसलों को हानि

2215. **श्री सं० चं० सामन्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में इस वर्ष शरद्‌ऋतु में बीच-बीच में वर्षा होने अथवा ओले पड़ने के कारण खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है और बहुत अच्छी फसल होने की आशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो फसलों की कितनी हानि हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) मौसम तथा फसल परिस्थिति सम्बन्धी प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के भागों में शरद्‌ऋतु में बीच-बीच में वर्षा होने या ओले पड़ने के कारण फसलों को बहुत मामूली हानि हुई है। जो हानि हुई है उसके मात्रात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। इस हानि के बावजूद भी जो सीमित रूप में है इस वर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन की सम्भावनायें बहुत उज्ज्वल हैं। फिर भी अन्तिम रूप से खड़ी रबी फसलों की मात्रा मौसम के शेष समय के दौरान ऋतु-परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी।

Appointment of Members on Government Committees

2217. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Leader of a Parliamentary Party is consulted before appointing the member of that party in the Committees appointed by Government ;

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) No.

(b) It has not been considered necessary to consult the leader of a Parliamentary Party before appointing a member from his party on the Committees set up by Government for the following reasons :—

(i) Appointment on Government Committees are made on the basis of the aptitude, interest, past experience, etc. of members.

(ii) Consultation with leaders of the parties might result in delay in the costitution of the Committees.

(iii) All nominations are finalised after the member concerned has given his consent for the specific assignment.

(iv) It is open to the member to consult the leader of his party before accepting a nomination.

Sugar Production

2218. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the total quality of sugar likely to be produced this year;

(b) the number of mills which purchased sugarcane at the rate Rs.15 per quintal from the farmers ; and

(c) whether it is a fact that the sugar mill-owners and traders have earned an additional profit of more thanRs.100 crores since August last ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) The crushing operations are still in progress and it is too early to indicate the production during 1967-68 season but it is expected to be around the same lavel as last year.

(b) According to information available 32 mills have paid a sugarcane price of Rs·15 per quintal or more during the current season. This number will increase when the price paid by Co-operative factories in Maharashtra is determined at the end of the year.

(c) : No, Sir.

पंजाब में मोटे अनाज का जमा हो जाना

2220. **श्री बलराज मधोक : श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के अनाज व्यापारियों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि पंजाब में अनाज की बहुत कम मांग होने के कारण वहाँ जो अनाज का स्टाक जमा हो गया है उसे सरकार खरीद ले; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सम्भालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम मंडियों तथा व्यापारियों दोनों से चना, जौ और मक्का खरीद रहा है। इसी प्रकार, पंजाब सरकार राज्य सहकारी, विधणन संघ अधिप्राप्ति मूल्यों के आस-पास मूल्यों पर गेहूं की खरीदारी कर रहा है।

Allotment of Fertilizers Quota :

2221. **Shri Bal Raj Madhok :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that quotas for all kinds of fertilizers have been allotted to private businessmen in different States;

(b) if so, the particulars of the prosons to whom such quotas have been allotted State-wise; and

(c) if not, the broad outlines of the distribution policy adopted by the State Governments in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib P. Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) In the State of Bihar, Gujrat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Mysore, Orrissa, Punjab, Haryana and Rajasthan, fertilisers are distributed by the Co-operative Socities more or less on a monopoly basis. In the States of Andhra Pradesh, Kerala, Madras, Uttar Pradesh, West Bengal and Assam, the Co-opertive Societies share the distribution of nitrogenous fertiliser with others.

रूसी ट्रैक्टरों का आयात

2222. **श्री मंगलाथुमाडोम : श्री विश्वम्भरन :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 और 1967 में रूस से भारत में कुल कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया ; और

(ख) उन ट्रैक्टरों के वितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) :

(क) वर्ष 1966-67 के दौरान निम्नलिखित संख्या में रूसी ट्रैक्टर आयात किये गए :

1966	1498
1967	3601

(ख) इन ट्रैक्टरों का निर्धारण क्षेत्र-वार किया जाता है और राज्यवार नहीं। उपरोक्त अवधि के दौरान क्षेत्रवार आयात किए गए ट्रैक्टरों की संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	उत्तरीय क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	पूर्वीय क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	कुल आयात
1966	230	634	528	106	1498
1967	1522	962	763	154	3601

कर्मचारी-नियोजन विवाद

2223. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविहित मजूरी बोर्ड स्थापित करने, तथा कर्मचारी-नियोजक विवादों को हल करने के लिये समान श्रम संहिता बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) क्या श्रमिकों के लिये एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग): स्थायी श्रम समिति द्वारा स्थापित द्वितीय समिति अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार कर रही है कि क्या मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कानूनी तौर पर लागू की जानी चाहिएं। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। श्रम विवादों के न्यायनिर्णय की पद्धति में सुधार करने और समान श्रम संहिता बनाने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के प्रश्न को अन्य मामलों के साथ सरकार राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेज दिया गया है।

कृषि, सामुदायिक तथा विकास और सिंचाई मंत्रालयों का विलय

2224. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : **श्री रा० स्व० विद्यार्थी**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कृषि, सामुदायिक विकास और सिंचाई मंत्रालयों को एक ही मंत्री के अधीन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सभी राज्यों ने इस सुझाव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बता दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार की यह सिफारिश करने के बाद से राज्यों से प्राप्त अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 265/68]

पुनर्वास सम्बन्धी समिति

2225. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद् सदस्य श्री नि० चं० चटर्जी की अध्यक्षता में बनाई गई पुनर्वास संबंधी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बा० रा० चव्हान)

(क) फिलहाल पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति ने केवल अपना अन्तरिम

प्रतिवेदन ही प्रस्तुत किया है। अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ख) अन्तरिम प्रतिवेदन की पांच प्रतियां लोक सभा पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

Sub-Post Offices and Branch Post Offices

2226. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the criterion regarding the population on the basis of which Sub-Post Offices and Branch Post Offices are opened by Government ;

(b) the number of Branch Post Offices which have been upgraded as Sub-Post Offices and the number of new Branch and Sub-Post Offices opened in Uttar Pradesh during the last two years; and

(c) whether Government propose to upgrade the Branch Post Office of Sonai village in Mathura District as a Sub-Post Office in view of the population of that village and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communictaons (Shri I. K. Gujral):

(a) to (c) Post Offices are opened in villages or groups of villages within a radius of two miles, with a population of 2,000 and more provided the distance from the existing post office is not less than 3 miles and the anticipated loss does not exceed Rs.750 per annum per office. Post Offices can also be opened in groups of villages with a population of less than 2,000 provided the distance from the existing post office is not less than 3 miles and the loss does not exceed Rs.500/- per annum per office. The distance limit from the existing post office is reduced to 2 miles in places which are headquarters of Community Projects, NES Blocks or where there are schools run by Zilla Parishads, Local Boards or school approved by or receiving aid from State Governments. In areas treated as 'Very Backward' by the P & T Department for the purpose of expansion of postal facilities, there is no restriction regarding the minimum population or distance if it would be self-supporting or an interested party undertakes to bear the loss on working of the P. O. by payment of Non-Returnable Contribution. The opening of new post office is subject to the further conditition that the loss of the parent post office after opening the new post office should not exceed Rs.5500/- per annum. Sub-Post offices are opened on the basis of a minimum of 5 hours of work-load and within a prescribed limit of loss. The population to be served by the new Sub-Post Office is not a deciding factor.

During the last two years 60 branch offices were upgraded into sub-offices, 162 new branch offices and 55 new sub-offices were opened in Uttar Pradesh.

The proposal to upgrade Sonai Branch Post Office in Mathura District into a sub-office was examined in June, 1956; October, 1966 ; and January, 1967. It was dropped as the departmental standards were not fulfilled.

Wheat Stocks in Haryana

2227. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Haryana Government have requested the Central Government to take delivery of wheat which was purchased as a levy for the Central Government because a large quantity of wheat is rotting there ;

(b) if so, the quantiity of wheat which is lying with them;

(c) when Government propose to take delivery of that wheat ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):

(a) to (c) No wheat was purchased by the Government of Haryana as levy for the Central Government. 49,000 tonnes of wheat was offered by the Haryana Government from their State reserve and the same has been allotted to different deficit States.

Misuse of Fund by Forest Education Directorate

2228. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 243 on 14th November, 1967 and state :

(a) whether the information in regard to the misuse of funds by the Forest Education Directorate has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development, and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c) Advice of the Central Vigilance Commission on the report of C.B.I. is still awaited.

Employees of Postal Division of Madras Circle

2229. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 395 on the 14th November, 1967 and state :

(a) whether the information regarding the employees of Postal Division of the Madras Circle has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the number of war service employees and the number of civilian employees ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K Gujral) :

(a) and (b) Yes. The information is as under :

In regard to seniority the orders contained in Ministry of Home Affairs Office Memo No. 30/4/46 Ests (R) dated 18-9-1947 in so far as war service candidates appointed to post 1945 vacancies is concerned stood superseded by the orders contained in Ministry of Home Affairs Office Memo no. 30/44/48-Apptts. dated 22-6-1949. The seniority of war service candidates appointed to post 1945 vacancies in Postal Divisions in Madras Circle has been fixed in accordance with the latter orders.

As regards fixation of pay the concessions referred to have been given effect to. However, claims have been received from some individuals in this respect in 1967 and these will be examined and disposed of by the departmental authorities concerned according to orders on the subject.

(c) It is presumed that the Hon'ble Member desires to know the total number of permanent vacancies which occurred in the Clerical Cadre in postal divisions in Madras Circle during the period between the 29th June 1942 and 31st December, 1945. It is not possible to furnish exact information at this distant date. But out of 113 permanent vacancies which occurred during this priod, 79 were reserved for War Service candidates.

नलकूप लगाना

2230. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में जिन 268 नलकूपों को लगाने की मंजूरी दी गई थी, उनमें से 126 नलकूप लगाने का कार्य हाल में स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा काम को किन परिस्थितियों में स्थगित कर दिया गया है; और

(ग) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिससे स्थगित कार्य तुरन्त आरम्भ किया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) : राजस्थान सरकार ने राज्य में 250 नलकूपों के निर्माण की एक योजना आरम्भ की है। केन्द्रीय कृषि विभाग की समन्वेषी नलकूप संस्था विशेष रूप से इस राज्य सरकार को 1964 से इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान के सात अभावग्रस्त जिलों में 200 नलकूपों के निर्माण में सहायता दे रही है। 31 जनवरी, 1968 के अन्त तक, 275 स्थानों पर काम पूरा हो चुका है और उसमें से 169 स्थानों पर कुएँ सफल सिद्ध हुए। राज्य सरकार ने अभी तक केवल 18 सफल कुओं को अपने अधीन ले लिया है।

2. समन्वेषी नलकूप संस्था का मुख्य कार्य भूमिगत जल क्षमता वाले क्षेत्रों का नलकूप सिंचाई द्वारा विकास करने के लिए भूमिगत जल का पर्यवेक्षण करना है। इस अवस्था के पुनर्विलोकन के उपरान्त यह निश्चित किया गया है कि राजस्थान सरकार को समन्वेषी नलकूप संस्था द्वारा अब तक खोदे गए नलकूपों को अपने अधिकार में लेने, उनको पूरा करने एवं उनके उपयोग करने के कार्य को प्राथमिकता देना चाहिए और संस्था की रिगों को अन्य स्थानों पर पर्यवेक्षण कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाय। यह निर्णय इसलिए भी उपयुक्त था कि राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को आगामी कार्य के लिए दिये गये क्षेत्रों में प्रायः पहले के खुदे कुओं को गहरा करना था, जो कि समन्वेषी नलकूप संस्था के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। राज्य सरकार का राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड इस प्रकार के कार्य को करने में पूर्णतः समर्थ है। फिर भी समन्वेषी नलकूप संस्था जिन स्थानों पर पहले से ही खुदाई कर रही है उनको पूरा करेगी।

कृषि विकास कार्यक्रम

2231. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा किये गये विश्लेषण की ओर, जो 21 जनवरी, 1968 के "फिनेंशल एक्सप्रेस" में छपा था सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कृषि विकास कार्यक्रम को धन न मिलने के कारण 1968-69 में ठेस पहुंचेगी;

(ख) क्या यह सच है कि पहले लगाये गये अनुमान के अनुसार कृषि के लिये उर्वरक और सिंचाई आदि की आवश्यक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं होंगी; और

(ग) यदि हां, तो 1968-69 के कृषि कार्यक्रम के लिये कितने संसाधन और सुविधायें

उपलब्ध होने का सरकार का अनुमान है तथा इन साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में कृषि और खाद्य का कितना उत्पादन होने की सरकार को आशा है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) कैप्टन "सैट बैक टूएग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन 1968-69 फीयर्ड: शार्ट रिसोर्सिज" के अधीन 21 जनवरी, 1968 के "फिनैंशल एक्सप्रेस" में छपी खबरें सन् 1968-69 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं सम्बन्धी विचार विमर्श किए गए अस्थायी दिशा पर मुख्यतया आधारित प्रतीत होती हैं। खबरों में दिए गए कई आंकड़े योजना आयोग तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच हुए विचार-विमर्श के कारण परिवर्तित हो गए हैं। कई मामलों में, राज्यों ने कुछ अतिरिक्त संसाधन गतिशीलता के सम्बन्ध में आश्वासन दिया है और वहां से उपलब्ध अतिरिक्त संसाधनों की योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। राज्यों के अतिरिक्त संसाधनों के सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति उनके बजट पास होने के बाद ही मालूम होगी। योजना आयोग ने संसद् को पहले ही सूचित कर दिया है कि वार्षिक योजना 1968-69 सम्बन्धी प्रलेख संसद् के चालू अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रलेख से समस्त क्षेत्रों में जिसमें कृषि शामिल है राज्यों के वार्षिक योजनाओं 1968-69 के सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति का पता लगेगा। इस प्रकार सन् 1968-69 के लिए वार्षिक योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

यह भी बता दिया जाय कि लैन्ड मौर्टगेज बैंक, एग्रीकल्चरल रिफाइनैन्स कारपोरेशन, कोआपरेटिव सोसायटीज और शिडूल्ड बैंक के द्वारा कृषि के लिए संस्थानात्मक ऋण देने की सुविधाओं को बहुत बढ़ाया जा रहा है। गैर-सरकारी नलकूपों, फिल्टर पुआइन्ट आदि जैसे कृषि विकास में गैर सरकारी समायोजन भी वृद्धि पर हैं। एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा किराया-खरीद सुविधायें भी कृषि समायोजन को बढ़ावा देंगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि सन् 1968–69 के दौरान कृषि आवश्यकताओं के लिए संस्थानात्मक ऋण का सम्भावित विस्तार चालू वर्ष में किया जाता है तो सन् 1967-68 के दौरान उपलब्ध संसाधनों की तुलना में सन् 1968-69 में कृषि विकास के लिए योजना खर्च तथा संस्थानात्मक ऋण मिल कर अधिक बड़े संसाधन प्रदान करेंगे।

केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद्

2232. **श्री राम चरण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1952–53 से 1966–67 तक की अवधि में केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् ने कुल 78.61 लाख रुपए की राशि खर्च की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् ने 1952-53 से 1966–67 तक की अवधि में 84,49, 824·22 लाख रुपए की राशि खर्च की है।

(ख) जी नहीं। परिषद् के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन समिति की स्थापना की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Reclamation of Fallow Land in U.P.

2233. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have prposed to formulagte a scheme in the Fourth Five-Year-Plan in co-operation with the Government of U.S.S.R. for reclamation of fallow land in Uttar Pradesh;

(b) if so, whether this land would be distributed among landless farmers and labourers on co-operative basis ; and

(c) the name of the areas and Districts in which the scheme is propoed to be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation(Shri Annasahib Shinde):

(a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Use of Jeeps by M. Ps.

2234. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Members of Parliament have, from time to time, suggested that they should be allowed to use jeeps of Community Development Blocks for visiting Block areas,

(b) whether Government have addressed the State Governments in this regard ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy):

(a) : No, Sir.

(b) and (c) : The State Governments have been asked to ensure that Members of Parliament visiting a Block to acquint themselves with, and provide guidance to, ongoing Block programmes, are extended the facility of using the Block transport, in company with some official representative of the Block, wherever this can be done without interfering with the normal functioning of the Block. Necessary intructions in this regard have been issued by all the States.

Flour Supply by Food Corporation of India

2235. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of flour supplied by the Food Corporation of India to the States after purchasing it from the mills from the 1st April, 1965 to-date ;

(b) whether any flour was purchased from mills in the Southern States and supplied in Northern States ;

(c) whether any case of adulteration of flour by the mills and of charging Rs. 80 per ton as grinding charges has come to the notice of Government ; and

(d) if so, action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) and (b) : The Food Corporation of India did not purchase any flour (maida) either in the Southern States or in the Northern States from 1-4-1965 to date.

(c) and (d): No case of adulteration of flour (maida) by the flour mills has come to the notice of Government. The Food Corporation of India do pay Rs.80 to get a ton of wheat crushed by the mills in the Southern States under certain circumstances in accordance with a contract between the Food Corporation of India and the mills and the question of taking any action on this account does not arise.

Wheat Supply to Flour Mills

2236. **Shri Maharaj Singh Bharati** :Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar and Uttar Pradesh Governments had suggested some time back to the Central Government the discontinuance of supply of wheat to the flour mills directly at controlled rates by the Food Corporation of India but it was not agreed to ; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib P. Shinde):

(a) Flour mills in Uttar Pradesh and Bihar are not being supplied wheat by the Food Corporation of India and the question of Bihar and U.P. Governments' suggesting discontinuance of this does not arise.

(b) Does not arise.

Export of Wheat Flour Bran

2237. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased state :

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India exported thousands of tonnes wheat flour bran at the rate of Rs.16 per tonne at the time of drought and famine last year;

(b) if so, whether that bran was unsuitable for the milch cattle in India ;

(c) whether it is also a fact that the rate of that bran in India was Rs.30 per maund ; and

(d) if so, the reasons for exporting the bran ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Corporation (Shri Annasahib P. Shinde) :

(a) The Food Corporation of India exported 6,659 tonnes of wheat bran during the financial year 1966-67. The export was effected at the rate of Rs.329.33 per tonne prior to devaluation and at the rate of Rs.476.78 per tonne after devaluation.

(b) No, Sir.

(c) No Sir. The ex-mill price of bran in India was fixed at Rs.275.00 per tonne up to 14-11-66 and Rs.325.00 per tonne from 15-11-66 onwards.

(d) The exports were effected to keep alive our contacts with export market and to earn foreign exchange. However, before exporting the Bihar Government were asked whether they would need the bran in view of drought situation. They did not require it.

Co-operative Societies

2238. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the working of the multi-purpose Co-operative Societies has been studied ;

(b) if so, the outcome thereof ; and

(c) the steps proposed to be taken to make improvements in their working?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Sri M. S. Gurupadaswamy) :

(a) Yes, Sir. A quick study of the working of the agricultural credit multipurpose societies was undertaken by the Department of Co-operation in eight States.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See no. L.T.266/68**]

(c) The problem is proposed to be discussed at a Conference of Chief Ministers and Ministers of Co-operation in the near future with a view to arriving at an agreed plan of action.

Export of Sugar

2239. **Shri Raghubir Singh Shastri :** **Shri S. C. Samanta :** **Shri B. N. Shastri :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sugar is still being exported from India ;

(b) if so, the difference between the price of sugar in the country and its export price ;

(c) the approximate amount of foreign exchange earned annually as a result of its export; and

(d) whether Government propose to reconsider its policy of exporting sugar in view of its shortage in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes Sir. About 92,000 tonnes of sugar will be exported in 1968 mainly to U.S.A. and the U. K. to fulfil the commitments under the U. S. Sugar Act and the Commonwealth Sugar Agreement.

(b) This will be known after the realisations from exports to the U.S.A are known. Sale to the U. S. A. has been made on price fixing basis linked to spot quotations of the New York Coffee and Sugar Exchange Inc. in the coming months.

(c) Foreign exchange earnings depend on the quantum of sugar exported and the price realised during a year. The quantities exported and the amounts of foreign exchange earned during the last five years is as under :

Year	Quantity exported (Lakh Tonnes)	Foreign exchange earned (Rs. in crores)
1963	.. 4.79	32.32
1964	.. 2.34	19.08
1965	.. 2.67	11.30
1966	.. 4.41	18.02
1967	.. 2.17	14.74*

*Estimates.

(d) Government decided to export after very careful consideration of all factors and circumstances.

चावल का उत्पादन

2240. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(ख) क्या इन उपायों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में चावल के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां तो कितनी;

(घ) इस समय चावल की कितनी कमी है; और

(ङ) सरकार का विचार इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) देश में चावल के उत्पादन की वृद्धि के लिए एक मुख्य कार्यक्रम का सम्बन्ध धान की अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती से है ; 1970–71 में 125 लाख एकड़ भूमि और 1968-69 के लिए 85 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य है। विकास के सामान्य कार्यक्रम के द्वारा भी चावल के उत्पादन में वृद्धि की अपेक्षा की जाती है, उदाहरणार्थ बहुक्षेत्रीय फसल, लघु सिंचाई, भूमि विकास, उर्वरकों और कीटनाशक दवाई आदि वस्तुओं की सुसंगठित व्यवस्था। सुधरे हुये और रोग निरोधक किस्मों के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, इसकी चावल अनुसंधान परिषद् और कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा भी अनुसंधान किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) 1965-66 और 1966–67 के अनावृष्टि के दो वर्षों में उत्पादन में कमी होने के विपरीत चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह इस बात से स्पष्ट है कि 1949-50 में उत्पादन 251 लाख मैट्रिक टन (समंजित) था और 1964-65 में उत्पादन 390 लाख मीट्रिक न रहा। 1967-68 के आंकड़े अखिल भारतीय अंतिम अनुमानों के उबलब्ध होने पर प्राप्त होंगे परन्तु अच्छा उत्पादन होने की आशा की जाती है।

(घ) और (ङ) खपत के वैज्ञानिक और व्यापक सर्वेक्षण के अभाव में और चावल की माँग में परिवर्तनीयता होने के कारण जो कि कुछ सीमा तक चावल की उपलब्धता और स्थानापन्न खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है, चावल का पारस्परिक मूल्य, आय के स्तर, जनसंख्या की वृद्धि और नागरीकरण की सीमा पर निर्भर रहते हुए चावल की ठीक-ठीक मांग और कमी के ठीक-ठीक अनुमान किसी एक वर्ष में बताना संभव नहीं हैं।

उड़ीसा में बसे बर्मा से आये हुए शरणार्थी

2241. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से आये हुए कितने शरणार्थी इस समय उड़ीसा में बसे हुए हैं; और

(ख) इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी सहायता दी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):

(क) भारतीय उद्भव के लगभग 1655 व्यक्ति उड़ीसा में चले गये हैं।

(ख) ऋण 18,66,440.00 रुपये
+सहायक अनुदान 1,27,392.00 रुपये

\+ 19,93,832.00 रुपये

\+ सहायता उपायों पर किया गया खर्च भी शामिल है।

अनाज का निर्यात

2242. **श्री सीताराम केसरी : श्री रा० बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय किसी प्रकार के अनाज का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितना और इस समय यह निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) इस समय केवल बढ़िया किस्म के बासमती चावल का निर्यात किया जा रहा है।

(ख) अब तक बढ़िया किस्म के बासमती चावल का वार्षिक निर्यात 2000 से 5000 मीटरी टन के बीच रहा है और बासमती चावल की मुख्य मंडियाँ फारस की खाड़ी और अरब सागर के सीमावर्ती देश जैसे कि इराक, कुवैत, बहरीन, मुसकत अदन, साऊदी अरब, तनज़ेनिया आदि और यू० के० तथा सिंगापुर भी हैं।

देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी

2243. **श्री सीताराम केसरी : श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहाती क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कुटीर और छोटे पैमाने के औद्योगिक एकक स्थापित करके देहाती क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता देने के लिये कोई योजनायें बनाई हैं, और

(ग) यदि उपयुक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या कृषि क्षेत्र में फालतू मजदूरों के बारे में सर्वेक्षण करने और कुटीर उद्योगों में अकुशल मजदूरों को प्रशिक्षण देने का सरकार का विचार है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के आधीन देहाती क्षेत्रों में नियोजन अवसर और बेरोजगारी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी की जाती है। नवीनतम परिणाम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 16वें चक्कर (जिसका कार्यकाल जुलाई 1960 से जुलाई 1961 है) से सम्बन्धित है।

(ख) देहाती क्षेत्र में नियोजन अवसर बढ़ाने के लिये काफी कार्य किया है जिसमें बड़ी संख्या में नियोजन अवसर बढ़ाने वाले ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के आधीन वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, तकनीकी सलाह, किराया-खरीद के आधार पर अच्छे किस्म के औजार और मशीनों की व्यवस्था, सामान्य सेवा की सुविधा और कारखाने के लिये स्थान आदि की व्यवस्था करने जैसी सहायता आती है। इसके अतिरिक्त वार्षिक योजनाओं में शामिल देहाती जनशक्ति के कार्यक्रम के आधीन, उन इलाकों में, जहाँ बेरोजगारी और अपूर्ण नियोजन की समस्या काफी जटिल है, खेतिहर मजदूरों के लिये, उन दिनों में जब उन्हें खेती सम्बन्धी कार्यों में काम कम मिलता है, छोटे-छोटे सामुदायिक निर्माण कामों की व्यवस्था की जाती है।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

काम दिलाऊ दफ्तर

2244. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत से बेरोजगार व्यक्ति काम दिलाऊ दफ्तरों से उन्हें रोजगार ढूंढ़ने के लिए दी जाने वाली सहायता से संतुष्ट नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि काम दिलाऊ दफ्तरों में बहुत भ्रष्टाचार है और परिचय-पत्र घूस मिलने पर ही दिए जाते हैं।

(ग) गत दो वर्षों में काम दिलाऊ दफ्तरों के विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें मिली हैं तथा क्या उनके बारे में जाँच की गई थी; और

(घ) प्रार्थियों की शिकायतों को सुनने के लिये कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) जी नहीं। यह उल्लेखनीय है कि नियोजन कार्यालयों का कार्य, नियोजन अवसर उत्पन्न करना नहीं है। यह कार्यालय नियुक्ति अवसर खोजने वाले और नियोजकों को मिलाते हैं। देश में प्राप्त नियुक्ति अवसरों और ऐसे नियुक्ति अवसरों की नियोजन कार्यालयों को अधिसूचना पर ही, नियोजन कार्यालयों से मिल सकने वाली सहायता निर्भर करती है। सन् 1967 के दौरान इन कार्यालयों ने

**39,11,748	--	--	व्यक्तियों के नाम दर्ज किए,
6,99,039	--	--	रिक्त स्थान सूचित हुए,
30,40,012	--	--	व्यक्तियों को नियुक्ति हेतु भेजा
4,30,588	--	--	लोगों को नियुक्ति सहायता दिलाई, और
27,40,035	--	--	उम्मीदवार सन् 1967 के अन्त तक रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टरों में दर्ज रहे।

(ख) जी नहीं। पूरी तरह निश्चित नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को नियोजकों

के पास भेजा जाता है। प्रत्येक नियोजन कार्यालय के साथ एक त्रिदलीय समिति कार्य करती है जिसमें नियोजकों, कर्मचारियों और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक नियोजन कार्यालय के साथ नियोजन कार्यालयों द्वारा नियुक्ति के लिए उम्मीदवार भेजने के तरीकों का औचित्य जाँचने के लिये एक विशेष समिति भी कार्य करती है जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र के नियोजकों के प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं।

(ग)	1966	—	—	755
	1967	—	—	865

इन्हें सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास जाँच के लिए भेज दिया गया था।

(घ) नियोजन कार्यालयों के दैनिक प्रशासन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है जिन्हें, प्राप्त शिकायतें उचित कार्यवाही के लिए भेज दी जाती है। सन् 1966 और 1967 में, 205 मामलों की जानकारी, जाँच के बाद राज्य सरकारों ने भेजी थी।

**इनमें से लगभग 42 प्रतिशत लोग नियुक्त होते हैं पर अच्छी नौकरी पाने के लिये नियोजन कार्यालय में नाम दर्ज कराते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अनियमितताएं

2245. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और वर्ष 1952 से लेकर आज तक इस योजना के लिये कितनी राशि उपलब्ध हुई है;

(ख) इनमें से कितनी राशि का तथा कहाँ-कहाँ विनियोजन किया गया है और प्रत्येक विनियोजन से प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत लाभ मिला है;

(ग) इस योजना के प्रशासन पर कितना प्रतिशत खर्च होता है और किन स्रोतों से उसकी पूर्ति होती है;

(घ) क्या दुर्विनियोजन अथवा अन्य किसी कारण इन वर्षों में इस योजना को कोई घाटा आया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो कितना घाटा आया है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 30 नवम्बर, 1967 को चंदा देने वालों की कुल संख्या 50.87 लाख थी और उस तारीख तक चंदे के रूप में 1,048.36 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी।

(ख) 30 नवम्बर, 1967 को निवेश की गई कुल राशि 710.65 करोड़ रुपए थी। निवेश केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों, मियादी जमा, डाकखाना बचत प्रमाण-पत्रों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों आदि में किया गया था और इन निवेशों से $2\frac{3}{4}$ प्रतिशत से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की आय होती है।

(ग) इस योजना के प्रशासन का खर्च नियोजकों से निम्न दरों पर वसूल किए गए विशिष्ट उपकर द्वारा पूरा किया जाता है :—

(1) जिन प्रतिष्ठानों को छूट प्राप्त नहीं है उनके श्रमिकों के वेतन का 0.37 प्रतिशत।

(2) छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में वेतन का 0.09 प्रतिशत।

(घ) जी हाँ।

(ङ) दुर्विनियोग के कारण 16.787 34 रु० का मुख्य नुकसान हुआ है।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम

2246. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कुप्रबन्ध के, जिससे उसको हानि हुई है, कारणों की कोई जाँच कराई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Postal facilities in Bhind and Datia Districts

2247. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the further steps taken to expand the telegram, telephone, phonogram and post office facilties in Districts of Bhind and Datia of Madhya Pradesh during the year 1967; and

(b) the places where these facilities have been provided ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the Lok Sabha.

Statement

Constant efforts are made in regard to expansion of postal and Telecommunication services, subject to availaibility of funds and fulfilment of departmental standards. Restrictions on the opening of new extra departmental branch offices in the country were imposed during 1966-67 due to financial stringency. These were removed only in August, 67. During the year 1967, 1 Post Office, 9 Telegraph Offices and 1 Public Call Office in Bhind district and 1 Telegraph Office in Datia district were opened. Additioal 21 telephone connections were also provided in Bhind District.

Names of places where Post Offices, Telegraph Offices, Public Call Offices and additional telephone connections were provided during the year 1967.

1. **Bhind District :**

Post Office at Laurel.

Telegraph Offices at Atter, Bhind Mandi, Phoop, Mehana, Ron, Gormi, Man, Amayan and Umri.

Public Call Offices—Lahar.

Telephone connections : Additional 21 connections at Bhind Exchange.

2. **Datia District** : Telegraph Offices—Datia Bazar.

Opening of a Telegraph Office at Daboh and expansion of telephone exchange at Gohad in Bhind district and establishment of a telephone exchange at Seondah in Datia district have also been sanctioned.

Phonogram facility has not been introduced in any place of either district during 1967.

Cultivation of Fallow Land

2248. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have asked for some financial assistance from the Central Government to enable that Government to bring the large area of the cultivable fallow land under cultivation during the year 1968-69 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the assistance which Government propose to give to enable the Madhya Pradesh Government to bring the land under cultivation and the conditions attached thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes, Sir.

(b) The Madhya Pradesh Government have asked for Central assistance of Rs.26.90 lakhs under the Centrally sponsored scheme of reclamation of wastelands and resettlement of landless agricultural labourers.

(c) As limited funds are available for allotment to all the State Governments under the above scheme, it is proposed to allot for the present a sum of Rs.12 lakhs to Madhya Pradesh Government. This Central assistance is on the pattern of 75 percent grant and 25 percent loan, subject to a maximum of Rs.750 per family . The assistance under the scheme is admissible only to landless agricultural labourers and the loan portion is repayable in 12 annual instalments.

पंजाब से अन्य राज्यों को मोटे अनाज का निर्यात

2249. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि उसे अन्य राज्यों को सरकारी स्तर पर मोटा अनाज भेजने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) और (ख) : जी नहीं। पंजाब सरकार ने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है कि उसे केन्द्रीय सरकार के आवंटन के बिना अन्य राज्यों को सरकार से सरकार के आधार पर मोटे अनाज भेजने की अनुमति दी जाय।

खण्ड विकास अधिकारी

2250. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों में यह अनुभव रहा है कि खण्ड विकास अधिकारी अपनी उपयोगिता पूरी तरह सिद्ध करने में सफल नहीं रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार खण्ड विकास अधिकारियों का पूरी तरह उपयोग करने के बारे में तथा उसमें सुधार करने के लिए क्या उपाय सोच रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी

2251. **श्री श्रीचन्द गोयल : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उन शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों की, जो पूर्णत: बेरोजगार हैं, संख्या मालूम करने के लिये वर्ष 1967-68 में सर्वेक्षण किया कया है;

(ख) कितने व्यक्ति आंशिक रूप से रोजगार में लगे हुए हैं;

(ग) उनके लिये रोजगार की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में पूर्णत: तथा आंशिक रूप से रोजगार में लगे इन व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाने का अनुमान है?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, जुलाई 1967 से जून 1968 के बीच, 22वें चक्कर में अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप की जानकारी को इकट्ठा करते हुए नियोजन और बेरोजगारी से सम्बन्धित जानकारी भी इकट्ठी की गई थी। इस प्रकार प्राप्त आँकड़े, देश के उन शिक्षित और अशिक्षित लोगों का अनुमान लगाने में सहायक होंगे जो पूरी तरह बेरोजगार हैं।

(ख) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित सर्वेक्षण के फलस्वरूप प्राप्त आँकड़ों की सारणी-व्यवस्था हो जाने के बाद, उनका उपयोग ऐसे लोगों का अनुमान लगाने के लिये भी किया जा सकेगा जो आंशिक रूप से नियोजित है। फिर भी योजना आयोग द्वारा लगाए बिल्कुल अपुष्ट अनुमानों के अनुसार देश में लगभग एक करोड़ साठ लाख लोग ऐसे होंगे जो अपूर्ण रूप से नियोजित होंगे और अतिरिक्त काम लेने को तैयार होंगे।

(ग) विभिन्न राज्यों और केन्द्र सरकार की वार्षिक योजनाओं के आधीन चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों के कारण आने वाले वर्षों में बढ़े हुए रोजगार अवसर मिलेंगे। इसके अलावा इन योजनाओं के आधीन देहाती जनशक्ति के उपयोग के कार्यक्रम इस तरह तय किए गए हैं कि, ऐसे समय के लिए जब काम-काज के अवसर कम हो जाते हैं, खेतिहर मजदूरों के लिए छोटे-छोटे सामुदायिक निर्माण कार्य-क्रम चालू किए जायेंगे। यह कार्यक्रम उन इलाकों में चलाए जायेंगे जहाँ उक्त अवसरों पर बेरोजगारी और अपूर्ण नियोजन की स्थिति बहुत कठिन होती है।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आरम्भिक कार्य अभी शुरू ही हुआ है और जब तक योजना पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, इस योजना काल में उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त नियोजन अवसरों के बारे में अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। इसीलिए चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेरोजगारी का अनुमान लगाना भी सम्भव नहीं है।

Research of Cultivation of Soyabeans

2252. **Dr. Surya Prakash Puri :** **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Ram Avtar Sharma :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any scientific research has been done by the Uttar Pradesh Government in regard to the cultivation of Soyabeans ; and

(b) if so, the results achieved so far to step up its production ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes. The U. P. Agricultural University at Pantnagar constitutes a major centre under the All India Co-ordinated Soyabean Improvement Project sponsored by the Indian Council of Agricultural Research and operated on an All-India basis with effect from the 1st Apirl, 1967. The University of Illinois, U.S.A., has given a strong support to the Project. The object of the project is to promote research in the fields of plant breeding and selection agronomy, microbiology and nutrition in oder to bring this crop into successful cultivation over a sizeable part of the country.

The Government of Uttar Pradesh has been addressed for information as to whether research work on this aspect is being carried out anywhere else in that State.

(b) The research work commenced from April, 1967. It is therefore, rather too early to report on the results with finality. But the researches carried out so far have already resulted in the selection of some very promising varieties, e.g., Improved Pellican, Clarke 63 and Brogg, which have given yields as high as about 37 quintals per hectare. The protein content in these varieties range from 30 to 41 percent and the oil content from 12 to 27 percent. Work is in progress on isolating efficient strains of root nodule bacteria which will help in the superior establishment of the crops and in securing of high yields. Similarly researches are also under way to develop suitable agronomic practices (e.g. fertiliser use, spacing mixed cropping, etc.) for maximising acre yields and researches on plant breeding for evolving even better varieties.

Supply of Inferior Quality of Wheat in Ration Shops in Delhi

2253. **Dr. Surya Prakash, Puri :** **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shi Shiv Kumar Shastri :** **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that inferior quality wheat, rice and sugar are being supplied in ration in Delhi ;

(b) if so, the reasons therfor and whether Government have enquired into this ; and

(c) the steps taken by Government to ensure that inferior quality wheat is not supplied in ration ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) to (c) It is not correct to say that inferior quality of wheat, rice and sugar are supplied in ration in Delhi. Every care is taken to see that only good quality grain is supplied. It may, however, happen that in the large number of bags that are issued to A.R. Ds, occasionally very few

bags of inferior or damaged grain may be issued by mistake. If such bags are found with any A. R. D., the ARDs are instructed to report the fact to the Food Corporation and arrangements are made to have these bags replaced with bags containing sound grain.

Zonal Employment Exchanges in Delhi

2254. **Dr. Surya Prakash Puri : Shri Ram Avtar Sharma : Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration have decided to open three new Zonal Employment Echanges ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) :

(a) and (b) : Only one new Zonal Employment Exchange is being set up at R. K. Puram, New Delhi. However, the Zonal Employment Exchange, New Delhi, has been upgraded to the status of a Sub-Regional Exchange and the section dealing with unskilled office workers has been transferred from the Employment Exchange, Pusa, to this upgraded Sub-Regional Employment Exchange. The remaining unskilled section of Pusa Exchange has been converted into a Zonal Employment Exchange, Pusa.

Storage of Foodgrains in Warehouses

2255. **Dr. Surya Prakash Puri : Shri Ram Avtar Sharma : Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the steps taken to ensure the foodgrains stored in the warehouses do not get damaged ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

Following steps have been taken to ensure that the foodgrains stored by the Central Government, the Food Corporation and the Central Warehousing Corporation do not get damaged:-

(i) All the warhouses constructed or under construction are modern structures designed to be damp and rodent proof.

(ii) The warehouses are frequently inspected for leakage or rain water, coverflowing of drains and such other factors as are likely to damage the grain.

(iii) Food grains are inspected at the time of receipt with a veiw to assessing their suitabilty for storage.

(iv) Suitable dunnage is provided to prevent damage to foodgrains due to moisture.

(v) Grain is inspected at frequent intervals during storage by technically qualified staff.

(vi) Prophylactic treatement is carried out at regular intervals to protect the grain from insect infestation. When insect infestation is noticed, grain is fumigated.

(vii) Bird scarers are used wherever appreciable bird nuisance exists.

(viii) Adequate arrangements are made for fire fighting.

(ix) In hired godowns which are not rat proof, technical staff carry out rat control operations with modern techniques for preventing damage by rats.

गौहाटी के निकट विजयनगर में टेलीफोन कनेक्शनों की अनुपलब्धि

2256. **श्री श्रीगोपाल साबू : श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गौहाटी के निकट विजयनगर में हाल में हुए दंगों में शिकार हुए लोगों को वहाँ घंटों तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिलता था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग): दंगों के दौरान 48 घंटे के लिए बिजली की सप्लाई में गड़बड़ी हो गई थी। बैटरियों की व्यवस्था होने के बावजूद मुख्य बिजली की सप्लाई के अभाव में एक्सचेंज इतने लम्बे समय तक काम नहीं कर सका। दंगाइयों की भीड़ ने विजय नगर और गौहाटी के बीच की ट्रंक लाइन भी काट दी थी। इस समूची अवधि के दौरान सहायता के लिए असम राज्य के विद्युत् प्राधिकारियों तथा पुलिस से सम्पर्क स्थापित किया गया था। उस समय के दौरान जबकि बिजली की सप्लाई और लाइन दोनों में ही इतने लम्बे समय के लिए गड़बड़ी हो जाए और कर्मचारियों को उन्हें फिर से चालू करने का काम करने से रोका जाए, तो छोटे एक्सचेंजों में सेवा को कायम रखने का ऐसा कोई दोषरहित तरीका नहीं है।

आसाम में धान का उत्पादन

2257. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत खरीफ के मौसम में आसाम राज्य में धान का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) धान कूटने की चालू फैक्टरियों की आसाम में कुल संख्या तथा क्षमता कितनी है; और

(ग) क्या इस वर्ष आसाम में पैदा हुआ धान इन सब मिलों को पूरे सीजन चालू रखने के लिए पर्याप्त रहेगा?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग): राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

आसाम में हुए दंगों में अनाज लूटा जाना

2258. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 26 जनवरी, 1968 को आसाम में हुए दंगों में कितना अनाज जला डाला गया तथा कितना अनाज लूटा गया; और

(ख) क्या सरकार इस बीच स्टाक को पूरा कर सकी है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) 26 जनवरी, 1968 को असम में हुए दंगों के कारण सरकारी गोदामों में खाद्यान्नों की कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य उत्पादन के लिये सहायता

2259. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहायता के लिये विशेषकर भारत में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Location of underground water

2260. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a recent press report that an apparatus has been invented in Gujrat which would indicate the area containing abundant underground water without resorting to drilling ; and

(b) if so, the action taken by Government to use this apparatus ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य वाली दुकानें

2261. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों के लिये उचित मूल्य वाली दुकानें खोलने के लिये नियोजकों को बाध्य करने हेतु एक विधान पुरस्थापित करने के सरकारी प्रयास के विरुद्ध हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्य सरकारों को क्या आपत्तियाँ हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख): राज्य सरकारें प्रायः इस प्रकार के विधान के पक्ष में हैं—केवल एक राज्य सरकार ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है और कुछ ऐसी कठिनाइयाँ बताई हैं जो विधान को लागू करने में सामने आ सकती हैं।

(ग) उल्लिखित कठिनाइयाँ गम्भीर प्रतीत नहीं होतीं।

औद्योगिक संस्थानों में उचित मूल्य वाली दुकानें

2262. **श्री हिम्मत सिंहका :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित मूल्य वाली दुकानें स्थापित करना नियोजकों के लिये अनिवार्य करने में विलम्ब होने का यह परिणाम हुआ है कि औद्योगिक संस्थानों में बहुत सी उचित मूल्य वाली दुकानें बन्द हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है; और

(ग) औद्योगिक संस्थानों में ऐसे कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं जिनको इस समय उचित मूल्य वाली दुकानों की सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्रम मंत्रालय की योजना ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, जहां 300 और उससे अधिक श्रमिक काम करते हों, उचित मूल्य की दुकानें और उपभोक्ता सहकारी भण्डार खोलने के बारे में है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उपभोक्ता सहकारी भण्डार ऐसे प्रतिष्ठानों में नियुक्त लगभग 46.9 प्रतिशत कर्मचारियों को सुविधाएं देते हैं। इस प्रतिष्ठानों में उड़ीसा राज्य के प्रतिष्ठान; खानों और उत्तर-पूर्व भारत बागानों के प्रतिष्ठान तथा सरकारी क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठान शामिल नहीं हैं। इन प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में अभी सूचना प्राप्त होनी है।

2236 उपभोक्ता सहकारी भंडारों के अलावा नियोजकों ने 630 उचित मूल्य की दुकानें खोली हैं। चूंकि ये प्रतिष्ठान सामान्यतः ऐसे श्रमिकों के बारे में निश्चित आंकड़े नहीं रखते जो अपनी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन दुकानों के बारे में जिन्हें धीरे-धीरे उपभोक्ता सहकारी भंडारों में परिवर्तित किया जा रहा है, स्पष्ट सूचना सम्भव नहीं है।

नियोजक कर्मचारी सम्बन्ध पर गोष्ठी

2263. **श्री हिम्मतसिंहका : श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियोजक-कर्मचारी सम्बन्ध पर हाल ही में नई दिल्ली में एक गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो नियोजक-कर्मचारी सम्बन्ध में सुधार लाने के लिये गोष्ठी में क्या-क्या सुझाव दिये गये; और

(ग) उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):

(क) से (ग) : दिल्ली के रोटरी क्लब द्वारा 4 फरवरी, 1968 को गोष्ठी आयोजित की गई। सरकार द्वारा सुझावों या निष्कर्षों का कोई रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सरकार को इस गोष्ठी में दिए गए सुझावों या उन पर लिए गए निष्कर्षों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में राजसहायता-प्राप्त पोस्टकार्ड सेवा

2264. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में संचार सेवाओं में सुधार करने की दृष्टि से गांवों में राज-सहायता प्राप्त पोस्टकार्ड सेवा चालू करने तथा/और अधिक डाक घर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उन सब डाकघरों में जो शहरों से 10 मील से अधिक दूरी पर हैं, सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है।

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राजसहायता प्राप्त पोस्टकार्ड सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी संचार सुविधाओं में सुधार करने की दृष्टि से घाटे की कुछ वित्तीय सीमाओं के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोले जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जहां तक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का सम्बन्ध है, यह प्रश्न ही नहीं उठता। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डाकघर खोलने के सम्बन्ध में सरकार की यह नीति है कि 1966-71 के पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 9500 डाकघर खोले जाएं बशर्ते कि विभागीय मानक पूरे हों और फंड उपलब्ध रहे।

Sugar Mill in Yeotmal District (Maharashtra)

2265. **Shri Deoro Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) whether Government have issued a licence for the setting up of a sugar mill in Pusad area of District Yeotmal, Maharasthtra ;

(b) the estimated cost on the mill ; and

(c) the quantity of sugar likely to be produced ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Dvelopment and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Public Call Offices in Rajasthan

2266. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it a fact that Public Call Offices have been set up at several places in the tehsils of Rajasthan ;

(b) if so, the number thereof ;

(c) the number of places out of them where messenger service is available ; and

(d) the arrangements made for conveying mestsages at other places where messenger service is not available ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes.

(b) Telephone facilities have been provided at 185 out of a total of 195 teshil headquarter stations in Rajasthan. Action is being taken to provide PCO facilities at the remaining 10 places.

(c) They are available at 58 PCOs.

(d) Out of 195 Tehsils Headquarters, 83 are either District Headquarter stations or are Sub-Divisional Headquarter Stations where either Telephone Exchanges or Extensions from PCOs exist and need for messenger service is not felt. At other stations, messenger service has been provided wherever required.

Direct Dialling System in Kota (Rajasthan)

2267. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no direct dialling system in Kota, (Rajasthan) ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):

(a) Yes.

(b) A main Automatic Exchange is already proposed for Kota. However, this will involve construction of a new building, installation of equipment, testing, etc. The building is expected to be commenced during 68-69. On completion of the building, automatic equipment installation will follow.

Special Postage Stamps

2268. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of special postage stamps issued by Government so far since the 15th August, 1947 ;

(b) the amount of income accrued thereby ; and

(c) the grounds on which the stamps were issued ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 178.

(b) Not available.

(c) A statement is placed on the Table of the Lok Sabha. [**Placed in Library. See no. L. T. 267/68**]

Colourisation of Vanaspati

2269. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 473 on the 15th February, 1968 regarding Colourisation of Vanaspati and state :

(a) whether any research institutes have been consulted by the Committee of Experts set up in regard to the colourisation of Vanaspati and if so, what are their names ;

(b) whether any foreign experts have also been consulted in this regard; and

(c) if so, their names and suggestions made by them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Yes, Sir. The names of the research institues consulted are as under :

1. The National Chemical Laboratory, Poona.
2. The Central Drug Research Institute, Lucknow.
3. The Central Food Technological Research Institute, Mysore.
4. The National Dairy Research Institute, Karnal.
5. The Defence Research and Development Organisation, New Delhi.
6. The Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar.
7. The Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun.

The Directors of the institutes at (1) to (4) were themselves members of the Committee. The Defence laboratory at (5) was also represented on the Committee through the Dy. Chief Scientific Officer (Army).

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

लघु सिंचाई क्षमता

2270. **श्री हेमराज :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु सिचाई क्षमता के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) देश में लघु सिंचाई सम्भाव्यता के बारे में विस्तृत क्षेत्रवार सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी सम्भावनाओं के एक वृहद अनुमान से मालूम होता है कि लघु सिंचाई कार्यों से 900 लाख एकड़ (ग्रास) भूमि में विकास की दीर्घकालीन सम्भाव्यता हो सकती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लघु सिंचाई कार्यों द्वारा जो सम्भाव्यता उत्पन्न की गई उसका अनुमान 450 लाख एकड़ (ग्रास) भूमि का है।

पर्वतीय क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाएं

2271. **श्री हेम राज :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मैदानों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी भू-प्रदेश के कारण लघु सिंचाई कार्यों पर तीन से चार गुना लागत आती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं की सीमा को तीन से चार गुना बढ़ाने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) यह ठीक है कि रोलिंग टापोग्राफी व सामग्री के परिवहन की कठिनाइयों और अधिक क्रास ड्रेनेज कार्यों के निर्माण के कारण मैदानों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिक लागत आती है। परन्तु यह लागत 3-4 गुणा ज्यादा नहीं है। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों के ऐसे कार्यों पर औसतन 50 प्रतिशत से अधिक लागत नहीं आती।

(ख) लघु सिंचाई कार्यों की वर्तमान सीमा 15 लाख रुपये है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिये प्राय: छोटी-छोटी मोड़-नालियाँ उपयुक्त रहती हैं। प्राय: ये छोटे-छोटे कार्य होते हैं और प्रथक-पृथक योजनाओं पर होने वाला व्यय 5 से 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होता। अत: लघु सिंचाई की सीमा के बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्यान्नों का आयात

2272. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 अगस्त, 1967 से वर्ष 1967 के अन्त तक देश में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न तथा अनाज का आयात किया गया है और इस पर कितना धन खर्च हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सरकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(1) 15-8-1967 से 31-12-1967 तक 839 लाख मि.टरी टन।

(2) लगभग 3662.1 करोड़ रुपये।

Inter-State Movement of Cows

2273. **Shri Bramhanandji :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thousands of cows are sent to West Bengal and Bombay from different states for slaughtering them ;

(b) if so, whether Government propose to put a ban on inter-State movement of cows ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) The information is being collected from the concerned State Governments and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

(b) and (c) : Do not arise at present.

रबी की फसल की वसूली

2274. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबी की फसल की वसूली के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने भी खाद्यान्नों की वसूली के लिये कोई योजनायें बनाई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी नहीं। रबी फसल के अधिप्राप्ति मूल्यों के संबंध में कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से रबी के खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

गामा किरणों से खाद्यान्नों का शोधन

2275. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों में चावल तथा अन्य खाद्यान्नों का शोधन गामा किरणों से किया जाता है; और

(ख) इसका क्या फल हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली, भाभा अणु अनुसन्धान केन्द्र, ट्राम्बे केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान, कटक और बोस अनुसन्धान संस्थान, कलकत्ते में गामा विकीर्णों की सहायता से चावल तथा खाद्यअन्नों का उपचार किया जा रहा है ताकि इन फसलों में नये गुण उत्पन्न किये जा सकें। उत्तम भण्डारण में सहायता पहुंचाने के लिए ट्राम्बे में खाद्यान्नों पर भी विकीर्ण डाली जा रही है।

(ख) नई दिल्ली तथा ट्राम्बे में चावल, गेहूँ, मूंगफली तथा बहुत से अन्य फसलों में अच्छे गुण उत्पन्न किये गये हैं और इनका परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विकसित हुई गेहूँ की शरबती सोनारा किस्म को सोनारा 64 किस्म पर विकीर्ण डालकर विकसित किया गया था। इस किस्म से लगाया 6 मीटरी टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त, इसमें 16 प्रतिशत प्रोटीन विद्यमान होती है।

किसानों के लिये ट्रैक्टर सेवा

2276. **श्री रा० बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटे किसानों को निर्धारित दरों पर ट्रैक्टर सेवा उपलब्ध करने के उद्देश्य से देहाती क्षेत्रों में केन्द्र खोलने की योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली है और उसे स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या योजना बनाते समय राज्य सरकारों की राय ली गई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (घ) उपकरणों की सूची सहित योजना की रूप-रेखा निश्चित कर ली गई है और भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का प्रतिमान निर्धारित किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में कृषकों को विभिन्न कृषि कार्यों के लिए आवश्यक बिजली देना है। पावर की यह कमी बैलों और मानव की उपलब्धि की शक्ति की कमी से है विशेषकर मुख्य मौसमों में और बहुद्देशीय फसल के अन्तर्गत उसकी मुख्य बातें ये हैं:—

(1) विभिन्न कृषि कार्यों को यांत्रिक विधि से करने के लिये पूर्णतया सज्जित केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की स्थापना, और

(2) इन केन्द्रों की सेवाओं को किसानों को किराये की दरों के आधार पर प्रदान किया जाना।

भारत सरकार की इस योजना को क्रियान्वित करने के विचार के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है और उनकी प्रतिक्रियायें भी प्रायः अनुकूल हैं। कई राज्य सरकारें अपने राज्यों में कई केन्द्रों की स्वीकृति के लिए जोर दे रही हैं। योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त परिवर्तन की भी व्यवस्था की गई है।

कनाडा से एग्रीकल्चरल टास्कफोर्स (कृषि कार्य दल)

2277. **श्री रा० बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1967 में कनाडा का जो एग्रीकल्चरल टास्क फोर्स इस बात का पता लगाने के लिए भारत आया था, कि कृषि के क्षेत्र में तथा उससे संबंधित मामलों में कनाडा भारत की कितनी सहायता कर सकता है, क्या उसने इस बीच अपना काम पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके द्वारा किये गये काम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अपनी उपपत्तियों के परिणाम स्वरूप उन्होंने सरकार को कोई रिपोर्ट पेश की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) (क) जी हाँ।

(ख) टास्क फोर्स ने कई राज्यों की यात्रा की और यह समझने के लिए कि कनाडा किन मुख्य क्षेत्रों में भारत की सहायता कर सकता है, उसने भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न अधिकारियों से विचार-विमर्श किया। टास्क फोर्स ने हाल ही में कनाडा की सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

टास्क फोर्स की विशेष सिफारिशें भारत सरकार को अभी उपलब्ध नहीं हुई हैं। लेकिन कनाडा सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति से मालूम पड़ता है कि टीम का विचार है कि यदि भारतीय कृषि का वर्तमान रुख एवं कृषकों को लाभदायक मूल्य प्राप्त होते रहे, तो भारत 1971 तक खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि कनाडा भारत की आवश्यकताओं के विशिष्ट क्षेत्रों में खाद्य टैक्नोलौजी और अनुसंधान के सहायतार्थ कृषि शिक्षा, प्रशिक्षण, सिंचाई और भूमि विकास योजनाओं, उर्वरकों एवं उर्वरक उपादानों के प्रबन्ध में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

डाकघरों के इंस्पेक्टरों के लिये क्वार्टर

2278. **श्री नायनार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाकघरों के इंस्पेक्टरों को बिना किराये लिये क्वार्टर देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन इंस्पेक्टरों द्वारा दिये जाने वाले किराये की प्रतिपूर्ति करने का है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) डाकघरों के इंस्पेक्टर द्वारा अपने निजी आवास के लिए दिये जाने वाले किराये की प्रतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी निजी इमारत को डाकघर और डाकघरों के इंस्पेक्टर के आवास दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने की दशा में दिए जाने वाले किराये की आंशिक प्रतिपूर्ति के आदेश मौजूद हैं। जहाँ-कहीं भी मकान किराया भत्ता दिया जाता है, यह उसके अतिरिक्त दिया जाता है।

मध्य प्रदेश में अनाज का उत्पादन

2279. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1967-68 में कितनी सहायता दी गई; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) सन् 1967-68 के दौरान अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता के अनुदान के रूप में निम्नलिखित राशि निर्धारित की गई है:-

विकास के शीर्षक	निर्धारित की गई सहायता की राशि (रुपये लाखों में)
1. कृषि उत्पादन	300.97
2. लघु सिंचायी	556·30
3. भूमि संरक्षण	179.13
4. मत्स्यपालन	12.50
5. पशु-पालन तथा डेरी	63.70
	1012.22

कुल कितनी राशि दी जाएगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार विकास के प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत कितना रुपये खर्च करती है।

इस राशि के अतिरिक्त, सन् 1967-68 के दौरान उर्वरक, कीटनाशक औषधि तथा बीज खरीदने तथा वितरित करने के लिए राज्य सरकार को अब तक 377.50 रुपये अल्पकालीन ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

मध्य प्रदेश में भाण्डागारों का निर्माण

2280. श्री गं० च० दीक्षित : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सहायता भाण्डागारों के निर्माण के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये गये लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी राशि की सहायता दी गई है; और

(घ) क्या उस राशि का पूरा उपयोग किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन केन्द्र ने मध्य प्रदेश को भाण्डागार बनवाने के लिये सीधे किसी राशि का आबंटन नहीं किया था। तथापि, तीसरी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगम द्वारा भाण्डागार बनवाने का लक्ष्य और उसकी लब्धि इस प्रकार है:—

	लक्ष्य		लब्धि		
	केन्द्रों की संख्या	भण्डारण क्षमता (मी० टन)	केन्द्रों की संख्या	भण्डारण क्षमता (मी० टन)	कैफियत
केन्द्रीय भाण्डागार निगम	3	15,000	2	10,000	तीसरे केन्द्र पर निर्माण सम्बन्धी कार्य हो रहा है।
राज्य भाण्डागार निगम	मालूम नहीं।	25,560	6	10,879	तीसरी योजनावधि के अन्त में 8 केन्द्रों में 11,097 मीटरी टन क्षमता के भाण्डागार बनवाने का कार्य प्रगति पर था।

(ख) इसके कारण गोदाम बनवाने के लिये उपयुक्त भूमि प्राप्त करने में देरी और धन का अभाव थे।

(ग) और (घ): उपर्युक्त उत्तर के भाग (क) को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में ट्रंक टेलीफोन कार्यालय

2281. श्री गं० च० दीक्षित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विभाग में ट्रंक टेलीफोन कार्यालय खोलने के लिये मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्र एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े है; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों के नहीं निपटाये जाने के क्या कारण हैं?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) मध्य प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए विभिन्न स्थानों से जुलाई 1965 से अब तक पोस्टमास्टर जनरल, भोपाल को 63 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं। इन सभी की जांच की गई है। इनमें से 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है और शेष स्वीकार नहीं किए जा सके हैं। अब पोस्टमास्टर जनरल के पास कोई आवेदनपत्र अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

होशंगाबाद और पूर्व निमाड़ जिलों में टेलीफोन कार्यालय

2282. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और पूर्व निमाड़ जिलों में टेलीफोन कार्यालयों में पुराने और बेकार उपकरण हैं; और

(ख) यदि हां, तो पुराने तथा अनुपयोगी उपकरणों को बदलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी नहीं। जिला होशंगाबाद में ग्यारह तथा पूर्व निमाड़ जिले में सात एक्सचेंज हैं। उपस्कर अच्छी हालत में हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अखिल भारतीय रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ को उड़ीसा सर्किल शाखा की ओर से ज्ञापन

2283. **श्री दे० अमात** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ, उड़ीसा सर्किल की कटक शाखा की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मसले उठाये गये है?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) और (ख)—अखिल भारतीय रेल डाकसेवा कर्मचारी संघ, उड़ीसा सर्किल कटक शाखा से प्राप्त ज्ञापन और उसमें उठाये गए प्रश्न संलग्न विवरण-पत्र में दिये गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 208/68]**

Khair Nagar Post Office in Meerut City.

2284. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the Khair Nagar Post Office in Meerut City, the closing time for accepting parcels and V. P. Ps. and for selling stamps is 7.30 p.m. ;

(b) if so, whether it is also a fact that in the said Post Office, parcels are not accepted beyond 7 P.M. and the sale of stamps is closed at 4 P.M.; and

(c) if so, the steps Government propose to take in the matter ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications. (Shri I. K. Gujral): (a) No. It is 8.30 P.M.

(b) No.

(c) Does not arise.

Sale of Postal Stamps in Meerut City

2285. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have restricted the sale of postal stamps in Meerut City ;

(b) whether it is also a fact that there is an acute shortage of stamps, inland letters and envelopes even in the main Post Office of Meerut City ;

(c) whether it is further a fact that the said post offices refuse to give postal stamps of high denominations to businessmen and factory owners for "Registered Parcels" when demanded; and

(d) if so, the steps taken to supply postal stamps in Meerut in sufficient number ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K Gujral) : (a) No.

(b) No.

(c) No such complaint has been received.

(d) Does not arise.

Supply of Rice and Sugar to Jammu and Kashmir

2286. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the per capita quantity of rice and sugar being supplied by the Central Government to Jammu and Kashmir and the rates at which it is supplied ;

(b) the rates at which the Jammu and Kashmir Government sell rice and sugar to the public; and

(c) the quantity of rice and sugar being supplied by the Central Government to U. P. and Bihar and the rates thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Supplies of rice and sugar are not made on per capita basis. Suplies of rice to Jammu and Kashmir are made on basis of distribution requirements of the State Government, the avail ability with the Centre taking into account the needs of other deficit areas also. The price at which rice is supplied to Jammu and Kashmir Government from the Central pool is Rs.102 per quintal for medium rice and Rs.96 per quintal for coarse rice of f.o.r. Pathankot. The ex-factory price of sugar released to the State Government is Rs.156 per quintal.

(b) The retail price at which rice is sold in Jammu and Kashmir at fair price shops is as follows :

	Price per quintal
Srinagar City	Rs. 40.00
Towns Valley	Rs. 46.00
Jammu City	Rs. 44.00
Jammu Towns	Rs. 45.00

The retail price at which sugar is sold in Jammu and Kashmir at present is not available with the Centre.

(c) No rice is being supplied by the Central Government to U.P. Supplies to Bihar are negligible. The monthly quotas of controlled sugar allotted to U.P. and Bihar are 10,603 and 5832 tonnes respectively. The ex-factory price at which controlled sugar is released varies from Rs.156.00 to Rs.169.50 per quintal for U.P. and is Rs.158/- per quintal for Bihar. The ex-factory prices of sugar indicated above are for D-29 grade.

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन संस्थाएं

2287. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अधीन काम कर रही विभिन्न संस्थाओं / केन्द्रों में इस समय कार्य कर रहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें प्रत्येक श्रेणी में कितने-कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की विद्यमान संख्या पर्याप्त मानी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय लोक सभा की पटल पर रख दी जायेगी।

पूना में टेलीफोन

2288. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना में एक नया टेलीफोन कनेक्शन लेना कठिन है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) डी० टी० ई० के पास कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और कितने समय से; और

(ग) क्या नये आवेदन-कर्त्ताओं को राहत देने के लिये एक और टेलीफोन कार्यालय खोलने का सरकार का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हाँ। पूना नगर की टेलीफोन प्रणाली में दो एक्सचेंज हैं और उपस्कर की अधिकतम क्षमता का इस्तेमाल किया जा रहा है। 29 जनवरी, 1968 को पूना मुख्य एक्सचेंज में

2000 लाइनों की वृद्धि की गई है और जैसे ही अन्य सम्बद्ध सामान प्राप्त हो जाएगा धीरे-धीरे अब कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

(ख) मंडल इंजीनियर, टेलीफोन के यहाँ अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या 4964 है। सबसे पुराना आवेदन-पत्र जुलाई, 1964 का है।

(ग) नगर में 3000 लाइन का एक एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा और इसके लिए इमारत बनाने का काम पहले ही शुरु हो चुका है। 1968-69 के दौरान शिवाजी नगर एक्सचेंज में भी 1000 लाइनों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

पूर्व पाकिस्तान से आये हुए लोग

2289. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों को बसाने के लिये उन्हें कचार जिले से दण्डकारण्य तथा अन्य स्थानों को भेजने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके लिये खेती योग्य भूमि की व्यवस्था की जायगी और यदि हाँ, तो कब ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख): पूर्वी पाकिस्तान से आये कुछ प्रव्रजक परिवारों को जो असम के शिविरों में रह रहे हैं जिनमें कचार जिले के शिविर भी शामिल हैं, दण्डकारण्य में कृषि भूमि पर बसाने का प्रश्न विचाराधीन है। हाल ही में आसाम के पुनर्वास मंत्री प्रव्रजकों के कुछ प्रतिनिधियों सहित दण्डकारण्य गये थे। शिविरों में रह रहे प्रव्रजक परिवारों को दण्डकारण्य ले जाने के बारे में अब राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं। यदि आवश्यक समझा गया और उनकी इच्छा हुई तो प्रव्रजक परिवारों को अन्य कृषि पुनर्वास परियोजनाओं में भी बसाया जायेगा। प्रव्रजक परिवारों को कृष्य भूमि तथा पुनर्वास की अन्य सुविधाएँ भी दी जायेंगी।

मिजो पहाड़ी जिले में डाक डिवीजन

2290 **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिजो पहाड़ी जिले में एक पृथक् डाक डिवीजन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खुले बाजार में बिक्री के लिये चीनी का दिया जाना

2292. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 के अन्त तक निजाम शूगर फैक्टरी, बोधन (आंध्र प्रदेश) द्वारा खुले बाजार में बिक्री के लिये चीनी का कुल कितना कोटा निर्धारित किया गया;

(ख) अक्तूबर, 1967 और जनवरी, 1968 के बीच इस कारखाने से कुल कितनी चीनी प्राप्त की गई; और

(ग) विभिन्न तिथियों को इस कारखाने को खुले बाजार में बेचने के लिये कितनी चीनी दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

(क) 3789·2 मीटरी टन।

(ख) इस फैक्टरी से लेवी चीनी की निर्मुक्ति 23 नवम्बर, 1967 से शुरू हुई थी और नवम्बर, 1967 से जनवरी, 1968 तक कुल 2892.6 मीटरी टन चीनी निर्मुक्त की गयी थी।

	मीटरी टन
23 नवम्बर, 1967	422·6
23 दिसम्बर, 1967	1485 3
23 जनवरी, 1968	1881·3

एशियाई व्यापार संघ आर्थिक सम्मेलन

2293. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में हाल में हुए प्रथम एशियाई व्यापार संघ आर्थिक सम्मेलन में किन-किन मुख्य बातों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(ख) उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) :

(क) और (ख): यह एशिया के विभिन्न देशों के मजदूर संघों का एक सम्मेलन था। यह सम्मेलन भारत सरकार ने नहीं बुलाया था इसलिए इसके पास सम्मेलन में विचार-विमर्श किए गए विषयों और उसमें लिए गए निर्णयों के बारे में कोई सूचना नहीं है।

नीलगिरि जिले में भू-संरक्षण

2294. **श्री नंजा गौडर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलगिरि जिले में भू-संरक्षण योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई राशि दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में, वर्ष-वार, कितनी राशि दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) एक विवरण नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 269/68**]

आंशिक रूप में चीनी पर से नियंत्रण हटाना

2295. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रा० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में चीनी पर से आंशिक रूप से नियंत्रण हटाये जाने के परिणामस्वरूप चीनी मिलों को चीनी का उत्पादन बढ़ाने में कितनी सफलता मिली है;

(ख) हाल के गन्ना पेरने के मौसम में चीनी के उत्पादन की कितने प्रतिशत क्षमता बेकार पड़ी रही;

(ग) क्या सरकार ने चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये चीनी के वितरण और मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने के उद्देश्य से अपनी नीति का पुनरीक्षण किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे): (क) आंशिक विनियन्त्रण की नीति से चीनी मिलों को गन्ने की अधिक सप्लाई मिलने में सहायता मिली है और यह भी आशा की जाती है कि इस नीति से चीनी के उत्पादन को गत वर्ष के उत्पादन के स्तर पर बनाये रखने में सहायता मिलेगी।

(ख) चालू पेराई मौसम में 6 ऐसी मिलों ने जिनकी क्षमता कुल उत्पादन क्षमता का 1.64 प्रतिशत थी, काम नहीं किया। आशा है कि इनमें से एक मिल इस मौसम के उत्तरार्ध में पेराई का काम शुरू करेगी। इस व्यवस्था में आंशिक रूप से प्रयोग न लायी गयी क्षमता का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) और (घ) : क्योंकि चीनी की आंशिक निरंत्रण नीति से चीनी मिलों को अधिक मात्रा में गन्ना दिलाने, चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन करने तथा उपभोक्ताओं की चीनी सम्बन्धी घरेलू आवश्यकताओं का काफी बड़ा भाग निर्धारित मूल्यों पर सप्लाई करने में सहायक रही है। इसलिये सरकार का चीनी से आंशिक नियंत्रण हटाने का कोई विचार नहीं है।

दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

2296. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में अधिकतर सार्वजनिक टेलीफोन बूथों में रिसीवर या तो टूटे हुए होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते तथा कई बूथों में 'टेलीफोन खराब है'' ऐसे लेबल कई महीनों तक लगे रहते है तथा दिल्ली टेलीफोन अधिकारी उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते, यद्यपि लोगों द्वारा शिकायत भी की जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली टेलीफोन अधिकारियों द्वारा अधीक्षण न किये जाने के बारे में जाँच करने और इस कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर लगे विभागीय सार्वजनिक टेलीफोन कभी-कभी गलत इस्तेमाल या टूट-फूट के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं किन्तु क्षतिग्रस्त या गुम हिस्से के स्थान पर तुरन्त दूसरा हिस्सा लगा दिया जाता है। सार्वजनिक टेलीफोनों की प्रतिदिन परीक्षा की जाती है तथा यंत्रों की वास्तविक जाँच की जाती है और गड़बड़ी 24 घंटे से अधिक नहीं रहती।

(ख) विभिन्न पर्यवेक्षी स्तरों पर आकस्मिक जाँच की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में लाल मिर्च की कीमतें

2297. **श्री को० सूर्यनारायण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अथवा भारत के खाद्य निगम को आन्ध्र प्रदेश से कोई अभ्यावेदन मिला है कि आन्ध्र प्रदेश से लाल मिर्च उस समय खरीदें, जहाँ लाल मिर्च की कीमतें पिछले तीन वर्षों की तुलना में वहाँ कम हों, और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) :

(क) जी हाँ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

P & T Employees affected by Koyna Earthquake

2298. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the employees of the Posts and Telegraphs Department in 11 Tehsils affected by the Koyna earthquake have submitted any application for payment of 2 months' salary ;

(b) whether it is a fact that the State Government employees have already been paid 2 months, salaries in the earthquake-hit tehsils ;

(c) whether two months, salary has been paid to the Posts and Telegraphs employees; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) Does not arise.

Modern Bakery at Aarey

2299. **Shri Baswant :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the bread manufacturing capacity of the Modern Bakery at Aarey ;

(b) the object of setting up this bakery in the public sector ; and

(c) how the nutritive value and price of the products of the bakery compare with the products of local bakeries ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) 75,000 loaves of 400 grams per day.

(b) The objectives of the scheme are to provide fortified bread at reasonable prices and to improve the dietary standards of the people by changing food habits and diversifying the diet by popularising bread.

(c) The nutritive value and price of Bodern Bread compare favourably with the products of the other larger bakeries in Bombay.

Removal of Restrictions on Movement of Gram, Maize, etc.

2300. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it a fact that permission has been granted to the State Goverments to remove restrictions on the movement of gram, Kabuli gram, maize, Jowar and pulses like moong; and

(b) the number of States which have agreed to the removal of these restrictions ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Zonal restritions exist on the movement of gram, Kabuli gram and all cereals including maize and jowar. Movement of other pulses like moong is free throughout the country except in the case of Bihar. No permission has been given to any State Government to remove the existing restrictions.

(b) Does not arise.

Research on 'Moong' Crop

2301. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any research work has been done on Moong crop ;

(b) whether it is a fact that 'Vaishakhi Moong' is a high-yielding variety ;

(c) if so, the quatity being produced in the country and whether any scheme to start its cultivation throughout the country has been formulated ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):

(a) Research work has been done at the Indian Agricultural Research Institute for the genetic improvement of the moong crop and the experiments have been intensified during the last two years under the All India Co-ordinated Project for the Improvement of Pulses.

(b) The Indian Agricultural Research Institute have developed a high yielding variety of moong which, however, is still to be officially released. The variety is at present under tests and the indications are that this would be a very suitable short duration variety for cultivation during summer months, when the fields mostly remain unoccupied after harvest of the rabi crops. In the preliminary yield trials, it has given very encouraging results.

(c) and (d) Pre-release multiplication of the Breeder's seed of this variety has been undertaken, and an area of nearly15 acres will be used for this purpose during the forthcoming summer season. The produce will be made available to the National Seeds Corporation for further multiplication and distribution in the country, after the variety has been officially released.

उत्तरी क्षेत्रों के लिये ट्रैक्टरों का नियतन

2302. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी क्षेत्र को रूस से आयातित केवल 35 प्रतिशत ट्रैक्टर ही दिये जाने के

क्या कारण हैं, जबकि 1966 में की गई ट्रैक्टरों की गणना के अनुसार देश में उपलब्ध कुल ट्रैक्टरों में से 60 प्रतिशत ट्रैक्टर इस क्षेत्र में हैं;

(ख) क्या हाल ही के वर्षों में उत्तरी क्षेत्र का कोटा 51 प्रतिशत से घटा कर 35 प्रतिशत कर दिया गया है, और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे आयातित ट्रैक्टरों से कोटे को विभिन्न क्षेत्रों में माँग तथा/अथवा जनसंख्या के आधार पर युक्तिसंगत बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग) उत्तरी क्षेत्र में रूसी ट्रैक्टरों के एजेन्टों को सन् 1963 से निम्नलिखित ट्रैक्टरों का कोटे का नियतन किया गया है:—

1963	42.7 प्रतिशत
1964	36.6 प्रतिशत
1965	34.1 प्रतिशत
1966	36.1 प्रतिशत
1967	35 प्रतिशत

सम्बन्धित क्षेत्रों में माँग और यंत्रीकरण आदि के रुख को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए तदर्थ आधार पर कोटे निर्धारित किए जाते हैं। सप्लाई की स्थिति ठीक न होने के कारण, रूसी ट्रैक्टरों की समस्त माँग को पूरा करना सम्भव नहीं हुआ है। यद्यपि उत्तरी क्षेत्र के लिए कोटा सभी क्षेत्रों में से अधिकतम है तथापि अन्य क्षेत्रों में सप्लाई काटना उचित नहीं होगा।

क्षेत्र-वार नियतनों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

50 अश्व-शक्ति के ट्रैक्टरों का निर्माण

2303. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 28 नवम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 (जनवरी तक) में देश में बनाये गये 50 अश्व-शक्ति के हिन्दुस्तान ट्रैक्टरों की संख्या पृथक् पृथक् कितनी हैं तथा इन्हीं वर्षों में देश को 50 अश्व-शक्ति के इन ट्रैक्टरों की कितने प्रतिशत माँग पूरी की जा सकी है;

(ख) 50 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों की माँग और सप्लाई में कितना अन्तर है; और

(ग) पूरी माँग की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) निम्नलिखित विवरण में 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 की अवधि में 50 अश्व-शक्ति के ट्रैक्टरों की अनुमानित माँग, 50 अश्व-शक्ति के निर्मित ट्रैक्टरों की संख्या तथा मांग व सप्लाई के बीच का अन्तर प्रदर्शित किया गया है:—

वर्ष	मांग	निर्मित ट्रैक्टरों की संख्या	कालम 2 और 3 में अन्तर
1665-66	*	397	—
1966-67	2000	1093	907
1967-68	2500	1020**	1471

*1965-66 में 50 अश्व-शक्ति के ट्रैक्टरों की माँग का कोई अलग अनुमान नहीं था; 35 और इससे अधिक अश्व-शक्ति के ट्रैक्टरों की अनुमानित माँग 1500 थी।

**जनवरी, 1968 तक।

(ग) इस समय प्रति मास 200 ट्रैक्टरों का निर्माण किया जाता है। 1968-69 तथा 1969-70 में क्रमश: 2500 और 3500 ट्रैक्टरों का निर्माण किये जाने की सम्भावना है। उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मैसर्स हिंदुस्तान ट्रैक्टार्ज लिमिटेड को पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल का आयात करने के लिये लाइसेंस दे दिया गया है। उक्त फर्म को 1967 में 3000 सी० के० डी० पैकों का आयात करने की अनुमति दी गई है जिनमें 85 प्रतिशत देशीय सामान लगा हुआ होगा। कृषि ट्रैक्टर उद्योग को भी हाल ही में लाइसेंस दिया गया है और आशा है यह फर्म उत्पादन बढ़ा कर 1970-71 तक 5000 ट्रैक्टरों का निर्माण करने लगेगी। 50 अश्व-शक्ति के ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये कुछ अन्य फर्मों ने भी दिलचस्पी दिखाई है।

रूस से आयात किये ट्रैक्टरों के मूल्य

2304. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रैक्टरों का आयात शुरू होने से लेकर 1966 तक रूस में ट्रैक्टर सप्लाई करने वालों द्वारा ट्रैक्टरों और ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के मूल्यों में न तो वृद्धि की माँग की गई थी और/अथवा न ही उनको अधिक मूल्य दिये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य "व्यापार" निगम ने उन्हीं डी टी-14 बी ट्रैक्टरों की सप्लाई के लिये 1967 में नया करार किया था जिसमें वह ट्रैक्टर सप्लाई करने वाले विदेशियों को पहले दिये जाने वाले 5513 रुपये के मुकाबले प्रति ट्रैक्टर 6500.00 रुपये देने के लिये और फालतू पुर्जों के लिये काफी अधिक मूल्य देने के लिये सहमत हो गई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) रुपए के अवमूल्यन के कारण रूसी ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि हुई। अवमूल्यन के बाद आयात किए गए दो माडलों के मूल्य निम्न प्रकार के बढ़े हैं: —

	पूर्व-अवमूल्यन मूल्य	अवमूल्यन के बाद का मूल्य
डी०टी०-14बी	3500·00 रुपये	5513·00 रुपये
वाईलारस	8500·00 रुपये	12785·00 रुपये

जून, 1966 में अवमूल्यन से पहले ट्रैक्टरों के मूल्य नहीं बढ़ाये गए। जहाँ तक फालतू पुर्जों का सम्बन्ध है उनके मूल्यों में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

(ख) और (ग) एस० टी० सी० डी० टी० 14बी ट्रैक्टरों को 6500 रुपये प्रति ट्रैक्टर के मूल्य पर आयात करने को सहमत नहीं हुआ। सन् 1967 में प्रति ट्रैक्टर 5513·00 (सी आई एफ) के मूल्य के लिए संविदा की गई। जहाँ तक फालतू पुर्जों का सम्बन्ध है मूल्य तेजी से बढ़े हैं। संशोधित मूल्य स्वीकार नहीं किए गए हैं और मामले पर पत्र-व्यवहार हो रहा है।

मनीपुर में एक चीनी मिल की स्थापना

2305. **श्री मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनीपुर में एक चीनी मिल स्थापित किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह मिल कब स्थापित हो जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मनीपुर में किसानों को सहायता

2306. **श्री मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के उन किसानों को, जिनकी फसलें मनीपुर की विशनपुर तहसील के बड़े भाग में हाल ही में हुई ओलावृष्टि में पूर्णतया नष्ट हो गई थी, कोई सहायता दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितनी राशि दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : मणिपुर सरकार से विस्तृत जानकारी माँगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में टेलीफोन

2307. **श्री मेघचन्द्र :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में मनीपुर में टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो 1968 के अन्त तक टेलीफोनों की संख्या में कितनी वृद्धि करने का का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) जी हाँ।

(ख) इम्फाल एक्सचेंज में 300 लाइनों की अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है और आशा है कि मौजूदा प्रतीक्षा सूची पूर्णतः समाप्त हो जाएगी।

Milk Powder Producing Plant in D.M.S.

2308. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a plan to instal a milk-powder producing plant in the Delhi Milk Scheme ;

(b) if so, when it is likely to be installed ; and

(c) the production capacity thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :

(a) Two roller-driers for preparation of roller-dried skimmed milk powder are in operation in the Delhi Milk scheme. Another plant for preparation of spray-dried skimmed milk powder is on order.

(b) The spray-drier is expected to be installed by winter 1968.

(c) The roller-driers have a capacity of two tonnes of milk powder and the spray-drier has a capacity of five tonnes of milk powder per twenty working hours.

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं

(१) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की धारा 30-क के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1905 में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 240/68]

बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में

RE: BANK EMPLOYEES' STRIKE

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): एक लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। अतः उप-प्रधान मंत्री को इस बारे में आज वक्तव्य देना चाहिए। वह राज्य सभा में पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार किसी मामले को नहीं उठाया जा सकता। इंजीनियर भी हड़ताल पर हैं और भी अनेक हड़तालें हो रही हैं। यदि माननीय मंत्री कोई वक्तव्य देना भी चाहें तो मैं उनको अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने इस बारे में मुझे पहले नहीं लिखा है।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मामले उठाने के सम्बन्ध में कुछ प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी **

**सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे बाद में लिख सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन):**

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। श्री बनर्जी ने बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

श्री वासुदेवन नायर (परिभाडे) : यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को जानता हूँ कि यह एक गम्भीर मामला है परन्तु जिस प्रकार यह मामला उठाया जा रहा है उस पर मुझे आपत्ति है। इन्जीनियरों की हड़ताल, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल अथवा किसी फैक्टरी की हड़ताल—सभी महत्वपूर्ण हैं।

श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) :**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

सभापटल पर रखे गये पत्र —जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—CONTD.

खाद्यान्न वहन प्रतिबन्ध (प्रमाणित बीजों के लिये छूट) संशोधन आदेश

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत खाद्यान्न वहन प्रतिबन्ध (प्रमाणित बीजों के लिए छूट) संशोधन आदेश, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 303 में प्रकाशित हुआ था, सभापटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 241/68]

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन और स्थायी श्रम समिति के 27वें अधिवेशन के निष्कर्ष।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री लं० चु० जमीर): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :—

**सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 10 फरवरी, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना, संख्या जी० एस० आर० 259 में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 242/68]

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रवर्तन के बारे में 1966 67 के वार्षिक प्रतिवेदन को एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 243/68]**

30 सितम्बर, 1967 को नई दिल्ली में हुए स्थायी श्रम समिति के 27 वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 244/68]**

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पन्द्रहवां तथा सोलहवां प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(1) विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवायें) 1965-66 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें) 1967 के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

(2) विनियोग लेखे (प्रति रक्षा सेवायें) 1965-66 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें) 1967- प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

ब्रिटेन के राष्ट्रमण्डल आप्रवासी विधेयक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT ON COMMONWEALTH IMMIGRANTS BILL OF U.K.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I rise on a point of order.The Calling Attention Notices given by us have not been accepted. The Government is not doing the needfu- in this matter.

अध्यक्ष महोदय : इनको पहले वक्तव्य का अध्ययन कर लेने दिया जाय। मैं भी इसको सावधानी से पढ़ूंगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I intend to draw your atention to Rule 372 wherein it is provided that a statement was to be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the speaker, but no question shall be asked at the time the statement is made. But inspite of that there has been a practice in the Third Lok Sabha to allow the member to ask few questions seeking clarification. This procedure has also been done away with to save the time You have been allowing discussions under Rule 193 for half-an-hour or an hour for serious matters

It seems that the procedure of accepting Calling Attention Notices and allowing discussion on them is completely stopped. Even to-day no Calling Attention Notice has been accepted.

We on our own, have surrendered many rights. So some facilities should be provided in lieu of that. Some procedure should be evolved in this matter so that there may not be any cause of discontentment among the Members in future.

श्री नाथपाई (राजापुर): मैं श्री मधु लिमये द्वारा कही गई बातों का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। हमने आपके परामर्श से स्वयं अपने अधिकारों में कमी कर दी थी। परन्तु आपने जो नई प्रक्रिया अपनायी थी वह पूर्णतया असफल हुई है। यह एक बात ही महत्वपूर्ण मामला है जिस पर इंगलैंड के पादरी ने त्यागपत्र दे दिया है तथा एक भूतपूर्व महान्यायवादी ने इस विधेयक को अपमानजनक बताया है।

आपने जिस मामले संबंधी ध्यान दिलाने वाली सूचना को स्वीकार नहीं किया है उसी पर आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति दे रहे हैं। नियम 372 के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य पर हम लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते। मेरा निवेदन है कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये अथवा इस पर वाद-विवाद का अवसर हम लोगों को दिया जाये।

Shri Atal Bihari Bajpayee : I would request the hon'ble speaker either to allow some questions on the statement or provide some other opportunity for short discussions on the matter so that the Members could express their views.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): आपने स्वयं स्वीकार किया है कि यह मामला बहुत गम्भीर है। मेरा निवेदन है कि यह मामला हमारे अपने लोगों से सम्बन्धित है अतः इस पर चर्चा करने के लिये कुछ अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): इस मामले पर सभी लोग क्षुब्ध हैं। अतः संसद सदस्यों को इस मामले पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये यथासम्भव शीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द): यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इससे ब्रिटिश सरकार से हमारे सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिये, यदि अभी नहीं तो शाम को कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं 'सेफ्टी वाल्व' का काम करती थीं। परन्तु आपने उनको पूर्णतया समाप्त कर दिया है।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur): My suggestion is that such matters should be discussed between 5 to 7 P. M.

अध्यक्ष महोदय: पिछले तीन दिनों में कोई भी ध्यान दिलाने वाली सूचना नहीं ली जा सकी क्योंकि सदन के समक्ष कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामले थे।

मेरी कठिनाई यह है कि जब मैं एक अथवा दो घंटे की चर्चा की अनुमति देता हूँ तो सदस्य-गण समय-सीमा के अन्दर न रहकर अधिक समय ले लेते हैं। आज मध्याह्न पश्चात् चर्चा के लिये मैंने एक घंटे का समय रखा है। परन्तु अब विभिन्न दलों में इस समय को बाँटने में कठिनाई हो रही है। अतः हमें इस बारे में कोई प्रक्रिया अपनानी होगी।

अब प्रश्न यह है कि यदि वक्तव्य पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है तो एक अथवा दो घंटे की चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिये आप सब लोग वक्तव्य को पढ़ लें फिर विचार करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए। वैसे चर्चा के लिये मैंने पहले ही एक अथवा दो घंटे नियत कर रखे हैं।

वक्तव्य काफी बड़ा है। इसलिये माननीय मंत्री इसको पढ़ने के बजाय सभापटल पर रख दें।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं एक विवरण सभापटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 220/68]

रेलवे बजट सामान्य चर्चा —जारी

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—CONTD.

Shri Baswant (Bhiwandi) : Yesterday I was emphasising on the point that the concessions being given on the transportation of fertilizer especially of manure should continue in the interest of production of foodgrains.

Second quality coal should be made available to the farmers in the villages at cheaper rates to save cow-dung which can be used as useful manure.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

So far as facilities in the third class compartments are concerned I would suggest that for the first night passenger may be charged 4 rupees for sleeping births but on consequent night charges should be less for sleeping births.

Price of the platform ticket should not be raised. I request to maintain the status-quo in this respect.

So far as the question of closing the uneconomic railway lines are concerned I would suggest that a Parliamentary Committee should be appointed to look into it. Final decision may be deferred till the report of the Committee is received.

Pilferage of coal by the railway employees is the main reason for increase in the consumption of fuel. The railway administration should look into the matter.

The work on the Deeva-Banglore railway line should be completed expeditiously in the interest of the country. Some time-limit should be fixed for the purpose. The survey of the Chavaka railway line should be made as suggested by the Maharashtra Chief Minister. This is most undeveloped area.

I conclude with thanks to the Chair for providing me an opportunity to speak.

Shri Suraj Bhan (Ambala) : Mr. Deputy speaker, first of all I thank you for providing me an opportunity to express my views.

The condition of the railways, as appeared from the loss of 29 crores, is deteriorating day by day. One reason for the loss in my view is the shifting of goods traffic from railways to roadways. The traders think that their goods are not safe with the railways The administration should do something to gain the confidence of the traders.

Secondly the behaviour of the railway officials and other employees towards the public is not that of a trading firm or a department. They misbehave with the people. Luggage is not booked unless something is given to the employee concerned.

Even the relations between the employees and officers are not cordial. It affects the public in general consequently.

I would suggest that responsibility should be fixed on the concerned General Manager for loss in the particular zone. A committee consisting of representatives of the Administration officers and other employees should be formed to look into the causes of loss.

As I have already stated, the General Manager should be held responsible for the losses suffered by Railways, if any.

Mr. Deputy-Speaker : The hon'ble Member may resume his speech at 2.00 p.m.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for luch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]

Shri Suraj Bhan : (Ambala) : There is large scale corruption in the Railways at all levels which results in loss to Railways. Some time before 36 wagons of coal were booked for Amritsar Railway Workship but none of them reached there. Nobody knows its whereabouts. There is another recent incident. There is a contractor who is supposed to remove rubbish but it has been observed that brass and cast iron scraps are deliberately mxed in the rubbish which is ultimately removed by the Contractor. An honest Inspector detected it and sent the material for analysis. I have got the anlaytical report with me. Instead of giving a reward for his honesty, he is being penalised on some other pretext.

Similarly in another case 1200 kg. scrap brass was removed from the Railway Workshop with the connivance of the Railway Staff. There are thousands of similar cases and pilferage is almost a daily affair in the railway workshops. No one would believe that pipes and other things are thrown at outer signal of Saharanpur and they areremoved from that place. There are Railway Police and Railway Protection Force to look after these things but I call them pilferage force. If somebody takes some effective steps, he is also given his share and the position does not improve. The hon'ble Minister should take effective measures and he should not depend simply on the officers of Railway. There should be some other machinery to check such incidents so that loss due to pilferage is checked.

There are certain incentive schemes which are very good schemes. But in order to show more out-turn, various types of bungling is done and as a result thereof incentive schemes are manipulated to serve one's advantage. I therefore suggest these incentive schemes should be implemented properly.

Instead of sending the goods by Rail, the traders prefer to transport them by road. Container scheme introduced by Railways is good and it should be popularised. But the trouble is that though these schemes are good but these are not properly implemented. For example when catering service was managed by private contractors, it was showing profit but after taking over the same scheme by Railway it is showing losses. This situation needs improvement.

There is ban on recruitment in respect of class III and IV posts but number of officers are being increased. There are 700 categories of officers of Railways. It should not be forgotten that lower categories of staff is equally essential for efficient running of Railways. The Railway Officers say that they do not take notice of telephone calls, then what is the utility of telephones provided to them. The hon'ble Minister should ask these officers to behave properly. I have already addressed a letter to him.

The amenities provided to Railway Staff are not sufficient. Only 37 percent of staff have got residential accommodation. The rest of staff should also be provided with Government accommodation. The condition of Railway hospitals is deplorable. I would like that all the Railway employees living in Delhi should be entitled to take treatment under C. H. S. This matter should be taken up with the Health Minister.

I may also state that Delhi division is the biggest division in the country and it should be bifurcated. Once necessary orders were issued to this effect but perhaps certain interested officers, who are not interested in leaving Delhi, stood in the way. In case this scheme is implemented, it would ease accommodation problem.

At present there is single line between Delhi and Ambala via Karnal. It should be doubled. It will ease the traffic position and it will be more useful from strategic point of view as well. It has been mentioned that uneconomic lines will be closed. In case we want socialistic budget then we should not mind deficit budget.

There are several Unions in Railways but only two or three of them have been recognised. I feel that there should be one union in one trade. But there are more than one unions in Railways and very few of them have been recognised. Either Government should agree to this principle that there should be one union or all the unions should be recognised.

I would request the hon'ble Minister to set up a separate Pay Commission for Railways which should go into pay strucure, service conditions and other grievances of the employees.

I would suggest that tenure of higher and important posts should not be more than two or three years Similarly tenure of the staff dealing with personal case should also be fixed.

I may also point out that the duty hours of electric trains should be reduced from 8 hours to 6 hours to ensure efficient running of electrie trains.

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : In spite of all sorts of difficulties being faced by Railways, the trains are running efficiently. It is being said that fares and rates of freights should not be increased. In this connection I want to say that when we went additional facilities from Railways, when we want that more dearness allowance should be given to employees, then how are we going to get the resources. The increased requirement of funds could be met only by way of increase in fares and freight charges.

It should be appreciated that newspapers and milk and fresh vegetables will be exempted from the proposed increase in freight charges so that no excuse is offered for increase in the prices of these articles.In this connection I would suggest that fish being sent to Bengal, Orissa and other States should also be exempted from the inrease in the freight charges.

In so far as the question of losses of Railways is concerned,besides normal losses, various types of agitations, ticketless travelling, thefts and pilferage of goods are also responsible for these losses.

Many a time the entire wagon are misdirected from Moghul Sarai with the connivance of lower staff. Unless the labour unions cooperate with the Railway administration, these thefts cannot be stopped.

At present there are two types of police working in Railways **viz.** G.R.P. and R.P.F. We have heard lot of criticism and if we want to improve the situation then there should be two separate cadres for both the organisations. In order to apprehened the culprits trained dogs are used. I would suggest that centres should be set up for the training of these dogs. The Government should seek the co-operation of public, State Government and labour unions to put an end to the incidences of theft and pilferage.

In my view Railway Board should not be abolished and instead of that reforms should be introduced in the Board.

I may point out that quarters have not been provided to the jawans of R.P.F. In view of this they live with other people and join hands with the criminals. They have lost their discipline. They should get all the amenities being provided to Provincial police.

Railway doctors have been complaining that they are not getting the same scales of pay as their counterparts in C. G. H. S. are getting. The Government should look into this matter.

I may suggest that the charges for third class sleeper berth should be revised. As only lower class of people travel by IIIclass, therefore Rs.4.00 per night are considered to be too much. At least same rate should not continue for the subsequent nights.

It is understood that Chhitauni-Khada line is going to be closed. I would request not to do so as there is no other road transport available and there will be great difficulty for the passengers in the absence of this line.

A retiring room should be built at Beetiah. While concluding I would like to say that more amenities should be provided for the passengers travelling by III class.

श्री मयावन (चिदाम्बरम): दो तल्ले की और तीन तल्ले की शायिकाओं के लिये प्रभार को समान कर दिया गया है। कांग्रेस इसी प्रकार के समाजवाद के पक्ष में है अर्थात् वह समाजवाद जिसके अन्तर्गत सबको समान राहत न मिले यह वह समाजवाद है जिसमें सब पर समान बोझ हो। इस कार्यवाही से दक्षिण के लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस सरकार जिस समाजवाद का नारा लगाती है उसे ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जाता।

रेलगाड़ियों में खाने-पीने की व्यवस्था बहुत ही असंतोषजनक है। खाने को ढक कर नहीं लाया जाता। रेलवे स्टेशनों पर खाने-पीने की जो विभागीय व्यवस्था है, उसमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार को इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए। नाटक मंडलियों एवं कलाकारों को रेलवे के किराये में रियायत दी जानी चाहिये।

सरकार को अलाभकारी लाइनों को बन्द नहीं करना चाहिये। जब हम जनता की ओर विशेष कर देहातों में रहने वाली जनता की कठिनाइयों पर विचार करते हैं तो हमें इन लाइनों को चलाने में आर्थिक दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिये।

दालमिया स्टेशन का नाम बदल कर कालीगुडी रखा जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह तर्क देना बेकार है कि इस नाम का एक अन्य स्टेशन पहले से विद्यमान है क्योंकि रेलवे में कई स्टेशनों के एक से नाम होते हैं।

प्लेटफार्म टिकट का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए।

ऐसा कहा जाता है कि रेलवे में प्रतिमास लाखों रुपये के मूल्य की वस्तुओं की चोरी हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार से सहयोग करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि यद्यपि विद्यार्थियों के हिन्दी-विरोधी आन्दोलन से दक्षिण में रेलवे सम्पत्ति को कुछ क्षति हुई है तथापि यह कहना उचित नहीं है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से मद्रास सरकार का हाथ था। आन्दोलन को शीघ्र शान्त करने का श्रेय हमारे मुख्य मंत्री को जाता है।

तीसरे दर्जे के यात्रियों को अधिक सुविधायें दी जानी चाहिए। भीड़ को समाप्त करने के लिये अधिक से अधिक यात्री तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियाँ चलाई जानी चाहिए। वर्तमान बजट से

निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोगों पर अधिक बोझ पड़ेगा क्योंकि इनके लिये यातायात का यही एक साधन है।

चल टिकट परीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि समूचे देश में कोई भी बिना टिकट के यात्रा न कर सके।

25 रुपये की अग्रिम वार्षिक वृद्धि वरिष्ठ स्टेशन मास्टरों को भी दी जानी चाहिए।

Shri K. N Pandey (Padrauna) : Before I take the matters pertaining to the area I belong I intend to raise some questions of principle.

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

Railways are made the target of the anger wherever and whenever any agitation takes place. This is not in the interest of the country as a whole. To avoid damage to the railway property I suggest that cost of the damage should be recovered from the people of the concerned area. Even if it is considered necessary, a legislation may be passed or an amendment may be made in the Railway Act to prevent damage to the railway property.

We cannot achieve the objective of socialism unless all round development is made and imbalances and discrimination is done away with. Uneconomic railway lines should not be closed down as has been stated by the hon. Minister because development is not possible in the backward areas without railway lines where they do exist to-day.

In my view Railway Board should continue to maintain its entity becuase it possesses experienced persons who can give serious thought to each and every matter.

I would request the hon. Minister to get the raiway line from Chittauni to Kaddha repaired before it is washed away in the floods of the Gandak river.

I would also request the Hon.Member, Shri Labo Prabhu not to talk anti-labour things as he had been a Labour Commissioner one time with great reputation. So far as the Allen Cooper Company is concerned it is suffering loss due to mismanagement and not due to the labourers, So far as fares and freights are concerned they are being raised. I would request that facilities and amenities should also be increased accordingly to avoid complaints. On certain sections, especially on the metreguage lines the passenger facilities are completely lacking. In this connection. I would quote Gorakhpur-Katihar section.

Some award or incentive should be announced by the Railway Administration to avoid pilferage

I would request the opposition parties not to support such agitation which might cause harm to the national property and endanger our democracy.

Charges for the sleeping birth in the third class compartments have been raised to 4 rupees which is unfair. This rate should not be charged for the subsequent nights.

Some sound arrangements for the protection and keeping of goods at the Katkina railway station should be made.

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुनझुनू): रेलवे मंत्री द्वारा चालू वर्ष के बजट में 22.59 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इस घाटे के लिये उन्होंने दो कारण दिये हैं। पहला यह कि रेलवे को संम्भाव्य 85 लाख टन माल की ढुलाई से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा कारण उन्होंने यह बताया है कि कर्मचारियों के मंगाई में भत्ते था ईंधन के मूल्य में वृद्धि हुई है।

वर्ष 1968-69 के राजस्व बजट में माननीय मंत्री ने 27 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है और इस घाटे को वह यात्री किराये तथा माल भाड़े में वृद्धि कर पूरा करना चाहते हैं।

माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य के पृष्ठ 10 पैरा 23 में कहा है कि हाल ही के महीनों में प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में विपणन तथा बिक्री संगठन स्थापित किये गये हैं जिससे कि अधिक यात्रियों तथा माल की ढुलाई को आकर्षित किया जा सके। मेरे विचार में इस योजना को सफल बनाने के लिये हमें ग्राहकों की कुछ बातों को पूरा करना होगा जैसे कि माल मंगाने तथा भेजने वालों को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उन्हें माँग करने के 24 घंटे के भीतर-भीतर माल डिब्बे सप्लाई कर दिये जायेंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मैं कहना चाहूँगा कि व्यापारी लोग अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिये माल डिब्बों की अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते विशेषकर जब कि सड़क परिवहन में अच्छी सुविधायें उपलब्ध हैं।

जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा बड़ी लाइनों पर तो माल डिब्बों की स्थिति तो अच्छी हो सकती है परन्तु छोटी लाइनों पर यह एक चिन्ता का विषय है। पश्चिमी रेलवे में सौराष्ट्र तथा राजस्थान के उद्योगपतियों को माल डिब्बों की सप्लाई कम होने के कारण पर्याप्त क्षति उठानी पड़ रही है। माननीय मंत्री को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए अन्यथा रेलवे के राजस्व में प्रत्याशित वृद्धि सम्भव नहीं।

चालू वर्ष में माल डिब्बों के प्रयोग किये जाने में भारी कमी हुई है विशेषकर छोटी लाइनों पर। इससे रेलवे तथा मालडिब्बे मांगने वाले व्यापारियों दोनों को हानि हुई है। रेलवे को अपनी कार्यकुशलता को तुरन्त बढ़ाना चाहिए और मांग को पूरा करने के लिये अधिक माल डिब्बों की व्यवस्था करनी चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr Deputy Speaker in the Chair]

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि रेलवे के सभी विभागों में विशेषकर विपणन तथा बिक्री संगठन में पूरा समन्वय होना चाहिए। यदि संचालन विभाग पर्याप्त माल डिब्बों को सप्लाई करने में असफल रहता है तो स्थापित किये गये नये संगठन के अधिक यातायात आकर्षित करने के सभी प्रयास विफल हो जायेंगे।

यदि कुछ स्थानों पर कुछ माल डिब्बे जमा हो जाते हैं तो रेलवे प्रशासन तुरन्त प्रतिबन्ध लगा माल बुक करना बन्द कर देता है। ऐसा कई-कई सप्ताहों तक चलता है जिससे व्यापारियों को बहुत हानि होती है, अतः यह आवश्यक है कि माल ढोने की क्षमता को बढ़ाया जाये। यह भी हो सकता है कि रेलवे को कुछ स्थानों में अधिक यातायात आकर्षित करने के लिये कम दरों की घोषणा करनी पड़े।

पश्चिमी तथा उत्तरी रेलवे में विरमगाम सबायती, दिल्ली-सराय, रोहिल्ला और हिसार की मारफत माल भेजने में व्यापारियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि छोटी लाइनों से बड़ी लाइनों पर तथा बड़ी लाइनों से छोटी लाइनों पर माल डिब्बों को बदली करने की क्षमता बहुत कम है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिये ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए।

जहाँ तक कोयले पर किये जाने वाले व्यय का सम्बन्ध है इसमें पर्याप्त बचत की गुंजाइश है। यात्री तथा मालगाड़ियों में छोटी लाइनों पर विशेषकर अधिक कोयले की खपत की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपने भाषण अगले अवसर पर जारी रख सकते हैं।

दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों द्वारा आन्दोलन पर वक्तव्य के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : STATEMENT ON AGITATION BY DELHI SCHOOL TEACHERS

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 193 के अन्तर्गत दिल्ली स्कूल अध्यापकों के आन्दोलन पर चर्चा उठायेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The statement of the hon. Education Minister of 20th February is not only wrong but is also misleading. The hon. Minister in his statement has also stated that the teachers in Delhi are getting higher salaries as compared to their compatriots in Madras, Bombay and in all States of India. He has also stated that Government is shoart of funds otherwise it would have given something more. In this connection I would say that the increase in the salaries of the teachers, if calculated would come to 4 rupees per teacher but even this meagre increase is not available to all the teachers. Out of 30 thousand teachers this benefit will accrue to only one thousand teachers.

Some additional benefit was not given in 1959. Only dearness allowance was merged in the basic pay. This was done in regard to the Government servants.

So far as Kothari Commission is concerned it has recommended only minimum nationel pay for the teachers. Therefore it is no use saying that teachers in Delhi are getting more salary and allowances than what have been recommended in the said Commission's report. In this connection I would say that teachers in Haryana and Punjab are getting more than their compatriots in Delhi. If the hon. Minister feels that teachers in Delhi are getting more as compared to the compatriots in Himachal Pradesh and Haryana, he should refer this matter to HighCourt or the Deputy Speaker or to a Parliamentary Committee for decision.

The hon. Minister has also mentioned the financial implecations in the matter. If that is so , the Delhi Administration have offered to contribute 26 lakhs rupees for teachers pay raise Pay raise is the responsibility of the Central Government and it should consider their demand sympathetically. They should consider the recommendations of the Delhi Administration in this regard.

Some 6,000 teachers have been dismissed and about 250 teachers have been put in Jail. They are being arrested even from Gurdwaras and Temples. We should condemn the behaivour meted out to the teachers. We should realise that teachers are the builders of the nation and we cannot expect much from the frustrated lot.

I understand that the grades of the teachers in Himachal Pradesh are going to be revised. That is also a Union territory like Delhi. I would appeal to the Government not to discriminate and concede the demands of the Delhi teachers.

Shri Randhir Singh: (Rohtak): This matter requires great attention. These teachers are the builders of the character of our youngmen.

Generally, the conditions of the teachers are not satisfactory in our country. Either this Commissions should not be formulated and if it is done so these recommendations should be accepted by the Government. All the great leaders were in favour of the demands of the masters, but as soon as they come into power they forget it. These teachers have come into the trap of the Jan

Sangh leaders. They themselves have suspended these teachers. These people are interested in artificial fame. It does not mean that we have no sympathy with them. They are the sons of our country.

I will request the hon. Minister to accept their just demands. It should not be made a prestige question.

It is not a question of the teachers of Delhi alone. It is, therefore, proper that the situation should be well handled lest it may not be out of control. I will request the Government to accept their appropriate demands and for that they should be invited for discussion and this problem may be solved.

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया:—अध्यापक वर्ग निश्चित रूप से हमारे देश का बहुत जिम्मेदार वर्ग है। इन्हीं पर हमारी भावी पीढ़ियों के निर्माण करने और उनमें अनुशासन पैदा करने का दायित्व है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों ने निम्न स्तर की व्यापार संघों जैसी गति विधियों का सहारा लिया। उनके द्वारा परीक्षाओं से केवल दो या चार सप्ताह पहले हड़ताल किया जाना उनके उत्तरदायित्व के विरुद्ध है। इससे केवल दिल्ली के 1,50,000 विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ा है। सबसे अधिक दुःख की बात यह है कि उन्होंने विद्यार्थियों को कक्षाओं में न जाने के लिये भड़काया। उन्होंनें उन शिक्षकों को भी कक्षाओं में जाने से रोका जो कक्षा में जाना चाहते थे। उन्हें व्यापारिक संघों जैसी गतिविधियां करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

क्या यह सच नहीं है कि समाज के इतने महत्वपूर्ण वर्ग के साथ महत्त्वपूर्ण ढंग से व्यवहार किया जाना चाहिए? क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश के शिक्षक सबसे निर्धन हैं? सरकार ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की हुई है कि बिना आन्दोलन किये समाज का कोई भी वर्ग सरकार से कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकता। सरकार को ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए ताकि आन्दोलन करने की कोई आवश्यकता ही न पड़े।

जहाँ तक इस विवाद का प्रश्न है दोनों ही दलों ने इसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है। हम एक समाज में रह रहे हैं और हमें व्यवहारिक होना चाहिये। हमें इसे राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो हमें विचार-विमर्श द्वारा मामले को हल करने का प्रयास करना चाहिये।

Shri Shashibhusan Bajpai : (Khargone) : The builders of our nation are in trouble. 238 treachers have been arrested, the services of2,156 teachers have been terminated, 2,789 teachers have been suspended and 6,219 new teachers have been appointed. It has been said that the agitation of the teachers is not appropirate. 30,000 teachers are unitedly doing the agitation peacefully. To propogate that they have became voilent is absolutely wrong.

The recommendations of the Kothari Commission should be accepted. They have not been implemented.

The unjustice that is being done with teachers, is wrong. Who has recommended that they should be suspended. Their demands are just and their agitation is peaceful.

Their demands will be met as they are on peaceful agitation.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): इस समय 33,000 अध्यापक हड़ताल पर हैं। जिन्हें कालिज और विश्वविद्यालय के अध्यापकों का समर्थन प्राप्त है। मंत्री महोदय स्वयं अध्यापक रहे हैं और उन्हें यह विदित है कि अध्यापकों का शान्तिपूर्ण तरीकों में विश्वास है।

अतः बहुत से शिक्षकों को शिकार बनाया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि कोठारी आयोग, जिसके वह स्वयं भी सदस्य थे, ने न्यूनतम वेतन के लिये क्या सिफारिशें की हैं। कोठारी आयोग ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि स्थानीय परिस्थितियों को और सरकारी सेवाओं के आधीन तुलनात्मक व्यवसायों के आधार पर अधिक वेतन दिया जा सकता है।

वह बहुत शान्तिपूर्ण ढंग से अपना अभियान चला रहे हैं। इसके लिये वह सराहनीय हैं। शिक्षा मंत्री को मंत्रिमंडल पर अपना दबाव डालना चाहिये और अध्यापकों के प्रति अपना दायित्व निभाना चाहिये। उनके प्रति उनकी पूरी सहानुभूति होनी चाहिये।

श्री डी० चं० शर्मा: (गुरदासपुर) शिक्षकों का मामला दलगत राजनीति से ऊपर है। यह राष्ट्र का प्रश्न है। यदि कोई शिक्षकों के साथ धोखा करता है तो वह राष्ट्र के साथ धोखा करता है।

जिस शानदार ढंग से दिल्ली के अध्यापकों ने आचरण किया है उसके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उन्होंने अनुचित किया तो उसे सजा दी जानी चाहिये। शिक्षा निदेशक को तुरन्त बर्खास्त किया जाना चाहिये। वही ही अध्यापकों को परेशान करने के लिये जिम्मेदार है। माननीय शिक्षा मंत्री ने यथाउचित कार्य किया है परन्तु पूरी तौर पर नहीं। मुझे भय है कि यह आन्दोलन पंजाब, हरियाना और देश के समस्त भागों में न फैल जाये। अतः मेरा निवेदन है कि अध्यापकों की एक संयुक्त परिषद् को बुलाकर उसके साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिये।

Shri S.M. Joshi : (Poona) Teachers should not be blamed for strike because Government has failed to do his duties. Necessary funds should be provided for increasing the salaries of the teachers. An arbitrator should decide whether the Government is in a position to raise their salaries or not. If the decision of the arbitrator is that the Government is in a possibtion to pay more then the Government should accept the decision of the arbitrator.

श्री सम्बन्धन (तिरुताणि) :—यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि देश के किसी भी वर्ग की माँगें या अधिकार कितने ही उचित हों उसकी माँगों को जब ही मान्यता दी जाती है जब वह हड़ताल का सहारा ले। सत्तारूढ़ दल ने पिछले कई वर्षों से ऐसी स्थिति पैदा की हुई है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षक, और विशेषकर दिल्ली के शिक्षकों को जो राष्ट्र के निर्माता समझे जाते हैं को हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। इन मामलों को विचार-विमर्श द्वारा हल किया जाना चाहिये।

मुझे सूचना मिली है कि हजारों अध्यापकों को मुअत्तिल कर दिया गया है और उनके स्थान पर राजनीतिक दल के कुछ स्वयंसेवकों को कक्षाएं लेने के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिये। मैं एक बार फिर यह निवेदन करूँगा कि इस मामले को विचार विमर्श द्वारा हल किया जाना चाहिये।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) मेरी वह बात समझ में नहीं आती कि सरकार अपने संसाधनों का हिसाब लगाये बिना ही समितियों और आयोगों को क्यों नियुक्त करती हैं। जब सरकार समिति या आयोग नियुक्त करती है तो फिर उसे उनकी सिफारिशों को भी मानना चाहिये।

श्री अनिरुद्धन (निरचिन्कील) :—मेरे विचार से अध्यापक तीन वर्गों में बटे हैं। शिक्षकों के एक वर्ग पर दिल्ली प्रशासन का नियंत्रण है। दूसरा वर्ग भारत सरकार के नियंत्रण में है और तीसरा नई

दिल्ली प्रशासन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अत: इनमें समन्वय नहीं है। यदि ये तीन वर्ग मिलकर विचार-विमर्श करें तो यह समस्या हल हो सकती है। सरकार इस आन्दोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री स्वयं अध्यापक रहे हैं अत: उन्हें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरी) : यदि माननीय मंत्री उन्हें नकद राशि नहीं दे सकते थे तो उन्हें अध्यापकों को अन्य सुविधायें देने का प्रयत्न करना चाहिये था।

Shri Prakash Vir Shastri : (Hapur) : During the last session of the House the Hon. Education Minister assured the House that he would consider this matter sympathically. After that a meeting of the representatives of the teachers and some members of Parliament was called. In that meeting it was decided that this matter would be discussed between the Officers of the Education Ministry and the representatives of the teachers. Taking into consideration the rise in prices the Government should increase the dearness allowance of the teachers in line with the other departments. It is not proper for the Government to say that it is not prepared to talk with the teachers. They are the builders of nation. The Government should solve the matter by discussion.

Shri Shiv Narain : (Basti): I want to know whether selection of the teachers in place of the teachers who have been suspended has been done properly or not. If the Delhi Administration cannot make provision for Rs.11 lakhs, then it should be dissolved.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : क्या मंत्री महोदय अध्याय तीन को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने के लिये तैयार हैं क्योंकि इसी आधार पर मामले को हल किया जा सकता है? (अन्तर्बाधाएं) इस अवसर पर साहस की आवश्यकता है। आप फुटनोट का लाभ उठा रहे हैं। (अन्तर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मंत्री महोदय को सुनना नहीं चाहते तो मैं सभा को 4.30 बजे स्थगित कर दूंगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): क्या मेरे दल के सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय :श्री कबिर भी बोलना चाहते हैं। सदन में और भी शिक्षक हैं। यह दल का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं इसका विरोध करता हूँ। यह बहुत अनुचित है। जो सदस्य शोर मचाते हैं और जो सदस्य सदन में अनुशासनहीन रहते है उन्हें बोलने का अवसर दिया जाता है और क्योंकि हम शान्त हैं अत: हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता इसके विरोध में सदन छोड़कर जाता हूँ।

(इसके पश्चात श्री श्रीनिवास मिश्र सभा–भवन छोड़ कर बाहर चले गये)

(Shri Srinivas Misra then left the House)

इसके पश्चात् लोक सभा 5 बजे म० प० पुन: समवेत हुई

THE LOK SABHA THEN RE-ASSEMEBLED AT SEVENTEEN OF THE CLOCK

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

व्यवस्था का प्रश्न

POINT OF ORDER

श्री नाथपाई (राजापुर): मैं आपका ध्यान नियम 25 की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ, इसमें उल्लेख किया गया है कि :

"......जब तक अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिये पर्याप्त आधार है"

मैं सभा के कार्य में परिवर्तन करने को कह रहा हूँ। राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसार आज उप-प्रधान मंत्री ने इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करना है।

मैं आप से निवेदन कर रहा हूँ कि कल सभा में जो कार्य पूरा नहीं हो सका उसे पूरा किया जाना चाहिये। हम उस विषय पर अभी चर्चा कर रहे थे। उपाध्यक्ष ने यह निर्णय दिया था कि इस सम्बन्ध में तब तक चर्चा की जानी चाहिये जब तक प्रत्येक दल को बोलने का अवसर प्रदान किया जाये। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि नियम 25 के अनुसार कल जो सभा की कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी वह पूरी करने के बाद बजट प्रस्तुत किया जाये। जिन दल के नेताओं को बोलने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है उन्हें बोलने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। मुझे आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे और चर्चा को आगे जारी रखने की अनुमति देंगे।

श्री कंवरलाल गुप्त : श्रीमान, श्री नाथपाई के व्यवस्था के प्रश्न पर आपका विनिर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय तुरन्त नहीं दे सकता। मैं इसके लिये कुछ समय लूंगा।

Shri Madhu Limaye: Sir, there are many reasons that the Finance Minister should move Finance Bill today. It is his birthday today. It is not good that he should impose new taxes on people and they should abuse him on this day..

Secondly, last time he had promised that there would be no deficit financing in future. I am not aware about his proposals now. Thirdly a colleague of my party has been asked to cut short his speech.

Sir, I want to draw your attention to Rule 15, under which Speaker can adjourn the House for one day or two days. I would request you to adjourn the house for 10 minutes.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मेरा दल इस व्यवस्था के प्रश्न को उचित नहीं समझता और इससे अपने को सम्बद्ध नहीं करता। मुझे खेद है कि वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत नहीं करने दिया जा रहा। हमारा व्यवहार शिष्टतापूर्ण होना चाहिये। (**व्यवधान**)। ऐसी बात पिछले 18 वर्षों में नहीं हुई है मेरा आप से अनुरोध है कि इन विलम्बकारी चालों में न फंसें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : (Balrampur) : Sir, yesterday's, happenings were very unfortunate. There is a complaint that some members of the opposition were not allowed to speak and they resented over this. I may say that this way of protesting is not proper. We should allow the Finance Minister to present Budget.

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथपाई ने कहा है कि कल उन्हें चर्चा के बाद उत्तर नहीं देने दिया गया। इस बारे में उनकी शिकायत ठीक है। परन्तु प्रश्न यह है कि इसके लिये केवल कांग्रेस दल वाले ही जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिये दूसरे कारण भी हैं।

श्री वासुदेवन नायर : आप जानते हैं कि हम ऐसे अवसरों पर इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते (**व्यवधान**) हम कांग्रेस वालों के रवैये के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करना चाहते है। गृह-कार्य मंत्री ने भी सभा की कार्यवाही में दो सदस्यों के बोलने के बाद भाग लिया। उनके बोलने के बाद एक कांग्रेसी सदस्य ने चर्चा समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जबकि प्रतिपक्ष के और भी सदस्य बोलना चाहते थे। हम कांग्रेस वालों की चालों का जवाब देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा समय नहीं कि ऐसे किया जाये।

Shri Rabi Ray : Let Prime Minister say something over this.

अध्यक्ष महोदय : मैं अब इस पर और चर्चा ठीक नहीं समझता। मैं अब इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। अब तो बजट पेश किया जाना है।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अध्यक्ष महोदय .... (व्यवधान) मैं 1968-69 का बजट पेश करता हूँ। जैसी आर्थिक कठिनाई में से हम अब निकल रहे हैं, वैसी कठिनाई स्वाधीनता की अवधि में हमें पहले कभी नहीं हुई। साल-ब-साल बारिश की कमी, अन्न और कच्चे माल की कमी, बढ़ती हुई कीमतें, उद्योगों में बने माल की माँग में गिरावट, और उसी प्रकार अपर्याप्त निर्यात एवं बचत की कमी के साथ-साथ, पूंजी बाजार की शिथिलता के कारण हमें पिछले दिनों निराशा-सी हो गयी थी। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि पिछले दो वर्षों के बारे में भी हम कुछ राहत की साँस लेकर विचार कर सकते हैं। हमारे अपने देशवासियों के परिश्रम तथा विदेशी मित्र देशों की सहायता से हम महान् संकट को टाल सके। और साथ-साथ अपनी खेती योजनाओं में नई प्रगति का संचार कर सके हैं।

2. अगले वित्तीय वर्ष के लिए मैं आशावान हूँ। मुझे उम्मीद है कि यदि हम सही-सही नीतियाँ अपना सकें तो यह वर्ष हमारे लिए नई प्रगति का बनेगा। खेती की पैदावार में तेजी से वृद्धि होने तथा आमदनियों के बढ़ने से हमारे उद्योगों में बने माल की माँग का बढ़ना अनिवार्य है। निर्यात का मौजूदा रुख भी उत्साह का है। कीमतें नीचे आती दिख रही हैं, इसलिए अगले साल के लिए हमारी नीति का ध्येय होना चाहिये कि इन लाभों को इस तरह संगठित करें कि अगले साल से हम पंचवर्षीय योजना में विकास का काम बड़े पैमाने पर चालू कर सकें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो उनको सुनना नहीं चाहते, सभा से बाहर जा सकते हैं। (व्यवधान)

3. खेती के बारे में हमारे नये कार्यक्रम के पहलू से माननीय सदस्य अवगत ही हैं। नाइट्रोजिन-खाद 1965-66 के मुकाबले इस साल दुगुनी से भी ज्यादा मिलती रही है, और व्यवस्था की जा रही है कि ऐसी खाद और भी अधिक मिलती रहे। ज्यादा उपज देने वाली बीजों से की जाने वाली खेती का रकबा मौजूद साल के 1½ करोड़ एकड़ से बढ़कर, अगले साल दो करोड़ दस लाख एकड़ हो जाना चाहिये। कुछ समय से सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं के ऊपर अधिक ध्यान दिया जा रहा है है ताकि लागत और श्रम का फल तुरन्त मिल सके। सिंचाई की नई छोटी योजनाओं से चालू साल में 30-35 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकी है और कोशिश रहेगी कि अगले साल में अतिरिक्त 35 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सके। सिंचाई की जिन बड़ी योजनाओं में अच्छी प्रगति हो चुकी है, उनकी ओर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

4. इस बात की पूरी-पूरी कोशिश करनी होगी कि जिस प्रकार के प्रगतिशील तकनीकों से अन्न की पैदावार बढ़ी है, उन्हीं तकनीकों को व्यवहार में लाकर वाणिज्य वर्ग की फसलों को बढ़ाया जाय। प्रत्येक एकड़ की पैदावार को बढ़ाना कई कारणों से जरूरी है। सबसे पहले, किसानों को उचित लाभ होना चाहिये, लेकिन उसके साथ-साथ देश में सामानों के दाम नहीं बढ़ें और विदेशी मण्डियों में हम

अपना माल बेच सकें। परिष्करण (प्रोसेसिंग) उद्योगों का भी इस दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग होना आवश्यक है। आगे चलकर मैं इन प्रयत्नों को बढ़ावा देने की व्यवस्था का जिक्र करूँगा।

5. नई कृषि नीति की सफलता के लिए यह जरूरी है कि किसानों को अपनी पैदावार का लाभदायक दाम मिलता रहे। मैं सदन को यह आवश्वासन देना चाहूँगा कि जितना भी अन्न निर्धारित कीमत पर बिकने आयेगा सरकार तथा खाद्य निगम उसे खरीदेंगे, तथा इस काम के लिए किसी भी तरह धन की तंगी नहीं होने दी जायेगी। 70 लाख मेट्रिक टन अन्न इकट्ठा करना हमारा लक्ष्य है, और जाहिर है कि इसे पूरा करने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों को पर्याप्त प्रयत्न करना होगा। हमारी अपनी पैदावार का कुछ हिस्सा जनता के अपने निजी भण्डारों की पूर्ति में चला जायगा और खपत में भी कुछ बढ़ती हो सकती है। इसलिए इतना अन्न इकट्ठा करने के बावजूद हमें विदेशों से अन्न मंगाना पड़ेगा, ताकि हम बहुत समय के अधूरे, अन्न-संकट-निवारक भण्डार बनाने के निर्णय को कार्यान्वित कर सकें। संयुक्त राज्य अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत 35 लाख मेट्रिक टन आयात करने का करार हो चुका है। **(व्यवधान)**

6. पिछले कुछ वर्षों में अनाज के भावों में हुई सतत वृद्धि सर्वव्यापी चिन्ता का विषय रही है। मार्च 1967 में समाप्त चार वर्षों में भावों में 60 प्रति सैकड़ा बढ़ती हुई है, और चालू वित्तीय वर्ष के शुरू में भी भावों में और बढ़ती हो गयी थी। हाल के महीनों में भावों में गिरावट का रुख आया है। यह गिरावट कुछ हद तक मौसमी है। परन्तु अन्न तथा उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में ज्यादा से ज्यादा तादाद में आते रहने को उम्मीद है। आशा की जाती है कि कीमतें स्थिर हो जायेंगी।

श्री बलराज मधोक : आप उनको ऐसे आज्ञा क्यों देते है कि वे पूरी सभा में गड़बड़ करें। हम यह सहन नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मेरा उनसे अनुरोध है कि जो सदस्य मंत्री महोदय को सुनना नहीं चाहते बाहर चले जायें। **(व्यवधान)**

7. महोदय, मुझे यह कहने में खुशी है कि इस साल यह समझौता हो सका कि सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में दी जाने वाली वृद्धि का एक भाग, नकदी में देने की बजाय, उनके भविष्य निधि खातों में जमा कर दिया जाय। इन रकमों को अगले साल निकाला जा सकता है। मैं सरकारी कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि इन जमा-रकमों को नहीं निकाला जाय, जिससे कीमतों को स्थिर रखने का वातावरण बना रहे। इस कार्य में मैं माननीय मित्रों का पूरा सहयोग चाहता हूँ। कहा जाता है कि अर्थशास्त्र सख्त विज्ञान है, और कोई चारा नहीं है कि बचतों के मूल्य को बनाये रखने के लिए अधिकाधिक बचत की जाय।

8. विकास कार्य में पर्याप्त प्रगति लाने और बनाये रखने के लिए अनिवार्य है कि बढ़ी हुई आमदनियों के एक महत्वपूर्ण भाग को फिर से पूंजी रूप में लगा दिया जाय। कुछ मात्रा में, उन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से पूंजी लगानी होगी जो अपेक्षाकृत बड़ी आमदनियों में से बचत करते हैं। किसान बन्धु पम्प, ट्रैक्टर तथा खेती के दूसरे उपकरण खरीदना चाहेंगे। फिर भी, सभी वर्गों की बचतों के कुछ हिस्से को निजी कार्यक्षेत्र के बाहर, सरकारी अथवा गैर-सरकारी निवेश के लिए जुटाने की आवश्यकता होगी।

9. इस उद्देश्य की प्राप्ति में छोटी बचत आन्दोलन का खास महत्व है। बारिश की कमी के कारण हाल में छोटी बचतों से वास्तविक संग्रह की रकम पहले के मुकाबले कम रही है। छोटी बचतों की योजनाओं में मैं कई परिवर्तन कर रहा हूँ और इस सम्बन्ध में आवश्यक अधिसूचनाएँ जारी की जा रही हैं। संक्षेप में मैं यह बता दूं कि हम एक नई 'पंचवर्षीय जमा योजना' चालू कर रहे हैं, जिसमें 4½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा और ब्याज पर कर नहीं लगेगा। हम वर्तमान पंचवर्षीय सावधिक (क्युमुलेटिव) जमा योजना तथा 12-वर्षीय और 10-वर्षीय कर-मुक्त बचत पत्रों पर मिलना वाले ब्याज की दर में भी परिवर्तन कर रहे हैं। इन उपायों के साथ-साथ बचत-संग्रह कराने का जो आन्दोलन खासकर देहाती हलकों में नए तौर पर चलाया जाने वाला है, उससे अधिक साधन जुटाने में सहायता मिलनी चाहिए।

10. सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधियों में इकट्ठी होने वाली रकमों पर मिलने वाले ब्याज को दर बढ़ाई जा रही है। परन्तु यह बढ़ोतरी इन रकमों में जमा किए हुए 10000 रुपए तक के अंश पर ही लागू होगी। अपना निजी कामकाज करने वाले व्यक्तियों को भविष्य निधि के जरिये बचत करने की अभी सुविधा नहीं है। इसलिए एक सार्वजनिक भविष्य निधि योजना चालू करने का मेरा प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों को भविष्य-निधि में रुपया जमा कराते रहने का, तथा ऐसी निधियों में जमा कराई जाने वाली रकमों के सम्बन्ध मे कानून के अधीन मिलने वाली आयकर सम्बन्धी लाभ पाने का मौका मिल सकेगा। मेरी यह आशा है कि समय के दौरान इस भविष्य निधि योजना से सरकारी खजाने के लिए काफी महत्वपूर्ण साधन जुट सकेंगे। अपना निजी कामकाज करने वाले लोग, जैसे डाक्टर, वकील, कलाकार, अभिनेता और अभिनेत्रियाँ, पुराने सैनिकों की भाँति, कभी सेवा निवृत्त होते नहीं सुने जाते। परन्तु वे भी एक दिन अपनी चरम सीमा को पहुँच जाते हैं। माना कि इन व्यक्तियों को साधारण मनुष्यों की अपेक्षा चिरजीवी रहने का विश्वास है। फिर भी इन्हें एक कायदे से, कर में काफी बचत करते हुए, कुछ रकम इस कोष में जमा करते रहने से फायदा ही होगा।

11. निर्यात के मामले में चालू वर्ष में एक हद तक वृद्धि हुई है, साथ-साथ तुलनात्मक ढंग से आयातों की वृद्धि कम रही है। फिर भी हमारी विदेशी मुद्रा की जमा रकमों में 1967 में अप्रैल और नवम्बर-मध्य के बीच 6 करोड़ डालर की कमी हो गई, और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से 9 करोड़ डालर की रकम उठा लेना जरूरी हो गया। खुशी की बात है, हाल के चंद सप्ताहों में, निर्यात में प्रगति होने से विदेशी मुद्रा की जमा रकमों में वृद्धि हुई है। आशा है यह सुधार चलता रहेगा। ऋण सम्बन्धी जो थोड़ी-सी राहत हम इस साल पा सके हैं, उससे भी हमें विदेशी मुद्रा की कुल-जमा स्थिति को बनाये रखने में मदद मिली है। उद्योगों में प्रगति आने से आयात की माँग बढ़ जायगी, और स्पष्ट है कि निर्यातों से होने वाली कमाई में स्थायी रूप से वृद्धि लाये बिना हम अपने शोधन-सन्तुलन (बेलेन्स आव पेमेन्ट) को सही अर्थ में सम्बल नहीं बना सकते। सारांश यह है कि हम निर्यात करने योग्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ायें, सभी दिशा में कार्य-कुशलता तथा बचत में वृद्धि करें। परिस्थितियों के हेर-फेर के अनुकूल हमें अपनी निर्यात नीति में सम्यक् परिवर्तन करते रहना पड़ेगा।

श्री मधुलिमये, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री नाथ पाई, श्री स० मो० बनर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

Shri Madhu Limaye, Shri H.N. Mukerjee, Shri Nath pai, Shri S. M. Banerjee and some other hon. Members left the House.

12. इसी कारण, निर्यात शुल्कों में कई परिवर्तन करने की घोषणा 7 फरवरी 1968 को ही कर दी गयी है। आम तौर से इस तरह की घोषणा सब वित्त मंत्री बजट के मौके पर करना चाहेंगे, क्योंकि कड़वी बातों के साथ कुछ मीठी बातों का मिलाना अच्छा होता है। यह एक विषय था जिस पर मुझे प्रशंसा मिल सकती थी, जबकि बजट प्रस्तावों से निन्दा ही मिलती है। तथापि परिस्थिति का तकाजा ऐसा था कि बजट के पहले ही घोषणा करना मैंने ठीक समझा। कुछ निर्यात वस्तुओं के लिए खास कर बनायी जाने वाली नयी वस्तुओं के लिए, हम नकद सहायता भी देते रहते हैं। सहायता की इन राशियों में समुचित सुधार कर दिया गया है। सहायता की इस नई व्यवस्था को सरकार स्थिर रखना चाहेगी। सहायता की प्रणाली के विषय में हर समय की अनिश्चितता अथवा मुंह-तकी देश-हित में नहीं होगी। निर्यात-वृद्धि के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के तरीके को सीधा और सरल बना दिया गया है।

13. निर्यात क्षेत्र के सामने एक बड़ी आवश्यकता पर्याप्त और सस्ते ऋण की व्यवस्था करना है। इस वर्ष औद्योगिक विकास बैंक ने निर्यात के लिये दरमियानी अवधि के ऋणों की सुविधाएँ बढ़ा दीं और भारत के रिज़र्व बैंक ने भी ऐसे उपाय किए जिनसे नई बनी वस्तुओं के निर्यात के लिये खास रियायती दरों पर ऋण मिल सके। यह जरूरी है कि निर्यात के काम के लिये सामान्यतः ब्याज की कम दर पर रकम उधार मिल जाय। इसलिए मैं अगले वर्ष के बजट में ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ कि बैंकों द्वारा निर्यात के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज को कम करने के लिए राज सहायता दी जा सके। इस योजना की घोषणा रिज़र्व बैंक द्वारा की जायगी, जिसमें राज-सहायता पाने योग्य ब्याज की दरों की सीमा भी बताई जायगी।

14. भारत की निर्यात-आय में वृद्धि, उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय ढाँचे के अन्दर ही सम्भव हो सकती है। हमें हर्ष है कि संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार और विकास सम्मेलन का अधिवेशन नई दिल्ली में हो रहा है। आशा है कि इस सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श से विकसित और विकासशील देशों के बीच, तथा विकासशील देशों के अपने आपस में व्यापारिक सहयोग और आर्थिक सहायता देने लेने में मदद मिलेगी।

15. माननीय सदस्यों को पता ही है कि इस साल उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमने, एक के बाद एक, कई उपाय किए हैं। खेती की पैदावार में नई प्रगति आने से, तथा उसके कारण आमदनियाँ बढ़ जाने से, सूती धागे और वनस्पति जैसी कई उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी है। माल-वाहक मोटर गाड़ियों के निर्माण में भी प्रगति के लक्षण नजर आ रहे हैं। कृषि से सम्बन्धित उद्योगों ने इधर अच्छा काम किया है और वे अपनी प्रगति को बनाये रख रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था की सुधरती हालत के कारण गैर-सरकारी पूंजी-निवेश में वृद्धि होनी चाहिये। उद्योगों के लिए नई प्रगति का वातावरण बनाने और बनाये रखने के लिए जहाँ निर्यात में वृद्धि करना जरूरी है, वहाँ आयात पर निर्भरता को कम करते रहना भी अनिवार्य है। हमें संतोष है कि हमारे पूंजी की किस्म का माल बनाने वाले उद्योगों ने हाल ही में काफी कीमत का माल निर्यात करने के आर्डर प्राप्त किए हैं और हमें सोवियत संघ से रेल

के डिब्बों, रेल की पटरियों और इस्पात की बनी अन्य वस्तुओं के काफी बड़े आर्डर मिलने की आशा है। मेरा अनुमान है कि औद्योगिक उत्पादन में अगले वर्ष कम से कम 5 से 6 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। पिछले कुछ सालों में हमारी औद्योगिक वृद्धि का अनुपात ज्यादा रहा है, फिर भी जहाँ हम पिछले दो वर्षों में नीचे जा रहे हैं, उसकी तुलना में इस वृद्धि को महत्व सूचक समझना चाहिये।

16. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कार्य-प्रणाली की ओर हमारा विशेष ध्यान लगा हुआ है। औद्योगिक शिथिलता से सरकारी उद्यम क्षेत्र को खास तौर से धक्का पहुँचा है, क्योंकि यह क्षेत्र पूंजी की किस्म का माल अथवा माल बनाने वाले यंत्र बनाने में लगा हुआ है। आर्थिक व्यवस्था में नवीन जाग्रति से इस क्षेत्र को निश्चय ही सहायता मिलेगी। परन्तु चिरकालीन तरक्की के लिए आवश्यक है कि कार्यक्षमता और उत्पादन की मूल समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाय। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों पर तत्परता से विचार किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि स्थायी सुधार करने के लिये जल्दी ही ठोस कदम उठाये जायेंगे।

17. यहाँ तक मैं आपके सामने बचत, निर्यात, कीमतों तथा उत्पादन की समीक्षा करता रहा हूँ। अब मुझे आपके समक्ष कुछ असुविधाजनक बातें पेश करने की छूट होनी चाहिये। मैंने अपने पिछले वर्ष के बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि देश की उस समय की परिस्थितियों में घाटे की अर्थ व्यवस्था को टालना जरूरी था। इन परिस्थितियों में तो सुधार हुआ है, परन्तु अफसोस है कि मेरे बजट का भाग्य अभी सुधर नहीं पाया है। वास्तविक अनुमान तो यह है कि इस वर्ष केन्द्र में 300 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा। माननीय सदस्य जानते हैं कि सदन को यह सूचना देना मेरे लिए न सरल है और न सुखद। केवल इस बात से कुछ सान्त्वना है कि व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि के साथ बजट की बिगड़ती स्थिति का कोई सम्बन्ध नहीं है। बजट की स्थिति बिगड़ी है, राजस्व-संग्रह तथा विदेशी सहायता के उपयोग में कमी के कारण, जिनका भी मूल कारण आर्थिक कामों में गिरावट है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के और विभिन्न राज्यों के साधनों में हुई कमी का भी इस पर असर पड़ा है। साधनों के निम्न अनुमान लगाने के बार-बार के दोषारोपण के कारण ऐसा लगता है कि उल्टी दिशा में हम कुछ हद तक बह गए। साधनों में कमी की स्थिति जैसे ही उभर कर सामने आनी शुरू हुई, वैसे ही मैंने व्यय में समुचित कमी-बेशी करने की कोशिश की। परन्तु आप मानेंगे कि वर्ष के बीच में ऐसे हेर-फेर करने में खासकर जब पहले से ही तंग बजट बनाया गया हो तो गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। साथ ही इस बात का भी खयाल रखना था कि सरकारी खर्च में सख्त कटौती की गई तो आर्थिक मंदी पर बुरा असर पड़ेगा। इस प्रसंग में करीब करीब सभी दिशाओं से सुझाव आये कि एक या दूसरे रूप में सरकारी खर्च को बढ़ाया जाय। इस आशय से कुछ काम भी करना पड़ा। फिर भी संतोष की बात है कि व्यय को सम्पूर्ण अनुमानों की सीमा के अन्दर रखा गया है। कम से कम इस बात में माननीय सदस्यों के उपदेश को ग्रहण करने का मैं कुछ श्रेय ले सकता हूँ।

18. मैंने पिछले मई महीने में जो बजट पेश किया था, उसमें पी० एल० 480 से भिन्न,

865 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता का उपयोग करने का अनुमान लगाया था। परन्तु वास्तव में 756 करोड़ रुपए से अधिक रकम की सहायता का उपयोग होने की आशा नहीं है, जिसका अर्थ है 109 करोड़ रुपए जितनी रकम का उपयोग नहीं होना। आयात शुल्कों की प्राप्तियों में मूल बजट अनुमान से लगभग 125 करोड़ रुपए की कमी होगी। इसके अलावा, रेलवे राजस्व में 17 करोड़ रुपए की कमी और साथ-साथ उनके सामान्य कार्य-चालन में व्यय में 23 करोड़ रुपए की वृद्धि दिखाई देती है, जिससे कुल मिलाकर 40 करोड़ रुपये का घाटा रहता है डाक और तार विभाग में भी इसी प्रकार 22 करोड़ रुपए का घाटा है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आन्तरिक साधनों में 41 करोड़ रुपए की कमी हुई है, जो अधिकांश हिन्दुस्तान स्टील में हुई है।

19. इस वर्ष इतना घाटा होने का एक अन्य कारण राज्यों द्वारा निर्धारित अधिक रकम उठा लेने का भी है। पिछले मार्च के महीने में हमने कुछ राज्यों के लिए 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसलिए की थी कि रिजर्व बैंक से अधि-प्राप्त उन रकमों को चुका सकें जिनके 1966-67 के अन्त में बकाया रहने के सम्भावना है। पिछले मई महीने में मैंने जो बजट पेश किया था, उसमें भी इसी प्रयोजन के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। वास्तव में पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में राज्यों को उनकी अधि-प्राप्त रकमों के सम्बन्ध में कुल 113 करोड़ रुपए दिए गए थे, और यह आशा की गई थी कि पिछली अधि-प्राप्त रकमों के भार से मुक्त हो जाने पर, राज्य सरकारें चालू वित्तीय वर्ष में उसी प्रकार से अधिक रकमें बैंक से निकाल लेने की प्रवृत्ति को टालेंगी। अफसोस है कि कुछ राज्य अभी भी रकमें अधि-प्राप्त करते जा रहे हैं और चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करने का मैंने निर्णय किया है, जिससे चालू वर्ष के अन्त में अधि-प्राप्त रकमों के भार को एक बार फिर उतारा जा सके। इस प्रकार जहाँ हमने राज्यों की योजनाओं को अगले साल कायम रखने का निर्णय किया है, वहाँ माननीय सदस्यों को यह मानना पड़ेगा कि मनमानी अधि-प्राप्ति की उपलब्धि-प्रणाली को कायम नहीं रख सकते। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें ऐसी स्थिति नहीं आने देंगी, जिसमें उनको रिजर्व बैंक से प्राप्त बैंकिंग की वर्तमान सुविधाओं को चालू रखने पर पुनर्विचार करने की मजबूरी पैदा हो जाय।

20. करों के मौजूदा स्तर के आधार पर, अगले वर्ष 3132 करोड़ रुपए की राजस्व-प्राप्ति का अनुमान है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 138 करोड़ रुपया ज्यादा है। 86 करोड़ रुपए की मुख्य वृद्धि उत्पादन शुल्क की मद में है। आय-कर से केवल 10 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। निगमित (कारपोरेट) क्षेत्र की इस वर्ष की लाभ-प्राप्ति का अगले वर्ष के कर-निर्धारणों पर असर पड़ेगा ही। सीमा शुल्क के राजस्व में 3 करोड़ रुपए की किंचित कमी का अनुमान है, क्योंकि आयात शुल्कों में अनुमित वृद्धि निर्यात शुल्कों में घटाव के कारण कमी में परिणित हो जाती है। अगले वर्ष राजस्व में बाकी की वृद्धि मुख्यत: ब्याज की प्राप्तियों की मद में हुई है। राजस्व के रूप में मिलने वाली कुल रकम में से 423 करोड़ रुपया राज्यों को, केन्द्रीय करों और शुल्कों में उनके हिस्से के रूप में दे दिया जायगा।

21. पी० एल० 480 से भिन्न विदेशी सहायता का 775 करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है। अगले वर्ष वापसी-अदायगी की जिम्मेदारी 193 करोड़ रुपए की है, जिससे वास्तविक रकम 582 करोड़ रुपए की रह जायगी। पी० एल० 480 के अधीन किए जाने वाले आयातों के सम्बन्ध में मिलने वाले रुपए तथा साथ-साथ नए करारों के अधीन मिलने वाले डालर ऋण की रकम का 274 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है जबकि इस वर्ष यह रकम 366 करोड़ रुपए की थी।

22. रक्षा सम्बन्धी व्यय के लिये, इस वर्ष के संशोधित अनुमानों के 970 करोड़ रुपए के मुकाबले, अगले वर्ष के अनुमानों में 1015 करोड़ रुपया रखा गया है। इस तरह से 45 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जो मुख्यतः महगाई भत्ते में वृद्धि तथा सामान बदलने के लिए थोड़ी अधिक रकम की व्यवस्था करने के कारण है। इन अनुमानों में पेंशन सम्बन्धी व्यय के लिये 2 करोड़ रुपए की तथा पूंजी की मद में 7 करोड़ रुपए की वृद्धि भी सम्मिलित है। सीमावर्ती सड़कों के लिए 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गयी है जो इस वर्ष के संशोधित अनुमानों से 5 करोड़ रुपया अधिक है।

23. महोदय, मैं खूब महसूस करता हूँ कि हमारे रक्षा सम्बन्धी व्यय की पूरी-पूरी छान-बीन की जानी चाहिये, ताकि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध साधनों पर अनावश्यक आँच नहीं आये। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को बनाये रखते हुए, रक्षा व्यय के आकार में कमी करने के प्रश्न की ओर हम सतत चेष्टावान हैं। रक्षा सेवाओं के लड़ाकू और गैर-लड़ाकू अंगों के खर्चों के अनुपात में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसमें आगे भी सुधार करने के अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं। इसी प्रकार, हमारे रक्षा-परिव्यय की लागत के अनुरूप परिणाम पाने में सुधार करने के लिये अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। हाल में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण रक्षा व्यय में भी कुछ वृद्धि होना अनिवार्य था। किन्तु माननीय सदस्यों को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि सम्पूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत अनुपात में रक्षा व्यय पहले ही 1963–63 के 4.4 प्रतिशत से घटकर 1967–68 के अनुमान के अनुसार 3.2 प्रतिशत पर आ गया है।

24. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को योजना-भिन्न अनुदान देने के लिए 1968-69 के अनुमानों में 243 करोड़ रुपये की रकम सम्मिलित की गई है। राज्यों और संघ-राज्य-क्षेत्रों को योजना-भिन्न ऋण देने के लिए भी 223 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 105 करोड़ रुपया तो रासायनिक खादों, बीजों और कृषि-रोग-कीटाणु नाशक दवाओं को खरीदने तथा बाँटने के लिए है, एवं 20 करोड़ रुपया अभावग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुँचाने के लिए है। योजना से भिन्न विकास मदों के अन्तर्गत खर्च की व्यवस्था के लिए चालू वर्ष के 214 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वर्ष 237 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। इस बढ़ती का कुछ अंश निर्यात के प्रवर्द्धन के कारण भी है। प्रशासन सबन्धी मदों के अधीन इस वर्ष की 177 करोड़ रुपये की व्यवस्था की तुलना में 186 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, और अधिकांश वृद्धि मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों के कारण है। ब्याजखाते इस वर्ष के 508 करोड़ रुपये के मुकाबले कुल 550 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

25. जिन विविध मदों का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है, उनके तथा अभी बताये गये अनुमानों के आधार पर, अगले वर्ष आयोजना के साधनों के लिए 1544 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 170 करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, रेलों तथा डाक और तार विभाग का अंशदान होगा।

26. केन्द्र तथा संघ-राज्य-क्षेत्रों के आयोजना व्यय को पूरा करने के लिए और साथ ही राज्यों को आयोजना सम्बन्धी सहायता देने के लिए उपर्युक्त रकम से भी अधिक धन-राशि की जरूरत है। केन्द्रीय सरकार की आयोजना की व्यवस्था में कई पहलुओं का खयाल करना है, एक तरफ तो साधनों की विवशता, और दूसरी तरफ चालू योजनाओं की प्रगति को कायम रखना, तथा साथ ही कुछ मुख्य प्राथमिक क्षेत्रों में नई योजनाओं को प्रारम्भ करना। इन सभी मकसदों में संतुलन कायम करना आवश्यक है। इन्हीं आधारों को मद्दे नजर रखते हुए, राज्यों को सहायता देने की व्यवस्था करने के लिए, वर्तमान वर्ष के 595 करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वर्ष 615 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गई है। संघ-राज्य-क्षेत्रों के लिए 65 करोड़ रुपये की रकम रखी गई है, जो इस साल से एक करोड़ रुपया ज्यादा है। केन्द्रीय सरकार की अपनी आयोजना के लिए की गई 1179 करोड़ रुपये की व्यवस्था, चालू वर्ष के बजट अनुमान के 1172 करोड़ रुपये तथा लगभग 1150 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से थोड़ी-सी ही अधिक है। कुल मिलाकर, केन्द्र के बजट में, 1809 करोड़ रुपये के संशोधत अनुमान के मुकाबले, आयोजना के लिए अगले वर्ष 1859 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों को भी अपनी आयोजनाओं के लिए खुद साधन जुटाना है, जिससे उपर्युक्त आंकड़ों में वृद्धि होगी। माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि अन्न-संकट-निवारक भंडार का संग्रह करने के लिए 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस व्यवस्था से हमारी विकास सम्बन्धी आयोजनाओं को दृढ़ करने में बड़ी मदद मिलेगी; इसे स्थूल रूप से "विकास के लिए आयोजित व्यय" कहा जा सकता है, और यदि इसे हिसाब में लिया जाय, तो इससे वर्तमान वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई देगी।

27. मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि आयोजना के निमित्त राज्यों के लिए निर्धारित 615 करोड़ रुपये की सहायता में से योजना आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच 590 करोड़ रुपये का बंटवारा किया जा चुका है। बाकी बचे 25 करोड़ रुपये सिंचाई की कुछ चुनी हुई बड़ी योजनाओं को जल्दी से पूरी करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित किये गये हैं। मुझे विश्वास है कि सिंचाई की छोटी योजनाओं तथा देहातों में बिजली पहुँचाने की योजनाओं की जरूरी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त साधनों की व्यवस्था राज्य सरकारें करेंगी। प्राथमिकता के इन दोनों क्षेत्रों में राज्यों के प्रयासों को मैं भी, इस वर्ष के दौरान, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हुए, सहायता पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा।

28. केन्द्रीय सरकार की आयोजनाओं के लिए निर्धारित 1179 करोड़ रुपये की व्यवस्था की मुख्य मदों का ब्यौरा यों है: रेलों के लिए 172 करोड़ रुपये, लोहे और इस्पात के लिए 153 करोड़ रुपये जिसमें से 110 करोड़ रुपये बोकारो के लिए, पैट्रोलियम के लिए 82 करोड़ तथा खादों सहित रासायनिक पदार्थों के लिए 70 करोड़ रुपया है। खेती के लिए 53 करोड़ रुपये की,

डाक और तार विभाग के लिए 48 करोड़ रुपये और वित्तीय संस्थाओं के लिए 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि इन व्यवस्थाओं के सभी मंत्रालयों की जरूरतें पूरी नहीं होतीं, परन्तु साधनों की विवशता ने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है।

29. माननीय सदस्य देखेंगे कि हमने निर्धारित समय से पहले ही वित्त आयोग नियुक्त करने का फैसला किया है जिससे चौथी आयोजना तैयार करने के लिए उक्त आयोग की जाँच के परिणाम उपलब्ध हो सकें। आयोग के गठन तथा उसके निर्देश-पदों को व्यक्त करने वाली अधि-सूचना की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए विशेष उत्सुक रहा हूँ कि एक ओर केन्द्र और राज्यों के बीच की तथा दूसरी ओर राज्यों की अपनी पारस्परिक अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं की निरपेक्ष भाव से समीक्षा की जानी चाहिए, जिससे ऐसे समाधान प्राप्त हो सकें, जो न केवल यथार्थ हों, परन्तु सब सम्बन्धित पक्षों को स्वीकार हों। मुझे विश्वास है कि आयोग की सिफारिशों से इस उद्देश्य की पूर्ति होगी और राष्ट्रीय अखण्डता तथा सद्भाव को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।

30. महोदय, अब मैं अपने बजट भाषण के उस भाग को लेता हूं जिसका इन्तजार रहता है और जिसके सम्बन्ध में भय की भावना बनी रहती है। यदि मेरे प्रस्ताव भय की आशंका पूरी न कर सकें तो मैं आशा करूँगा कि माननीय सदस्य मुझे दोष नहीं देंगे। अगले वर्ष आयोजना के लिए 1544 करोड़ रुपये के साधन उपलब्ध हैं और प्रस्तावित व्यवस्था 1859 करोड़ रुपये की है। इससे केन्द्र के बजट में 315 करोड़ रुपये का घाटा रहता है। इतना बड़ा घाटा वित्त मंत्री से तकाजा करता है कि अतिरिक्त साधनों के वास्ते भारी आपरेशन करने के लिए वे अपनी छुरी तेज करें। इस मौके पर मैं छोटा सा आपरेशन करना चाहता हूँ, जो प्लास्टिक सर्जरी के ढंग का ही होगा जिसमें थोड़ी सी त्वचा (चमड़ा) यहाँ से हटा कर दूसरी जगह चिपकायी जायगी जिससे कर प्रणाली में अधिक स्फूर्ति और आकर्षण पैदा हो।

31. कर-व्यवस्था में सुधार करने के लिए माननीय सदस्यों, विशेषज्ञों और श्रमिकों, व्यवसायियों तथा औद्योगिकों की संस्थाओं ने समय-समय पर मौलिक सुझाव दिये हैं। श्री भूतलिंगम की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और माननीय सदस्यों को दे दी जायगी। हाल में सरकारी लेखा समिति (पब्लिक एकाउंट्स कमेटी) ने भी इस सम्बन्ध में कई सुझाव दिये हैं और हम प्रशासनिक सुधार आयोग (एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन) की सिफारिशों का इन्तजार कर रहे हैं। इस वर्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों के ढांचे में संशोधन करने और उसे सरल बनाने के सम्बन्ध में मैंने बहुत सावधानी से विचार किया है। कुछ परिवर्तन तो प्रकट रूप से उचित हैं और उन्हें और ज्यादा देरी किये बिना अमली रूप दिया जा सकता है, लेकिन कर-व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन, सभी पहलुओं की बारीकी से छानबीन किये बिना नहीं किये जाने चाहिए। तत्परता के साथ मैं ऐसी छानबीन करा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि देश का वातावरण अगले बजट में और भी अधिक व्यापक परिवर्तनों को स्वीकार करने में सहायक होगा।

प्रत्यक्ष कर

32. मैं पहले प्रत्यक्ष करों को लेता हूँ। निगम (कारपोरेट) करों के सम्बन्ध में मेरे मुख्य

प्रस्ताव सामान्य शेयरों के लाभांशों के अतिरिक्त वितरण पर लगने वाले लाभांश कर (डिविडेण्ड टैक्स) को समाप्त करने और कम्पनी के लाभों पर लगने वाले अति कर (सरटैक्स) को 35 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत करने के बारे में हैं। लाभांश कर की समाप्ति से व्यवस्था में सरलता तो आयेगी ही, इससे सामान्य शेयरों में पूंजी लगाने के वातावरण में भी सुधार होना चाहिए। कम्पनियों के लाभ पर लगने वाले अतिकर में कमी करने का उद्देश्य कुशलता को बढ़ावा देना है।

33. खेती की उपज बढ़ाने के लिए, खासकर प्रयोक्ता (यूजर) उद्योगों के प्रयत्न को बढ़ावा देकर, मैं कई रियायतों की व्यवस्था करना चाहता हूँ। कम्पनियों के व्यावसायिक लाभों का हिसाब लगाने में, खेती के काम आने वाली वस्तुओं, जैसे रासायनिक खादों, औजारों, बीजों और हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं तथा विशेष उद्योग से सम्बद्ध जिन क्षेत्रों से कम्पनी का सम्बन्ध हो उनमें विस्तार (एक्सटेंशन) सेवाओं की व्यवस्था करने पर उन कम्पनियों द्वारा किये गये खर्च के 1⅓ भाग के बराबर की रकम को घटा देने के लिए एक उपबन्ध बनाने का मेरा विचार है। यह विशेष कटौती उन्हीं मामलों में दी जायेगी जहाँ इस तरह का (योग्यता-प्राप्त) खर्च कम्पनी द्वारा सीधे और स्वीकृत संस्थाओं या संगठनों द्वारा भी किया जायगा। हमारे कृषि-कार्यक्रम में, बीज परिष्करण (प्रोसेसिंग) के विकास को ऊंचे दर्जे की प्राथमिकता (प्रायरिटी) दी गयी है। इसलिए मैं इस उद्योग को 'प्राथमिकता प्राप्त उद्योग' की तरह मानना चाहता हूँ।

34. मुख्यत: निर्यात-प्रोत्साहन को सहायता देने के लिए किये जाने वाले उपायों के अन्तर्गत मैं, दाब देकर द्रावक पदार्थ निकालने की प्रक्रिया (सालवेण्ट एक्स्ट्रैक्शन प्रोसेस) द्वारा वनस्पति तेल और खली, पशुओं के लिए परिष्कृत (प्रोसैस्ड) दाना और मुर्गियों के लिये चुगा तथा परिष्कृत मछली और मछलियों से बने पदार्थ तैयार करने वाले उद्योगों को भी, उनके नये उपकरणों (इक्विपमेण्ट) की लागत के 35 प्रतिशत की अधिक ऊंची दर से विकास छूट की रियायत देना चाहता हूँ। विदेशी कम्पनियों से भिन्न, दूसरे करदाताओं को भी विदेशों में अपना माल बेचने के लिए मण्डियाँ तैयार करने में आमदनी से किये गये खर्च के 1⅓ की दर से निर्यात बाजार विकास छूट देने (एक्सपोर्ट डेवलपमेण्ट एलाउंस) की व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है। इसके अलावा, भारतीय कम्पनियों द्वारा व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान और तकनीकी सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मैं उनकी सारी आमदनी को, जिसमें लाभांश, रायल्टी और फीस शामिल है, जो इन क्रियाकलापों से विदेशी कम्पनियों से हुई हो, कर की छूट देना चाहता हूँ।

35. जहाँ तक व्यक्तिगत आमदनियों का सम्बन्ध है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि करों के ढांचे को सरल बनाने और करदाताओं की सुविधा के लिए वार्षिक जमा योजना (एनुइटी डिपाजिट स्कीम) को समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि चालू वित्त वर्ष के बाद होनेवाली आमदनियों के सम्बन्ध में 'वार्षिकी जमा' की रकमें जमा करने की जरूरत नहीं रह जायगी।

36. सामान्य शेयरों (इक्विटीज) में पूंजी लगाने को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल उन मामलों में भारतीय कम्पनियों के लाभांशों को आयकर से छूट दी गयी थी जिनमें वर्ष में करदाता

की लाभांशों की कुल आमदनी पाँच सौ रुपये से ज्यादा नहीं थी। लाभांश की इस तरह की आमदनी को उन मामलों में भी छूट देकर, जहाँ लाभांश की कुल आमदनी एक वर्ष में पाँच सौ रुपये से अधिक हो, इस रियायत के क्षेत्र को बढ़ा देने का मेरा विचार है।

37. पिछले कई वर्षों से, निर्धारित सीमाओं से अधिक, बिना कमाई और कमाई हुई आमदनियों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत आमदनियों के कर की दरों के ढाँचे में अलग-अलग अधिभारों (सरचार्ज) की व्यवस्था थी। प्रत्यक्ष करों की हमारी समन्वित योजना के अन्तर्गत, जिसमें, आय-कर के अलावा, सम्पत्ति पर वार्षिक कर और दानों (गिफ्ट्स) तथा उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति पर कर लगाने की व्यवस्था है, मुझे आय-कर पर अधिभार लगाकर—जिससे कर का हिसाब लगाने में पेचीदगी पैदा होती है—बिना कमाई और कमाई हुई आमदनियों में भेद करने की न तो आवश्यकता और न औचित्य ही दिखायी देता है। इसलिए, बिना कमाई और और कमाई हुई आमदनियों पर से अलग-अलग अधिभार हटा लेने का मेरा प्रस्ताव है। साथ ही, आयकर की वर्द्धमानता (क्रमशः बढ़ने का गुण) बनाये रखने के लिये, एक लाख रुपये से अधिक की आमदनियों के आय कर की बुनियादी दरों को 65 प्रतिशत की मौजूदा दर से बढ़ा कर एक लाख रुपये और ढाई लाख रुपये के खण्ड (स्लेब) की आमदनी पर 70 प्रतिशत करने और इससे अधिक की आमदनी पर 75 प्रतिशत करने का मेरा प्रस्ताव है। 10 लाख रुपये से अधिक के खण्ड में, सम्पत्ति पर लगने वाले सामान्य सम्पत्ति कर की दरों में आधा प्रतिशत की वृद्धि करने यानी 10 लाख रुपये और 20 लाख रुपए के बीच की सम्पत्ति पर यह दर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2½ प्रतिशत कर देने और 20 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति पर 2½ प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर देने का भी मेरा प्रस्ताव है।

38. उस स्थिति में, जहाँ पति और पत्नी दोनों ही अपने-अपने अधिकार के अन्तर्गत कर अदा करते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति के लिए यह फैसला देना कि कौन किस पर आश्रित है अनुचित होगा। अभी हम दोनों पक्षों को पति या पत्नी सम्बन्धी छूट पाने की अनुमति देकर इस नाजुक सवाल को छेड़ते नहीं हैं। इतने पर भी यह सवाल रह ही जाता है कि विवाह के द्वारा कौन सा पक्ष साझेदारी में कर का ज्यादा लाभ कमाता है। विवाह-सम्बन्ध पर पड़ने वाले इस अनिच्छित भार को हटाने के लिए मैं यह व्यवस्था करना चाहता हूँ कि जहाँ पति और पत्नी दोनों ही अपनी आमदनियों पर कर देते हैं वहाँ पति या पत्नी की छूट दोनों में से किसी को न दी जाय।

39. जो लोग बिलकुल अन्धे हैं उन्हें राहत पहुँचाने के लिए, उनकी कर लगने योग्य आमदनी का हिसाब लगाने में 2,000 रुपये की कटौती की व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है।

40. रजिस्टर्ड फर्मों से होने वाली साझे की आमदनियों के कर का हिसाब लगाने के मौजूदा आधार को भी सरल बनाने का मेरा प्रस्ताव है। यह काम, फर्म की आमदनी में से साझेदारों के हिस्सों का हिसाब लगाने में, खुद फर्म द्वारा चुकाये जाने वाले कर को काट कर किया जायगा। अभी हम साझेदारों को, रजिस्टर्ड फर्म द्वारा दिये जाने वाले कर की आनुपातिक रकम में औसत दर से कर की छूट देते हैं। कर के सम्पूर्ण प्रभाव को कायम रखने के लिए, रजिस्टर्ड फर्मों के कर की दरों में जो परिवर्तन कर रहा हूँ उसमें दरें ऊँची होती जायंगी। सहकारी समितियाँ और स्थानीय प्राधिकरणों (अथारिटीज) पर लगने वाले कर की दरों के ढांचे को भी कुछ वैज्ञानिक संगति दी जा रही है।

41. मकानों से होने वाली सम्पत्ति का हिसाब लगाने, वेतनभोगी कर्मचारियों की गाड़ी के रखरखाव का खर्च घटाने, वापसियों को मंजूरी देने की प्रणाली और ब्याज की अदायगियों के सम्बन्ध में कर की अदायगी रोकने के सम्बन्ध में कई परिवर्तन करने का मेरा विचार है। मेरे लिए इन सभी परिवर्तनों के बारे में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दे दिया गया है।

42. अब मैं उन उपायों में से कुछ का जिक्र करूंगा जो करों की चोरी और उनकी देनदारी से बचने की रोकथाम के लिए मैं करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में जमीन, मकानों और दूसरी सम्पत्ति की कीमत आँकने के लिए, विभागीय तौर पर एक संगठन स्थापित करने का मेरा विचार है। साथ ही, मैं यह भी चाहता हूँ कि इस बात की पक्की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किये जायें कि जहाँ तक हो सके, आय कर, सम्पत्ति कर, दान कर और मृत सम्पत्ति शुल्क (इस्टेट ड्यूटी) के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त सम्पत्ति की वही कीमत प्रामाणिक मानी जाय जो उपर्युक्त संगठन द्वारा निर्धारित की जाय।

43. एक और प्रस्ताव, 24 महीने के अन्दर प्राप्त की गयी पूंजीगत परिसम्पत्ति की बिक्री या अन्तरण (ट्रांसफर) से होने वाले लाभ को अल्पावधि पूंजीगत लाभ (शौर्ट टर्म केपिटल गेन्स) श्रेणी में लाने के सम्बन्ध में है। अभी यह अवधि 12 महीने की है।

44. व्यवसाय और पेशों से सम्बन्ध रखने वाले खातिरदारी खर्च की बाद दी जाने वाली रकम कुछ सीमाओं के अन्दर रखी गयी गयी है। खातिरदारी सम्बन्धी छूटों या कर्मचारियों द्वारा रखे जाने वाले 'खर्च खातों' से खातिरदारी करके, इन सीमाओं को अक्सर तोड़ दिया जाता है। आगे से इस तरह के खर्चों को भी इन सीमाओं के अन्दर लाया जायगा। कम्पनियों के ऊंची तनख्वाहों वाले कर्मचारियों के लिए परिलब्धियों (परक्विजिट्स), लाभों और सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित, घटाये जाने वाले खर्च पर जो मौजूदा प्रतिबन्ध कम्पनियों पर लागू है वह गैर-निगम (नान-कारपोरेट) उद्योगों पर भी लागू होगा। हर कर्मचारी के लिए प्रति मास 1,000 रुपये की मुद्रा सम्बन्धी वैकल्पिक सीमा (आल्टरनेटिव) मोनेटरी लिमिट) भी निर्धारित की जायगी। रहने के लिए मकान और घरेलू उपकरणों जैसे प्रशीतकों (रेफ्रिजरेटार्स) और वातानुकूलकों (एअर-कंडीशनर्स) की जो सुविधा मालिकों द्वारा उनके कर्मचारियों को मुफ्त दी जाती है उसके लिए मालिक को मिलने वाली मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) छूट और रखरखाव (मेन्टेनेंस) खर्च को भी इन्हीं सीमाओं के अन्दर लाया जायगा।

45. कभी-कभी कर की रकम को नकली ढंग से कम कर दिया जाता है। यह इस तरह होता है कि माल और सेवाओं के लिए भारी अदायगियाँ दिखा दी जाती हैं और मुनाफा रिश्तेदारों और सम्बद्ध कम्पनियों को दे दिया जाता है। खर्च की भारी रकमें काट लेने के दावे भी यह दिखा कर दिये जाते हैं कि उनकी अदायगी नकद की गयी है। ऐसा करने का उद्देश्य अक्सर यह होता है कि न पाने वाले के पते की और न दावे की सचाई की छानबीन की जा सके। बच निकलने के इन रास्तों को बन्द करने के लिये यह व्यवस्था करने का मेरा विचार है कि व्यवसाय और पेशे में जो अदायगियाँ रिश्तेदारों और सम्बद्ध कम्पनियों को की जायंगी उन्हें, कटौती पाने के लिए, औचित्य की कसौटी

पर खरा उतरना होगा। इसके अलावा, मैं यह व्यवस्था भी करना चाहता हूँ कि एक खास तारीख के बाद 2,500 रुपये से अधिक रकमों में की गयी अदायगियों की कटौती उसी हालत में की जायगी जब ये अदायगियाँ रेखित (क्रास) चेक या रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जायं। खास तारीख की सूचना एक अधिसूचना द्वारा बाद में दी जायगी।

46. कर-निर्धारण के काम में शीघ्रता लाने के लिए, 1969–70 और बाद के वर्षों के लिए मूल कार्रवाई में निर्धारण का काम पूरा करने के लिए, सम्बद्ध निर्धारण वर्ष के अन्त में से, समय-सीमा सम्बन्धी अवधि को चार वर्ष से घटा कर दो वर्ष करने का मेरा प्रस्ताव है। इसके परिणाम-स्वरूप सम्बद्ध निर्धारण वर्ष के अन्त से, कर की वापसी के लिए अर्जी देने की समय-सीमा भी घट कर दो वर्ष रह जायगी।

47. जो लोग अपनी आमदनी और सम्पत्ति को छिपा कर करों की अदायगी से बचते हैं उनके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करने का मेरा विचार है। इसके लिए, आमदनी या सम्पत्ति छिपाने के जुर्माने को छिपायी हुई आमदनी या सम्पत्ति के कम से कम 100 प्रतिशत तक और अधिक से अधिक तक 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जायगा। जो लोग आमदनी के मूल स्थान परही कर की रकम काट कर उसे केन्द्रीय सरकार को देने की कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभायेंगे उसके लिए मैं 6 महीने तक की सख्त कैद की सजा और जुर्माने की व्यवस्था कर रहा हूँ। यह जुर्माना, अदालत से सजा पाने पर कर की अदा न की गयी रकम के 15 प्रतिशत वार्षिक से कम नहीं होगा। अभी चूक (डिफाल्ट) के बाद हर दिन का जुर्माना सिर्फ 10 रुपये तक है।

48. निगम-करों और व्यक्तिगत आमदनियों से सम्बन्ध रखने वाले करों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावित परिवर्तन आगे जाकर प्रभावी होंगे अर्थात् उन आमदनियों के सम्बन्ध में जिनकी बाबत अग्रिम कर की अदायगी या कर की कटौती मूल स्थान पर 1968–69 के अगले वित्त वर्ष से की जानी है। इसी तरह, सामान्य सम्पत्ति-कर की दरों की प्रस्तावित दरों 1969–70 के कर-निर्धारण वर्ष से अमल में आयेंगी। अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष से वार्षिकी जमा योजना के समाप्त हो जाने से और कर लगने योग्य आमदनी का हिसाब लगाते हुए जमा की जाने वाली रकमों के न काटे जाने पर पूरे वर्ष में करों से 18 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। व्यक्तिगत आमदनियों के करों में अन्य परिवर्तनों के कारण पूरे वर्ष में लगभग 4 करोड़ रुपए की कमी होने का अनुमान है। इससे वास्तविक राजस्व-प्राप्ति 14 करोड़ रुपए रह जायगी। सम्पत्ति कर की दरों की वृद्धि से राजस्व में होने वाले वृद्धि को मैंने हिसाब में नहीं लिया। क्योंकि इसका फायदा 1969–70 के वित्त वर्ष में होगा। निगम करों के परिवर्तनों को मिलाकर, जिनके कारण अगले वर्ष राजस्व में लगभग 4 करोड़ रुपए की कमी होगी, अगले वर्ष मेरे द्वारा प्रस्तावित परिवतनों के परिणाम-स्वरूप प्रत्यक्ष करों से 10 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।

49. प्रत्यक्ष करों के विषय को समाप्त करने से पहले मैं इतना और कहना चाहूँगा कि इस मान्य सदन द्वारा प्रकट किए गए इस विचार से मैं प्रभावित हुआ हूँ कि वित्त विधेयक को आय-कर कानून में बहुत अधिक हेरफेर करने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिये। इसलिए मैंने सिर्फ वे ही परिवर्तन किये हैं जिनके सम्बन्ध में देर करना ठीक नहीं होता और संरचनात्मक अथवा प्रशासनिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाले संशोधनों को छोड़ दिया है, जिन्हें विचार करने के बाद इसी वर्ष अलग से पेश किया जाएगा।

अप्रत्यक्ष कर

50. अब मैं अप्रत्यक्ष करों को लेता हूँ। इस्तेमाल की बहुत जरूरी चीजों की कीमतों को उचित स्तर पर रखने के उद्देश्य से उत्पादन और सीमा शुल्कों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखने में मैंने बहुत संयम से काम लिया है। लेकिन इसके साथ ही कम जरूरी इस्तेमाल की चीजों पर कर में कुछ और बढ़ोत्तरी करना भी जरूरी है। निर्यात को बढ़ावा देने और बाहर से मँगाये जाने वाले मालकी जगह देश में ही उसी तरह का माल बनाने में सहायता देने के लिए भी अप्रत्यक्ष करों के साधन का उपयोग करने की आवश्यकता है। मैंने अनियमितताओं को दूर करने और कुछ सीमा तक अभिनवीकरण तथा सरलीकरण करने का भी प्रयत्न किया है।

51. प्रस्ताव है कि छः नयी चीजों--मिठाई (कनफेक्शनरी) और चाकलेट, चर्म-वस्त्र (लेदर क्लाथ), कसीदे के कपड़ों, वायरलेस रिसीविंग सेटों (रेडियो) के हिस्सों, जैसे कि वाल्वों और ट्रांजिस्टरों, इस्पात के फर्नीचर और क्राउन कार्कों पर उत्पादन शुल्क लगाया जाय। मिठाई और चाकलेट के सम्बन्ध में प्रति किलोग्राम 80 पैसे का शुल्क लगाने का विचार है, जिससे 2.4 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। कसीदे के कपड़ों और स्पाती फर्नीचर का शुल्क मूल्यानुसार 20 प्रतिशत होगा और इन दोनों से मिल कर पूरे वर्ष में 5.4 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। चर्म-वस्त्र का मूल्यानुसार शुल्क 25 प्रतिशत होगा जिससे 1.52 करोड़ रुपए की वार्षिक प्राप्ति होगी। क्राउन कार्क का शुल्क प्रति कार्क एक पैसा होगा, जिससे 1.50 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। वाल्व और ट्रांजिस्टरों पर शुल्क की सांविधिक (स्टेट्यूटरी) दर फी अदद 5 रुपए रखने का प्रस्ताव है, लेकिन विमुक्ति (एक्जेम्पशन) सम्बन्धी अधिसूचना द्वारा प्रभावी दरें अभी भी अदद 3 रुपया और 1 रुपया रखी जा रही हैं। अनुमान है कि इससे 2.90 करोड़ रुपए की प्राप्त होगी। मिठाई, कसीदे के कपड़ों और इस्पाती फर्नीचर के नए शुल्क अभी इन उद्योगों के उस संगठित क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे, जहाँ बिजली की सहायता से ये चीजें बनायी जाती हैं। इन नए शुल्कों से वर्ष भर में 13.72 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

52. जिन चीजों पर उत्पादन शुल्क लगे हुए हैं उनमें से तम्बाकू के चूरे के सिवा सभी किस्मों के अनिर्मित (अनमैन्युफैक्चर्ड) तम्बाकू के शुल्क की मौजदा दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इस मौके पर मैंने निकोटीन (तम्बाकू विष) के विभिन्न प्रेमियों के प्रति निष्पक्ष रहने का फैसला किया है, भले ही वे मामूली बीड़ी, हुक्का या खाने के तम्बाक के शौकीन हों या सिगरेट, सिगार और पाइप के। इन वृद्धियों से पूरे वर्ष में 6.36 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी। एक दूसरी मद जिसके सम्बन्ध में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, जूट की चीजें हैं, जिनमें से हेसियन के बुनियादी उत्पादन शुल्क की दर 375 रुपए प्रति मेट्रिक टन से बढ़ाकर 450 रुपए प्रति मेट्रिक टन और दूसरी चीजों की 175 रुपए प्रति मैट्रिक टन से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति मेट्रिक टन की जा रही है। इन वृद्धियों से पूरे वर्ष में राजस्व में 4.02 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

53. मेरा अगला प्रस्ताव पूरे रेफ्रिजरेटरों और एअरकंडीशनरों के बुनियादी उत्पादन शुल्क में वृद्धि करने के सम्बन्ध में है। यह वृद्धि मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत और

इनके हिस्से-पुर्जे पर 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत होगी। यह प्रस्ताव कम से कम उन माननीय सदस्यों को पसन्द आयगा जिन्होंने पिछले बजट अधिवेशन में इस तरह की कम जरूरी चीजों को छोड़ देने पर मुझे फटकार बतायी थी। इन मदों का शुल्क बढ़ने से पूरे साल में 2.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

54. याद होगा कि पछले साल बजट प्रस्तावों में बारीक और बहुत बारीक (सुपरफाइन) कलफदार सूती धागे के शुल्क में काफी वृद्धि की गयी थी। बिजली के करघों का इस्तेमाल करने वाले बुनकरों ने शिकायत की है कि बुनाई के दौर में इस शुल्क का बोझ ज्यादा है। इसलिए दर के ढाँचे में इस तरह हेरफेर करना है कि कलफदार धागे के बारे में राहत मिले और शुल्कों में मुनासिब बढ़ोत्तरी बिजली के करघों पर बने कपड़ों के परिष्करण (प्रोसेसिंग) के दौरान की जाय। बजट पर इसका प्रभाव बहुत मामूली होगा। इस बात की भी पक्की व्यवस्था की जा रही है कि मिल के मिले-जुले कपड़ों, हथकरघों के कपड़ों और मोजे-बनियान (होजरी) पर कर का भार प्रायः ज्यों का त्यों रहे। इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि हथकरघा क्षेत्र को अछूता रखा जाय। वास्तव में इस क्षेत्र को कुछ राहत देने का विचार है और वह इस तरह कि नए फ्रेंच सूत्रांक (काउण्ट) 29 या इससे अधिक, पर 34 से कम की सादी सीधी रीलों में लिपटे लच्छी के धागे को पूरी तरह से शुल्क-मुक्त कर दिया जाय। नया फ्रेंच सूत्रांक 34 ब्रिटिश सूत्रांक 40 के बराबर से कुछ ही अधिक होता है। इससे पूरे वर्ष में लगभग 10 लाख रुपए की कमी रहेगी। एल्यूमिनियम के छोटे-छोटे उत्पादकों ने भी शिकायत की है कि पिछले साल के बजट प्रस्तावों से उनका नफा कम हो गया है। शुल्क की प्रभावी दर में 150 रुपए प्रति मेट्रिक टन की कमी करके इन छोटे-छोटे उत्पादकों को कुछ राहत पहुँचाने का विचार है। यह रियायत कच्चे एल्यूमिनियम से माल तैयार करने वाले उन्हीं उत्पादकों को मिलेगी जिनके एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से बने सामान की निकासी पहले के वित्तीय वर्ष में 12,500 मेट्रिक टन से अधिक न हुई हो। इस रियायत से, साल भर में राजस्व में लगभग 25 लाख रुपए की कमी होगी।

55. कागज बनाने वाले कुछ निर्माताओं को दी गयी मौजूदा रियायतों और कुछ किस्मों के कागज के सम्बन्ध में मिलने वाली छूटों को, अधिसूचनाएं जारी करके युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। इससे, पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 15 लाख रुपए का थोड़ा-सा राजस्व प्राप्त होगा।

56. खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 में जो उच्चतम दरें निर्धारित की गयी थीं, वे अब नाकाफी महसूस की गयी हैं। तेल कम्पनियों के पास की, अधिक वसूलियों की रकमों के सम्बन्ध में, जिन्हें ये अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाकर भारत की समेकित निधि (कान्सोलीडेटेड फंड आफ इंडिया) में डालना पड़ता है अपेक्षाकृत ऊँची दर से शुल्क लगाये जाने जरूरी हैं। इसलिए मोटर-स्पिरिट, साफ किए हुए डीजल तेल के और पेट्रोलियम से बनी चीजों के, जिनका अन्यथा उल्लेख न हो, शुल्क की उच्चतम दरों में पर्याप्त वृद्धि करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं के द्वारा निर्धारित, प्रभावी दरों में उपयुक्त वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में 10.13

करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन उपभोक्ताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शुल्क हालाँकि तेल कम्पनियों से वसूल किए जाते हैं पर मूल्य में वृद्धि करके इनका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता। उत्पादन-शुल्कों सम्बन्धी इन प्रस्तावों से पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 36.43 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

57. विशेष उत्पादन-शुल्कों की मौजूदा दरों को एक वर्ष और जारी रखने का प्रस्ताव है। विनियमनकारी (रेग्युलेटरी) उत्पादन-शुल्क को उसी प्रकार लगाने की व्यवस्था की जा रही है जिस प्रकार वह वित्त अधिनियम, 1967 की धारा 42 में है, हालाँकि फिलहाल यह शुल्क नहीं लगाया जायेगा।

58. पिछले कुछ समय से, उत्पादन-शुल्क विभाग पर पड़ने वाले प्रशासनिक बोझ और माल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण (फिजीकल कंट्रोल) के अधिकार के दुरुपयोग के सम्बन्ध में मिलने वाली शिकायतों को लेकर मैं चिन्तित रहा हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि निर्माताओं द्वारा शुल्क का निर्धारण स्वयं करने की प्रणाली को छोटे-बड़े सभी निर्माताओं के सम्बन्ध में लागू कर दिया जाय, सिर्फ उत्पादन-शुल्क लगने योग्य कुछ उन वस्तुओं के निर्माताओं को छोड़ दिया जाय, जिनके शुल्क के निर्धारण का काम बड़ा पेचीदा होता है या जिन्हें शुल्क अदा किये बिना, बन्धक रहने की अवस्था में (इन बान्ड) काफी इधर से उधर किया जाता है। इस प्रकार निर्माताओं, उनके द्वारा दिए ब्यौरे और उनके हिसाब-किताब पर काफी विश्वास करना पड़ेगा। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा, माल की निकासी की रोजना की जाने वाली जाँच की प्रणाली को समाप्त कर दिया जायगा और उसके साथ-साथ स्वतः निर्धारित दस्तावेजों और हिसाब-किताब की, निश्चित अवधियों के बाद जाँच करने की प्रणाली लागू की जायगी, ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि सरकार को अदा की जाने वाली रकमों का निर्धारण और अदायगी उपयुक्त रूप से की जाय। लेकिन क्रियाविधि में इस परिवर्तन के कारण यह जरूरी हो जायगा कि राजस्व सम्बन्धी कुछ आवश्यक एहतियाती उपाय किए जायं। इसलिए, शुल्क की अदायगी से बचने के इरादे से, माल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अनधिकृत रूप से हटाये जाने और नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करने पर, दंड देने के उपबन्धों के और भी कठोर बनाये जाने का प्रस्ताव है।

59. अनिर्मित तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क लगाने के उद्देश्य से, मैंने तम्बाकू की खेती करने वालों पर लगे नियंत्रण की मौदा प्रणाली की भी समीक्षा की है। जो उपाय किए जा रहे हैं उनके परिणामस्वरूप, उत्पादन-शुल्क अधिकारियों के लिए तम्बाकू की खेती करने वालों से सम्पर्क स्थापित करने की जरूरत काफी कम हो जायगी। विरल खेती वाले इलाकों पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी नियंत्रण को भी सरल बनाया जा रहा है।

60. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष महत्व की वस्तुओं पर, राज्यों द्वारा इस समय 3 प्रतिशत तक स्थानीय बिक्री-कर लगाया जा सकता है। कुछ राज्यों के अनुरोध पर, केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जा रहा है ताकि मिल के बने रेशमी कपड़े को वस्तुओं की इस सूची से निकाला जा सके। इससे राज्यों को इस कपड़े पर बिना किसी पाबन्दी के बिक्री-कर लगाने की छूट मिल जायगी।

61. पिछले वर्ष मुझे याद दिलाया गया था कि शराब के प्रति मेरी बहु-चर्चित अरुचि के बावजूद मैंने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं रखा। मुझे अब अपनी प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त करनी चाहिए; और मैं ह्विसकी, ब्रांडी और कुछ अन्य प्रकार की शराबों के आयात-शुल्क में 9 रुपया प्रति बोतल की वृद्धि करना चाहता हूँ। लौंग, केसिया (घटिया दालचीनी) और दालचीनी के आयात-शुल्क को 12 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 13 रुपया प्रति किलोग्राम कर देने का भी मेरा विचार है। इन मसालों में नफे की गुंजाइश बहुत है और इनका इस्तेमाल समाज के अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों द्वारा किया जाता है। इन वस्तुओं सम्बन्धी प्रस्तावों से 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होगी।

62. मेरा अगला प्रस्ताव, रसायनों, प्लास्टिक, कृत्रिम (सिंथेटिक) बिरोजा और उन विविध वस्तुओं के बारे में है जिनका सीमा-शुल्क की दर-अनुसूची में अन्यथा उल्लेख नहीं है। कुछ वस्तुओं को छोड़ कर बाकी वस्तुओं की 50 प्रतिशत की मूल्यानुसार प्रभावी दर को बढ़ा कर, मूल्यानुसार 60 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है। इससे 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राजस्व-प्राप्ति होगी। इस प्रस्तावित वृद्धि से, किसी प्रकार की कठिनाई होने की आशंका नहीं है, क्योंकि एक तो रसायनों की लागत, निर्मित वस्तुओं के मूल्य का बहुत थोड़ा भाग होती है और दूसरे, बाहर से आयात किए गए रसायनों का इस्तेमाल प्रायः उन वस्तुओं के निर्माण में नहीं किया जाता, जिनका उपभोग आम आदमी द्वारा किया जाता है, और जहाँ ऐसी वस्तुओं के निर्माण में रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ मौजूदा दरों को कायम रखने का प्रस्ताव है। इस प्रकार हालाँकि रसायनों सम्बन्धी शुल्क-सूची में भेषज और दवाएं भी शामिल हैं, फिर भी दवाओं और उनके निर्माण के लिए जरूरी रसायनों और मध्यवर्ती वस्तुओं (इण्टरमीडिएट्स) की मौजूदा शुल्क-दर को, छूट सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी करके, कायम रखा जा रहा है। इसी प्रकार, काजल (कार्बन ब्लैक) और लाल फास्फोरस के शुल्क की मौजूदा दरों को भी, छूट सम्बन्धी अधिसूचनाएं जारी करके कायम रखा जायगा। इसके अलावा, गंधक, रंग बनाने की ऐसी मध्यवर्ती वस्तुएं, जिनकी सिफारिश निर्यात-आयात शुल्क आयोग ने की हो, और विभिन्न अन्य रसायनों पर, जिनके शुल्क की दरों को पहले खास तौर से घटा दिया गया था या जिन्हें शुल्क से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया था, मौजूदा दरों के हिसाब से ही शुल्क लगेगा। इस सम्बन्ध में मैं कीटनाशक दवाइयों (इन्सेक्टीसाइड), हानिकर जीवनाशक दवाओं (पेस्टीसाइड) और फफूंद नाशक (फंगीसाइड) दवाओं के बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित छूट का जिक्र करना चाहूँगा। इनमें से कुछ के सम्बन्ध में पहले ही छूट दी जा चुकी है। लेकिन अब उन सभी ऐसे रसायनों और मध्यवर्ती वस्तुओं के सम्बन्ध मे, जिनका निर्माण देश में नहीं होता, छूट देने वाली एक ऐसी अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है, जिसमें ये सभी वस्तुएँ आ जायेंगी। यह रियायत कृषि-उत्पादन की सहायता के रूप में, इन वस्तुओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिये दी जा रही है।

63. सीमा-शुल्कों के सम्बन्ध में अन्तिम प्रस्ताव लोहे और इस्पात से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के शुल्क में वृद्धि करने के बारे में है, जिन पर इस समय विशेष रूप से कम की गयी 15 प्रतिशत

की मूल्यानुसार दर के हिसाब से शुल्क लगता है। इस दर को बढ़ाकर मूल्यानुसार 27½ प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है, क्योंकि देश के अन्दरूनी उत्पादन को देखते हुए, जिसमें वृद्धि हो रही है, विशेष रूप से घटाई गयी दर का अब कोई औचित्य नहीं है। इस प्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप एक वर्ष में 1.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

64. सीमा-शुल्कों के विशेष शुल्क को और एक वर्ष के लिए जारी रखा जा रहा है, लेकिन एक अधिसूचना जारी की जा रही है जिसके अनुसार विदेशों से आने वाली वस्तुओं को इस शुल्क से छूट दी जा रही है, ताकि स्थिति ज्यों की त्यों रहे। सीमा शुल्कों के विनियमनकारी शुल्क के लगाये जाने की व्यवस्था उसी प्रकार की जा रही है जिस प्रकार वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1967 की धारा 39 में की गयी थी हालाँकि फिलहाल इस शुल्क को लागू नहीं किया जायगा।

65. उत्पादन-शुल्कों सम्बन्धी प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, प्रतिसन्तुलनकारी (काउंटरवेलिंग) शुल्कों के अन्तर्गत वसूलियों में वृद्धियाँ होने से 3.80 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। आयात शुल्कों से कुल मिलाकर 19.30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

डाक और तार

66. इससे पहले, मैं बता चुका हूँ कि डाक और तार विभाग के राजस्व बजट में इस वर्ष 22 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। परिणाम यह हुआ है कि वह विभाग न केवल सामान्य राजस्व में दिए जाने वाले अपने लाभांश की अदायगी नहीं कर सका है, बल्कि इस वर्ष अपने कार्य-चालन व्यय की पूर्ति भी नहीं कर सका। डाक शाखा के कार्य-चालन व्यय में खास तौर से बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में वृद्धि होना है। यह निश्चय किया गया है कि इस वर्ष और पिछले दो वर्षों में हुई कमी को, अगले वर्ष से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि में पूरा किया जाय। इस आधार पर, और मौजूदा शुल्कों के हिसाब से, यह अनुमान लगाया गया है कि डाक और तार विभाग के राजस्व बजट में अगले वर्ष 23.83 करोड़ रुपए का घाटा होगा। माननीय सदस्यों को मालूम है कि श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में एक शुल्क-दर जाँच समिति नियुक्त की गयी थी, जिसका उद्देश्य उन निश्चित सिद्धान्तों का निर्धारण करना है जिन्हें इस विभाग की शुल्क-नीति का आधार बनाया जा सके। समिति की अन्तरिम रिपोर्ट मिल गयी है जो डाक शाखा के बारे में है। समिति द्वारा सुझाये गए सिद्धान्तों के आधार पर, डाक- शुल्कों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। बजट-पत्रों के साथ, अन्तरिम रिपोर्ट और प्रस्तावित परिवर्तनों का ज्ञापन प्रचारित किया जा रहा है। इसलिए मैं केवल अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ही उल्लेख करूँगा। 15 ग्राम तक के पत्रों के डाक-शुल्क को 15 पैसे से बढ़ा कर 20 पैसे करने, पत्र-कार्डों के डाक-शुल्क को 10 पैसे से 15 पैसे करने और पोस्ट-कार्ड के डाक-शुल्क को 6 पैसे से 10 पैसे करने का प्रस्ताव है। पुस्तकों, पैटर्न, और नमूने के पैकटों के और मुद्रित पुस्तकों और रजिस्टर्ड समाचार पत्रों के पुस्तक-पैकटों के डाक-शुल्क में भी वृद्धि की जायगी। मनीआर्डर-कमीशन, जो अभी 15 पैसे प्रति 10 रुपए है, अब 200 रुपए तक 20 पैसे प्रति 10 रुपए और उसके बाद 30 पैसे प्रति 20 रुपया होगा। विदेशी डाक के शुल्कों में भी परिवर्तन किया जायगा। समिति ने अभी अन्य शाखाओं की शुल्क-दरों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन तार शाखा के काम में हुए घाटे को देखते हुए, कुछ

किस्म के अन्तर्देशीय तारों की दरों में थोड़ा सी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों में पूरे वर्ष में, डाक शाखा से 24.70 करोड़ रुपए और तार शाखा से 1.08 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इन परिवर्तनों को बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीखों से लागू किया जायगा और अनुमान है कि इनसे डाक और तार विभाग का अगले वर्ष का घाटा पूरा हो जायगा।

67. इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूँगा कि 1968-69 के बजट अनुमान तैयार करते हुए, मैंने डाक और तार की दरों में की जाने वाली वृद्धि को पहले से ही हिसाब में ले लिया है इसलिए उनके कारण 315 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक घाटे में कमी नहीं होगी। इसी प्रकार, मेरे सहयोगी रेल मंत्री द्वारा रेल के किरायों और भाड़ों में जिस वृद्धि की घोषणा की गयी है उसे भी घाटे का अनुमान लगाने से पहले ही हिसाब में ले लया गया है।

सारांश

68 सारांश यह कि मैंने करों सम्बन्धी जो प्रस्ताव रखे हैं उनसे अगले वर्ष 65.73 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें से 10 करोड़ रुपया प्रत्यक्ष करों, 36.43 करोड़ रुपया उत्पादन-शुल्कों और 19.30 करोड़ रुपया सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत प्राप्त होगा। इसमें से लगभग 15 करोड़ रुपए की रकम राज्यों को प्राप्त होगी और इस प्रकार बाकी 50.73 करोड़ रुपया केन्द्र के बजट के लिये उपलब्ध होगा। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें अपने साधनों में होने वाली इस वृद्धि का उपयोग, सिंचाई की छोटी-मोटी योजनाओं और देहात में बिजली लगाने के लिए करेंगी।

69. वार्षिक जमा योजना के समाप्त कर दिए जाने से पूंजी खाते में केन्द्र को अगले वर्ष 35 करोड़ रुपया कम प्राप्त होगा। इस कमी का कुछ हिस्सा, नयी सार्वजनिक भविष्य निधि में किए जाने वाले अंशदानों से पूरा हो जायगा जिनके सम्बन्ध में मैं केवल 10 करोड़ रुपए जमा कर रहा हूँ। इसलिए, पूंजी खाते में 25 करोड़ रुपए की शुद्ध (नेट) कमी होगी। राजस्व और पूंजी, दोनों को मिला कर, केन्द्रीय बजट में इन सभी परिवर्तनों से 25 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होगा, जिससे 315 करोड़ रुपए का प्रारम्भिक घाटा कम हो कर लगभग 290 करोड़ रुपया रह जायगा।

70. माननीय सदस्य भली भाँति अनुभव कर सकते हैं कि मैंने कितने संकोच के साथ अगले वर्ष के इस भारी घाटे के बजट को पेश करना ठीक समझा है। मुझे कई पहलुओं से सोचना पड़ा है। आयोजना सम्बन्धी खर्चों की बाबत यह स्पष्ट है कि और अधिक कमी करने से कृषि-विकास, रासायनिक खादों के उत्पादन और परिवार-नियोजन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जारी योजनाओं की प्रगति में भी बाधा पड़ सकती है। तकनीशनों में फैली बेरोजगारी की समस्या का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि यह चिन्ता का विषय बन चुकी है। इसके अलावा यदि सरकारी खर्च में बहुत ज्यादा कटौती कर दी जाय, तो आर्थिक क्षेत्र की प्रगति रुक जायगी। इसे सभी अदूरदर्शिता की नीति कहेंगे। मेरा ख्याल है कि सदन का भी कोई वर्ग इस प्रकार की नीति को ठीक नहीं समझता। दूसरा तरीका था कि मैं खूब ज्यादा साधन जुटाने के प्रस्ताव रखता।

मेरी समझ से यह ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से देश की आर्थिक स्थिति को आघात लगता है और विकास की गति में रुकावट आ जाती।

71. रक्षा और प्रशासन के व्यय को सीमित रखने का मैंने भरसक प्रयत्न किया है। यह देखकर मुझे प्रसन्नता है कि रक्षा-सेवाओं के सभी अंगों में बचत करने योग्य सभी खर्चों को कम करने की तत्परता पायी जाती है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों के अन्तिम संस्करण की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार आयोग की रिपोर्ट पर बड़े ध्यान और तत्परता से विचार करेगी, ताकि प्रशासन में कुशलता और कम-खर्ची लाने के उद्देश्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

72. एक बार चूक हो चुकी है, इसलिए मौजूदा दरों के अनुसार साधनों का अनुमान लगाने में, मैंने औद्योगिक उत्पादन से सम्बन्धित करों को सीमित ही रखना ठीक समझा है। जैसा कि मेरा अनुमान है यदि करों के प्रस्तावित हेर-फेर से बचत, निवेश और निर्यात की स्थिति पें सुधार हुआ, तो आर्थिक क्षेत्र में विशेष चेतना आ सकती है और इससे वास्तविक घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है। माननीय सदस्य आश्वस्त रहें कि मैंने अपनी यह धारणा बदली नहीं है कि साल-ब-साल भारी घाटे के बजट का चलते रहना मुझे पसन्द नहीं है। यदि मैंने अगले साल के घाटे को स्वीकार किया है तो सिर्फ इसी उम्मीद में कि आर्थिक क्षेत्र को फिर से सजीव बनाकर, बहुत अवधि से पहले, बजट में संतोषजनक सन्तुलन की स्थिति आ जाय।

73. कोई भी वित्त मंत्री न तो पूर्ण दूरदर्शिता और न पूर्ण ज्ञान का दावा कर सकता है। किन्तु मैं समझता हूँ कि स्थिति उतनी ही आशाजनक है जितनी वह चुनौती से भरी है। यदि हमें इस चुनौती को स्वीकार करना है तो समाज के सभी वर्गों के सहयोग, अनुशासन और कुछ हद तक आत्म-त्याग की भी जरूरत होगी। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करूँगा कि वे अपना सहयोग और रचनात्मक सुझाव प्रदान करें जिससे हम सब मिल कर इस चुनौती को भविष्य के लिये आशा और सुअवसर के रूप में बदल दें। अपनी ओर से मैं आर्थिक नीतियों को क्रियात्मक रूप देने के कार्य पर बराबर नजर रखने और समय-समय पर तत्परता के साथ उचित कार्रवाई करने का विश्वास दिला सकता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि जो बजट आज पेश करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें इस मान्य सदन और सारे देश द्वारा व्यग्रता से व्यक्त सभी प्रकार के मामलों का यथासंभव समावेश होता है।

Shri Arjun Singh Bhadoria (Etawah) : You should warn the members of ruling party so that such things do not recure in future. **(Interruptions)**

वित्त विधेयक, 1968—पुरःस्थापित

FINANCE BILL 1968—INTRODUCED

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1968-69 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1968–69 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

श्री मोरारजी देसाई : अध्यक्ष महोदय मैं पाँचवें वित्त आयोग के गठन सम्बन्धी अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 1 मार्च, 1968/फाल्गुन 11, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned at Eleven of the Clock on Friday, March 1, 1968/Phalguna 11, 1889 (Saka)

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Allahabad.